Par. S. 17. I. 35. 52
285

अंक १

संख्या ३५

शुक्रवार

४ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

1st Lok Sabha

—:o:—

First Session

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २१६३—२२०८]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २२०८—२२१८]

(मूल्य ४ आने)

419 PSD

लोक सभा

दस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)

अग्रवाल, प्रो० आचार्य श्रीमन्नारायण (वर्धा)

अग्रवाल, श्री होती लाल [ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—(पश्चिम) व ज़िला झांसी (उत्तर)]

अग्रवाल, श्री मुकन्द लाल [ज़िला पीलीभीत व ज़िला बरेली (पूर्व)]

अचलू, श्री सुनकम (नलगोंडा—रक्षित अनुसूचित जातियां)

अचल सिंह, सेठ (ज़िला आगरा—पश्चिम)

अचिन्त राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री क० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजीत सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अजीत सिंहजी, जनरल (सिरोही—पाली)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)

अब्दुरसत्तार, श्री (कलनां—कटवा)

अमजद अली, जनाब (ग्वालपाड़ा—गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)

अमृतकौर, राजकुमारी (मन्डी—महासू)

अय्यंगर, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अलगेशन, श्री ओ० बी० (चिगंलपुट)

अलवा, श्री जोशिम (कनारा)

अस्थाना, श्री सीता राम (ज़िला आज़मगढ़—पश्चिम)

आ

आगम दास जी, श्री (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर व ज़िला बरेली पश्चिम)

आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

इ

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इय्यानी, श्री इयाचरण (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इय्यून्नी, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

इलया पेरुमल, श्री (कुड्डलूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया—उत्तर पूर्व)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला—जबलपुर दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर)

ए

एबनजिर, डा० एस० ए० (विक़ाराबाद)

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित—आंग्ल—भारतीय)

क

कक्कन, श्री पी० (मदुराई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई शहर — उत्तर — रक्षित — अनुसूचित जातियां)
कतम, श्री बीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल — रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
कंडासामी, श्री एस० के० (तिरुचन गोड)
कमल सिंह, श्री (शाहबाद—उत्तर-पश्चिम)
करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंह जी, श्री महाराजा बीकानेर (बीकानेर—चूरू)
कास्लीवाल, श्री नेमी चन्द्र (कोटा—झालावाड़)
कांबले, श्री देवरोआ नामदेव रोआ (नान्देड़—रक्षित अनुसूचित —)
काचि रोयर, श्री डी० गोविन्द स्वामी (कुडलूर)
काज़मी, श्री सैयद मौहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर—व ज़िला फ़ैज़ाबाद दक्षिण फश्चिम)
काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामराज, श्री के० (श्री विल्लिपुतूर)
काले, श्रीमती अनुसुय्या बाई (नागपुर)
किदवई, श्री रफ़ी अहमद (ज़िला बहराईच—पूर्व)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री प्यारे लाल (ज़िला बांदा व ज़िला फ़तहपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैज नाथ (ज़िला प्रतापगढ़ पश्चिम व ज़िला रायबरेली पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपलानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित अनुसूचित जातियां)
कृष्णचन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा—पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम)
केलप्पन, श्री क० (पोन्नानी)
केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर—उत्तर)
केसकर, डा० वी० वी० (ज़िला सुल्तानपुर—दक्षिण)
कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)
कौशिक, श्री पन्ना लाल आर० (टोंक)

ख

खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर सतारा)
खान, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना—अकोला)
खोंगमन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी—रक्षित अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपति राम, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल व बड़ौदा पूर्व)
गांधी, श्री फ़िरोज़ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला राय बरेली—पूर्व)
गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर—उत्तर)
गाडगिल, श्री नरहरि विष्णु (पूना—मध्य)
गाम, श्री मल्लूडोरा, (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
गिरधारी भोय, श्री (कालाहांडी—बोलनगिर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गिरि, श्री वी० वी० (पथपटन[illegible]

[illegible]प्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी--पूर्व)]

[illegible]ुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)

[illegible]ुलाम क़ादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

[illegible]ुहा, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)

[illegible]ोपालन, श्री ए० के० (कन्तानूर)

[illegible]ोपीराम, श्री (मंडी—महासू रक्षित अनुसूचित जातियां)

[illegible]ोविन्द दास, सेठ (मंडला जबलपुर--दक्षिण)

[illegible]ोहैन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित—आसाम--जन जाति क्षेत्र)

[illegible]ौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

[illegible]ैंडर, श्री के० शक्तिवाडिवेल (पैरियाकुलम)

[illegible]ैंडर, श्री के० पेरियास्वामी (इरोड)

घ

[illegible]ोष, श्री अतुल्य (वर्दवान)

[illegible]ोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (माल्दा)

च

[illegible]क्रवर्ती, श्रीमति रेणु—(बंशीरहाट)

[illegible]टर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)

[illegible]टर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)

[illegible]टर्जी, डॉ० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)

[illegible]टोपाध्याय, श्री हरेन्द्र नाथ (विजयवाड़ा)

[illegible]डुक, श्री बी० एल० (बेतूल)

[illegible]ुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा—मध्य)

[illegible]द्रा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)

[illegible]द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर—रक्षित--अनुसूचित जातियां)

[illegible]ो, श्री पी० टी० (मीनाचिल)

[illegible]डक, श्री लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)

[illegible]ड़ा, श्री अकबर (बनासकोठा)

[illegible]ुरिया, श्री हीरा सिंह (महेन्द्रगढ़)]

[illegible]टयार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)

चेट्टियार, श्री वी० वी० आर० एन० ए आर नागप्पा (रामनाथपुरम)

चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)

चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)

चौधरी, श्री मुहम्मद शफ़ी (जम्मू तथा काश्मीर)

चौधरी, श्री गनेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर--उत्तर व खीरी—पूर्व--रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदीब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहबाद दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जजवाड़े, श्री रामराज (संथाल परगना व हज़ारीबाग़)

जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम--रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)

जयरमन, श्री ए० (टिंडीवनम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जयश्री राय जी, श्रीमती (बम्बई--उपनगर)

जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेडक)

जसानी, श्री चतुर्भुज वी (भंडारा)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जाटव वीर, डा० मानिक चन्द (भरतपुर—सवाई माधोपुर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)

जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री निरंजन (ढेन्कानाल--पश्चिम कटक—रक्षित अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर--क्योंझर—रक्षित अनुसूचित जातियां)

चंदी, कर्नल बी० एच० (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुखाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण)
जैन, श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर—उत्तर)
जैन, श्री नेमी सरन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण)
जोगेन्द्रसिंह, सरदार (ज़िला बहराइच—पश्चिम)
जोशी, श्री नन्दलाल (इन्दौर)
जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि दक्षिण)
जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगिर)
जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)
जोशी, श्री लीलाधर, (शाजापुर—राजगढ़)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)
ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर—उत्तर)

झ

झा आज़ाद, श्री भगवत (पुर्णिया व सन्थाल परगना)
झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (ज़िला इलाहाबाद—पश्चिम)
टामस, श्री ए० एम० (ऐरनाकुलम)
टामस, श्री ए० वी० (श्री बैकुण्ठम)
टेकचन्द, श्री (अम्बाला—शिमला)

ड

डागा, श्री शिवदास (महासमुन्द)
डामर, श्री अमर सिंह साब जी (झबुआ—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
डोरास्वामी, पिल्ले रामचन्द्र, श्री (वेलौर)

त

तिम्मया, श्री डोडा (कोलार—रक्षित अनुसूचित जातियां)
तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़)
तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)
तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)
तिवारी, श्री वेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर—उत्तर व ज़िला फ़र्रुखाबाद—दक्षिण)
तुडू, श्री भरत लाल (मिदनापुर—झाड़ग्राम—रक्षित अनुसूचित जन-जातियां)
तुलसीदास, श्री किलाचन्द (मेहसना पश्चिम)
तेलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)
त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर—उत्तर पश्चिम व ज़िला सहारनपुर—पश्चिम)
त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ़्फ़रनगर—दक्षिण)
त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दरंग)
त्रिपाठी, श्री विश्वंभर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व)
त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तूर)

थ

थिरानी, श्री जी० डी० (बड़गढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम)
दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
दाभी, श्री फूलसिंहजी बी० (कैरा उत्तर)
दामोदरन, श्री नेत्तूर पी० (तेलिचरी)
दामोदरन, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दातार, श्री बलवंत नागेश (बेलगांम उत्तर)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (बर्दबान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बी० (जाजपुर,—क्योंझर)
दास, श्री बसन्त कुमार (कोन्टाई)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)
दास, श्री वेली राम (बारपेटा)
दास, श्री राम धनी (गया पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बारकपुर)
दास, श्री सारंगधर (ढेनकनाल—पश्चिम कटक)
दिगम्बर सिंह, श्री (ज़िला एटा—पश्चिम व ज़िला मैनपुरी पश्चिम व ज़िला मथुरा —पूर्व)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़र्रुख़ाबाद उत्तर)
दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती—उत्तर)
देव, हिज़ हाइनेस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी बोलनगिर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ी)
देवगम, श्री कान्हूराम (चायबासा—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती पश्चिम)
देशमुख, डा० पंजाब राव एस० (अमरावती पूर्व)
देशमुख, श्री चिंतामणि द्वारकानाथ (कोलाबा)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर—मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी—दक्षिण)
धूसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती—मध्य व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृतलाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलज़ारी लाल (सबरकंठ)
नन्देकर, श्री अनन्त सावलराम (थाना, रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
नटवरकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहम्, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)
नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)
नस्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नामधारी, श्री आत्मासिंह (फ़ाज़िल्का—सिरसा)
नायडू, श्री नाल्ला रेड्डी (राजामंड्री)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वी० पी० (चिरायांकिल)
नायर, श्री सी० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रुग)
नेवटिया, श्री आर० पी० (ज़िला शाहजहां-पुर—उत्तर व खीरी — पूर्व)
नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़ दक्षिण)
नेसामनी, श्री ए० (नागर कोइल)
नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहा-बाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर पश्चिम)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित जन-जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा दक्षिण)
पटेल श्री राजेश्वर (मुज़फ़्फ़रपुर व दर-भंगा)
पन्त, श्री देवी दत्त (ज़िला अलमोड़ा—उत्तर पूर्व)
पन्नालाल, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद उत्तर पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)
परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खीरी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वेंकटराव पीशजीराव, (दिक्षण सतारा)
पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)
पाण्डे, श्री सी० डी० (ज़िला नैनीताल—व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली उत्तर)
पाटसकर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर दक्षिण)
पाटिल, श्री भाऊ साहब कानावाडे (अहमदा-बाद—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड बीरनगौड (बेलगांम दक्षिण)
पारिख, श्री रसिक लाल यू० (ज़ालावाड़)
पारिख, श्री शांतिलाल गिरधरलाल (मेह-सना पूर्व)
पिल्ले, श्री पी० टी० थानू (तिरुनलवेली)
पुन्नूस, श्री पी० टी० (ऐल्लेप्पी)
पोकर साहब, जनाब बी० (मलुप्पुरम्)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
प्रसाद, श्री हरिशंकर (ज़िला गोरखपुर—उत्तर)

फ

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमण्डी लाल (झज्जर रिवाड़ी)
बदन सिंह, चौधरी (ज़िला बदायूं—पश्चिम)
बनर्जी, श्री दुर्गा चरण (मिदनापुर—झाड़-ग्राम)
बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बासप्पा, श्री सी० आर० (तुमकुर)
बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)
बसु श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फ़िरोज़पुर—लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया—पूर्व)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझुनू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन, श्री एस० सी (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालसुब्राह्मण्यम, श्री एस० (मदुराई)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (ज़िला बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर—पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)
बुच्चिकोटैय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बुरागोहिन, श्री एस० एन० (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर)
बुरुआ, श्री देव कान्त (नौगांव)
बुवराघसामी, श्री वी० (पैराम्बलूर)
बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदगनर दक्षिण)
बोस, श्री पी० सी० (मानभूम उत्तर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित—आंग्लभारतीय)
ब्रह्मो चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

भ

भंडारी, श्री दौलतमल (जयपुर)
भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तरपूर्व)
भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्षमण श्रवण (बुलडाना अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भड़ौच)
भवनजी ए० खीमजी, श्री (कच्छ—पश्चिम)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़—जालौर)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)
भार्गव, पण्डित ठाकुर दास (गुड़गांव)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवत माल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखा भाई, श्री (बांसवाड़ा—डूंगरपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
भोंसले, मेजर जनरल, जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नागिरी उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपाल (बांकुडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह, (तरन तारन)
मदुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरपल्ली)
मल्लय्या, श्री श्रीनिवास यू० (दक्षिणी कनाडा—उत्तर)
मस्करीन, कुमारी आनी (त्रिवेन्द्रम)
मसुरिया दीन, श्री (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मौलाना मोहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री अनूप लाल (भागलपुर व पूर्निया)
मतहा, श्री बलवन्त राय गोपालजी (गोहिलवाड़)
महता, श्री बलवन्त सिन्हा (उदयपुर)
महताब, श्री हरेकृष्ण (कटक)
महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धालभूम—रक्षित अनुसूचित जन जातियां)
मातन, श्री सी० वी० (तिरुवल्ला)
मादियागौडा, श्री टी० (बंगलौर—दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा—पूर्व व ज़िला बस्ती—पश्चिम)

मालवीय, श्री मोतीलाल (छत्तरपुर—दतिया—टीकमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर—राजगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद, (मुंगेर—उत्तर पश्चिम)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया—दक्षिण)

मिश्र, श्री पण्डित सुरेश चन्द्र (मुंगेर उत्तर पूर्व)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर—दुर्ग—रायपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री विजनेश्वर (गया उत्तर)

मुखर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

मुखर्जी, श्री श्यामा प्रसाद (कलकत्ता दक्षिण पूर्व)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

मुत्थूरुणन, श्री एम० (वैल्लूर—रक्षित—अनसूचित जातियां)

मुदलियर, श्री सी० रामास्वामी (कुम्बकोनम्)

मुनिस्वामी, एवल थिरुकुरालर श्री (टिन्डीवनम)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया—पूर्व)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर—झुंझनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुसाफ़िर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर सूफ़ी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलूरु)

मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोज़िकोडि)

मैत्रा, पंडित लक्ष्मी कान्त (नवद्वीप)

मैथ्यू, प्रो० सी० पी० (कोट्टयम)

मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

र

रघुरामय्या, श्री कोठा (तेनालि)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा—उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं—पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा पूर्व)

रजमी, श्री सैयद उल्लाखां (सिहोर)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रणदमन सिंह, श्री (शाहडोल—सिद्धि—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

रणवीर सिंह, चौधरी (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ़ज़ुर (ज़िला मुरादाबाद—मध्य)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रघवय्या, श्री पिशुपति वेंकट (ओंगोल)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पेनुकोंडा)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर—रक्षित— अनुसूचित जातियां)

राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राधारमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारी बाग़)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सलेम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राम शरण, प्रो० (ज़िला मुरादाबाद—पश्चिम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली—पश्चिम व ज़िला हरदोई—दक्षिण पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री पतिराम (बसीरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री बिश्व नाथ (ज़िला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलूबोरिया)
राव, श्री कोंडू सुब्बा (एलरू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री काडयाला गोपाल (गुडिवाड़ा)
राव, दीवान राघवेन्द्र (उस्मीनाबाद)
राव, श्री पेंडयाल राघव (वरंगल)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाडा—दक्षिण)
राव, श्री केनेटी मोहन (राजामुन्द्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्री काकुलम्)
राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)
राव, श्री टी० बी० विट्टल० (खम्मम)
राव, श्री राघासमं शेषगिरि (नन्दयाल)
रिचर्डसन, बिशप जांन (नाम निर्देशित—अण्डमान निकोबार—द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मणिपुर—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री हालाहार्वी सीताराम (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री बद्धम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

ल

लल्लन जी, श्री (ज़िला फ़ैज़ाबाद—उत्तर पश्चिम)
लक्ष्मय्या, श्री पैडी (अनन्तपुर)
लाल, श्री राम शंकर (ज़िला बस्ती—मध्य-पूर्व व ज़िला गोरखपुर—पश्चिम)
लालसिंह, सरदार (फ़िरोज़पुर—लुधियाना)
लास्कर, प्रो० निवारण चन्द्र (कचार—लुशाई पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लोटन राम, श्री (ज़िला जालौन व ज़िला इटावा—पश्चिम व ज़िला झांसी उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

व

वर्तक, श्री गोविन्द राव धर्मजी (थाना)
वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई—उत्तर पश्चिम व ज़िला फ़र्रुख़ाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन—उत्तर)
वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया—पूर्व)
वल्लातरास, श्री के० एम० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परमणी)
विजय लक्ष्मी, पंडित श्रीमती (ज़िला लखनऊ—मध्य)

विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (जलन्धर)
विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस—पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आज़मगढ़ पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वेंकटारमन, श्री आर० (तंजोर)
वेलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर पांडयन, श्री एम० (शंकरनायिनार कोविल)
शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा—पश्चिम)
शर्मा, श्री राधाचरण (मुरैना—भिंड)
शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)
शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (ज़िला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, प्रो० दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर दक्षिण व ज़िला इटावा—पूर्व)
शास्त्री पंडित अलगू राय (ज़िला आज़मगढ़ पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम)
शास्त्री, श्री हरिहर नाथ (ज़िला कानपुर मध्य)
शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शाहडोल-सिद्धि)
शाह, श्री रायचन्द भाई (छिंदवाड़ा)
शाह, हर हाइनेस राजमाता कमलेन्दुमति (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला बिजनौर—उत्तर)
शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ—उत्तर पूर्व)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई (गोहिलवाड़—सौरठ)
शिवनजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)
शिवा, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग बस्तर)
शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़—फुलवनी—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
सखारे, श्री टी० सी० (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)
सत्यनाथन, श्री एन० (धर्मपुरी)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली—दक्षिण)
सरमा, श्री देबेश्वर (गोलाघाट—जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनंदन (मुज़फ़्फ़रपुर मध्य)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तमलुक)
साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ़्फ़रपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्रीचन्द (ज़िला अलीगढ़)
सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला ग़ाज़ीपुर पूर्व व ज़िला बलिया दक्षिण पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसन्द (ज़िला ग़ाज़ीपुर पश्चिम)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)
सिंह, श्री लैसराम जोगेश्वर (आन्तरिक मणिपुर)
सिंह, श्री गिरिराज सरन (भरपुर—सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर पूर्व)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस) पूर्व)
सिंह, श्री बाबूनाथ (सुरगुजा—रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंह, जुदेव, श्री चंडकेश्वर शरण (सरगुजा—रायगढ़)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा श्री एच० (हासन—चिकमगालूर)
सिन्हा, श्री अनिरुद्ध (दरभंगा पूर्व)
सिन्हा, अवधेश्वर प्रताप (मुजफ़्फ़रपुर पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हज़ारीबाग़ पूर्व)
सिंहा, श्री एस० (पाटलीपुत्र)
सिन्हा, डा० सत्य नारायण (सारन पूर्व
सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हज़ारीबाग़ व रांची)
सिन्हा, श्री झूलन (सारन उत्तर)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना पूर्व)
सिन्हा, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)
सिन्हा, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया पश्चिम)
सिन्हा, श्री चन्द्रेश्वर नारायण प्रसाद (मुजफ़्फ़रपुर उत्तर-पश्चिम)
सुन्दरम्, डा० लंका (विशाखापटनम्)
सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर—पश्चिम व ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्रहमण्यम्, श्री काडाला (विज़ियानगरम्)
सुब्रहमण्यम, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना भिंड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्णिया मध्य)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर—दक्षिण)
सेवल श्री ए० आर० (चम्बा—सिरमौर)
सैय्यद, अहमद, श्री (होशंगाबाद)
सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री एन० (कुर्ग)
सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर पाली)
सोरेन, श्री पाल जुझार (पूर्णिया व सन्थाल परगना—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री एन० आर० एम० (वान्दिवाश)
वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्म (डिन्डीगल)

ह

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हुक्म सिंह, श्री (कपूरथला—भटिंडा)
हेडा, श्री एच० सी० (निज़ामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना हज़ारीबाग़—रक्षित—अनुसूचित जल जातियां)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गोंडा—उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्त शयनम् आय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री हरि विनायक पाटसकर
श्री एन० सी० चटर्जी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

सचिव

श्री एम० एन० कॉल, बैरिस्टर-एट-लॉ

सहायक सचिव

श्री ए० जे० एम० एटकिन्सन
श्री एस० एल० शकधर
श्री एन० सी० नन्दी
श्री डी० एन० मजूमदार
श्री सी० वी० नारायण राव

याचिका समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री असीम कृष्ण दत्त
श्री गोविन्दराव धर्मजी वर्तक
प्रो० सी० पी० मैथ्यू

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री	श्री जवाहरलाल नेहरू
शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री	मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
संचरण मंत्री	श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री	राजकुमारी अमृत कौर
रक्षा मंत्री	श्री एन० गोपालस्वामी अय्यंगार
वित्त मंत्री	श्री सी० डी० देशमुख
योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री	श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
गृहकार्य तथा राज्य मंत्री	श्री के० एन० काटजू
खाद्य तथा कृषि मंत्री	श्री रफ़ी अहमद किदवई
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री	श्री टी० टी० कृष्णमाचारी
विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री	श्री सी० सी० बिस्वास
रेल तथा यातायात मंत्री	श्री लाल बहादुर शास्त्री
निर्माण, गृह-व्यवस्था, तथा रसद मंत्री	सरदार स्वर्ण सिंह
श्रम मंत्री	श्री वी० वी० गिरि
उत्पादन मंत्री	श्री के० सी० रेड्डी

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्रिगण (परन्तु जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

संसद् कार्य मंत्री	श्री सत्य नारायण सिन्हा
पुनर्वास मंत्री	श्री अजित प्रसाद जैन
वित्त राज्य-मंत्री	श्री महावीर त्यागी
सूचना तथा प्रसारण मंत्री	डा० बी० वी० केसकर

उपमंत्री

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री	श्री डी० पी० करमरकर
निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री	श्री एस० एन० बुरागोहिन

लोक सभा

शुक्रवार, ४ जुलाई १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री एन० एम० लिंगम (कोइम्बटूर)

श्री जसवन्त राय मेहता (जोधपुर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

साधारण निर्वाचन के लिये अतिरिक्त कर्मचारी

*१४६५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हाल ही में हुये साधारण निर्वाचन के दिनों में निर्वाचन सम्बन्धी चिट्ठियों तथा तारों आदि से निबटने के लिये डाक तथा तार विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त कर्मचारी रखे गये थे।

(ख) इस काम के लिये कितना खर्च किया गया; और

(ग) क्या पुराने कर्मचारियों को भी अतिरिक्त समय के लिये काम करने पर लगाया गया?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी हां।

(ख) लगभग ३२००० रुपये।

(ग) जी हां।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि डाक सेवा के किस भाग में सब से अधिक वृद्धि हुई।

श्री राज बहादुर : यदि प्रश्न क्षेत्र के सम्बन्ध में है तो मेरे विचार में पंजाब, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, मद्रास केन्द्रीय तथा उत्तर प्रदेश के सर्कलों में सब से अधिक वृद्धि हुई।

सरदार हुक्म सिंह : मेरा प्रश्न सेवाओं के सम्बन्ध में है क्षेत्र के सम्बन्ध में नहीं।

श्री राज बहादुर : वृद्धि सभी श्रेणियों के कर्मचारियों, विशेषकर, डाकियों तथा हरकारों की संख्या में हुई।

सरदार हुक्म सिंह : अतिरिक्त खर्च कितना किया गया?

श्री राज बहादुर : मैंने बताया तो है ३२,०६६ रुपये, १ आना, ११ पाई हुआ।

निर्वाचन सम्बन्धी पोस्टर

* १४६६ **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे।

(क) क्या किन्हीं उम्मीदवारों या दलों ने हाल के साधारण निर्वाचन में, डाकखानों के भवनों में निर्वाचन सम्बन्धी पोस्टरों के चिपकाने के सम्बन्ध में दी गई सुविधा का उपयोग किया है; तथा

(ख) यदि हां, तो हाल के साधारण निर्वाचन में इस से कितनी आय हुई?

संचरण मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) जी हां ।

(ख) २३०० रुपये ।

श्री हुक्म सिंह : क्या इस रियायत का मुफ्त उपयोग किया गया ।

श्री राज बहादुर : यह मुफ्त नहीं थी । राज्य विधान सभा के एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र के लिये यह शुल्क ५० रुपये था, दो सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र के लिये १०० रुपये और लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिये २५० रुपये ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने इस बात के कारणों का पता लगाने के लिये जांच की है कि इस रियायत का उपयोग क्यों नहीं किया गया—इसका शुल्क अधिक लगता था या कुछ और कारण थे ?

श्री राज बहादुर : ऐसी जांच की आवश्यकता ही नहीं पड़ी । माननीय सदस्य चाहते हों तो जांच की जायगी ।

सहारनपुर प्रशिक्षण केन्द्र

* १४६७. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ।

(क) सहारनपुर में डाकखानों के क्लर्कों तथा रेलवे डाक सेवा के सार्टरों के वर्गों में भरती हुए व्यक्तियों को पूरी तरह प्रशिक्षण देने के लिये खोले गये बड़े प्रशिक्षण केन्द्र पर जिसमें प्रशिक्षण पाने वाले रहते भी हैं १९५१-५२ में हुआ व्यय;

(ख) इस वर्ष में कितने प्रशिक्षण पाने वाले सफल हुए,

(ग) क्या प्रशिक्षण का कार्य सन् १९५२-५३ में भी जारी रहेगा, तथा

(घ) यदि हां, तो किस स्थान में ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) अनावर्ती व्यय ४,०२,७९६ रुपये; आवर्ती व्यय २,३७,२५१ रुपये

(ख) डाक सेवा के ४५७
रेलवे डाक सेवा के १३३
कुल ५९०

(ग) जी हां ।

(घ) सहारनपुर में । हैदराबाद और अन्य स्थानों में भी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि श्रेणी १ के नये भरती हुये अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का परीक्षण कहां तक सफल हुआ है ।

श्री राज बहादुर : सच तो यह है कि श्रेणी १ के अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरी तरह वहां नहीं होता । यह उन के प्रशिक्षण का एक अंग मात्र है कि उन्हें कुल दो वर्ष के प्रशिक्षण काल में से चार मास के लिये वहां भेजा जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह प्रशिक्षण श्रेणी के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिये परीक्षण के रूप में खोले गये केन्द्र में नहीं दिया जाता था ?

श्री राज बहादुर : यह आवश्यक तथा मुख्य रूप से डाक तथा रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों के लिये है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार पूर्वी सर्कल में ऐसे केन्द्र कब खोलेगी ?

श्री राज बहादुर : मैंने इस से पहले प्रश्न का उत्तर देते समय पहले ही इस ओर संकेत किया है । मेरा विचार है कि

सम्भवतः हम छोटा नागपुर में एक ऐसा केन्द्र खोलेंगे।

सरदार हुक्म सिंह : सहारनपुर की यह संस्था, साधारण शिक्षा संस्थाओं से किस प्रकार भिन्न है ? क्या इस में कोई ऐसा नये प्रकार का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है जो कि दूसरी संस्थाओं में पहले प्रारम्भ नहीं किया गया था।

श्री राज बहादुर : विभाग के भावी कर्मचारियों को सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है यह दूसरी शिक्षा संस्थाओं में इस बात में भिन्न है कि इस में विशेष प्राविधिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या केवल कुछ ही क्षेत्रों के व्यक्तियों को इस में लिया जाता है या देश के सारे भागों के लोग इस में प्रवेश पा सकते हैं ?

श्री राज बहादुर : प्रारम्भ कर दिया गया है और अभी तो पंजाब सर्कल, उत्तर प्रदेश सर्कल, केन्द्रीय सर्कल का राजस्थान वाले भाग और दिल्ली के प्रशिक्षणार्थी लिये जाते हैं।

श्री पी० एन० राजभोज : इस ट्रेनिंग सेंटर (प्रशिक्षण केन्द्र) में कौन से लोग लिये जाते हैं और उन की शिक्षा कहां तक होती है ?

श्री राज बहादुर : इस में जो लोग कि पोस्टल (डाक के) क्लर्कस और आर० एम० एस० (रेलवे डाक सेवा) के सार्टर्स के इम्तिहान में पास हो जाते हैं, उन को ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या इन लोगों के रिक्रूटमेंट (भरती) में शड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जातियों) का कुछ ख्याल किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री पी० एन० राजभोज : शड्यूल्ड कास्ट के बारे में पूछने पर आप .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

रेलवे भांडार जांच समिति (सामान गिनने के लिये निरीक्षक

*१४६८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे भांडार जांच समिति की, ईस्ट इन्डिया रेलवे तथा अन्य रेलों के भांडार की गणना के लिये लेखा परीक्षकों के किसी सार्थ या विशेष निरीक्षक रखने से सम्बन्ध रखने वाली सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो ३१ मार्च, १९५०, १९५१ और १९५२ को भिन्न रेलों के पास जो सामान था, उसका कितना मूल्य था ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे भांडार जांच कमेटी ने रेलों के पास कुल सामान की जो सूची बनाने की सिफारिश की थी, वह विशेषकर ३१ मार्च १९५१ को बनाई गई थी और मुख्य रेलों के सम्बन्ध में पूरी बातों वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७ अनुबन्ध संख्या २८]**

सन् १९५० और १९५२ के सम्बन्ध में सूचना इस समय प्राप्य नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार का कोई ऐसा अधिकारी है जो सामान सम्बन्धी मामलों पर नियन्त्रण रखता है।

श्री एल० बी० शास्त्री : रेलवे बोर्ड का एक सदस्य।

श्री एस० सी० सामन्त : रेलवे बोर्ड का कोई भी सदस्य या इंजनीयरी से सम्बन्ध रखने वाला सदस्य।

श्री एल० बी० शास्त्री : इंजनीयरी विभाग का प्रभारी व्यक्ति भी रेलवे बोर्ड का सदस्य है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि उद्योग तथा रसद मंत्रालय वह सामान पहुंचा सका था जिसकी कि रेलवे बोर्ड को रेलों के लिये आवश्यकता थी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अभी तक तो सामान की कोई बड़ी कमी नहीं पड़ी । हमारे पास कुछ फालतू सामान भी है ।

श्री एस० सी० सामन्त : भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था "हां"। क्या मैं जान सकता हूँ कि सारी रेलों की लेखा-परीक्षा की जा चुकी है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : सच तो यह है कि अधिकृत लेखा पालों द्वारा विशेष परीक्षण ईस्ट इण्डिया रेलवे तथा बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे के सम्बन्ध में था, अन्य रेलों के सम्बन्ध में नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूँ कि विशेष निरीक्षण कहां तक हुआ है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अन्य रेलों का विशेष निरीक्षण नहीं किया गया परन्तु अधिकृत लेखापालों ने सूची ईस्ट इण्डिया रेलवे तथा बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे के सम्बन्ध में तैयार की है ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने सामान के आवश्यकता से अधिक व्यादेश देने से बचने, जैसा कि सामान समिति ने सिफ़ारिश की है, के लिए क्या कार्यवाहियां की हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हम ने कुछ सामान तो निकाल दिया है ; भविष्य में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितने सामान की हमें आवश्यकता हो उस से अधिक व्यादेश न दें ।

श्री वैलायुधन : मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि कई स्टेशनों पर प्रस्तुत सामान की सूची अभी तक पूरी नहीं हुई है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यदि ऐसा है तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और इसकी जांच करूंगा ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि सरकार पुराने कागजों तथा दूसरे भंडारों को जो कि लगभग २०० वर्ष से पड़ा है निकालने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति !

श्री नम्बियार : यदि यह भंडार हों तो ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहियें कि प्रश्न पूछते समय वह कोई आरोप न लगायें या उसमें ऐसा कोई परिणाम या सूचना न रखें जो कि उन्होंने बाहर से प्राप्त की हो । ज्योंही वे ऐसी कोई बात अपने प्रश्न में रखेंगे, उस प्रश्न को पूछने की अनुमति नहीं दी जायगी ।

श्री नम्बियार : सामान तो है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों पर तर्क नहीं करना चाहता । सम्भव है कि वे तथ्य ठीक हों ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने सन् १९५१ के आंकड़े दिये हैं । क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सन् १९५०, और १९५२ के आंकड़े क्यों नहीं दिये गये ?

श्री एल० बी० शास्त्री : वे प्राप्य नहीं थे । अधिकृत लेखापालों ने ३१ मार्च, १९५१ को समाप्त होने वाली कालावधि की सूची बनाई थी ।

असैनिक नभश्चरण के लिए जेट वायुयान

*१४६८. **डा० पी० एस० देशमुख** : क्या **सचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में असैननिक नभश्चरण के लिए जेट से चलने वाले वायुयान प्रयुक्त करने का विचार है;

(ख) यदि है तो ऐसी चर्चाएं कब प्रारम्भ होने की सम्भावना है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए जेट वायुयान प्राप्त करने के क्या प्रत्यन किए जा रहे हैं ;

(घ) कोई व्यादेश दिये गये हैं और यदि हां, तो किस को और कितने वायुयानों के लिए; तथा

(ङ) इन वायुयानों के कब मिलने की आशा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ङ). भारत में पूर्णतया जेट से चलने वाले प्रकार के वायुयान काम में लाने का कोई विचार नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, क्या सरकार को जेट वायुयानों के विकास के सम्बन्ध में पूरी सूचना प्राप्त है ?

श्री राज बहादुर : जी हां, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति-शान्ति । आप जानते हैं कि इन प्रश्नों के पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रीय राजमार्ग

*१४७०. **श्री ए० एम० टामस** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार को त्रावनकोर-कोचीन की उन सड़कों की हालत का पता है जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में अपने हाथ में ले ली गई हैं; तथा

(ख) क्या उक्त सड़कों के किसी भाग को पक्का किया गया है उस पर कोलतार डाला गया है या कंकरीट बिछाय गया है, यदि हां, तो कितना भाग ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) २२ १/२ मील लम्बी सड़क काले स्तल वाली है, ४१ १/२ मील लम्बी कंकरीट तथा सीमेंट से बने स्तल वाली और लगभग १७० मील लम्बी पानी से बनाये गए मैकैडम स्तल वाली । राष्ट्रीय राजमार्गों का कोई ऐसा भाग नहीं है जिस की परत कड़ी न हो ।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि यातायात मंत्रालय ने त्रावनकोर-कोचीन में पश्चिमी तट की सड़क की सारी जिम्मेदारी ले ली है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां ।

श्री अच्युतन : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इन सड़कों को पक्का कराने के लिए कितना धन दिया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हमनें मूल विकास कार्यों के लिए आयव्ययक में चार लाख रुपये की व्यवस्था की थी और मरम्मत तथा सड़कों को बनाए रखने के लिए ६ लाख १२ हजार रुपये की ।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई पड़ताल की गई है कि पुल किन स्थानों पर बनाऐ जायं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी हां ।

श्री ए० एम० टामस : वे कौन से पुल हैं श्रीमान् ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अबूर तथा पेरियार के पुल ।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी तट की प्रस्तुत लाइन को बदलने का क्या कोई विचार है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं कुछ कह नहीं सकता ।

त्रिचूर-कोल्लेनगोड़े रेलवे लाइन

*१४७१. **श्री ए० एम० टामस :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिचूर को कोल्लेनगोड़े के साथ रेल द्वारा मिलाने की सम्भावना के सम्बन्ध में किसी समय कोई पड़ताल की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस का परिणाम क्या है ?

रेल तथा यातायत मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) इस लाइन के लिए १९४६-४७ में यातायात तथा इंजनीयरी सम्बन्धी पड़ताल की गई थी ।

(ख) पड़ताल की रिपोर्टों से पता चला कि इस लाइन से जितनी आय होने की आशा है उस से तो चालू खर्च भी पूरा नहीं होगा । और फिर इस भाग पर सड़क द्वारा यातायात की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्य हैं । इस लिए केन्द्रीय यातायात बोर्ड ने निश्चय किया कि इस विचार को छोड़ दिया जाय ।

श्री ए० एम० टामस : इस लाइन पर कितना परिव्यय होने का अनुमान था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : बड़ी लाइन के लिए अनुमानित परिव्यय लगभग ३ करोड़ २ लाख रुपये और छोटी लाइन के लिए २ करोड़ ५९ लाख रुपये है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं इस लाइन की लम्बाई जान सकता हूं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे खेद है कि इस का उत्तर देने के लिए मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस पड़ताल को हुए कई वर्ष बीत चुके हैं क्या सरकार फिर इस मामले को अपने हाथ में लेगी ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हम अभी इस मामले को हाथ में नहीं लेंगे । सम्भव है कि कुछ समय बाद हम इस मामले पर विचार करें ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान् मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार की यह नीति है कि जब कोई पड़ताल की जा चुकी हो तो सरकार कम से कम उस क्षेत्र में तो लाइन बनाती ही है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : ऐसी बात नहीं पहले तो पड़ताल की जाती है और फिर अन्तिम निर्णय करने से पहले दूसरी बातों पर विचार किया जाता है ।

खाद्य तथा कृषि संस्था की परिषदाएं

१४७२. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संस्था ने भारतीय छात्रों को कैफेटीरिया प्रणाली में विदेशों के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कुछ यात्रा-परिषदाएं दी हैं ?

(ख) यदि हां, तो कितनी परिषदाएं दी गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) तीन ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान् क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस पारिषदताओं का मूल्य क्या है ?

श्री किदवई : इस प्रशिक्षण के लिए जाने वालों की यात्रा का परिव्यय भारत सरकार का खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय भारतीय महिला खाद्य परिषद् (एन० आई० डब्ल्यू० एफ० सी०) को दिए गए अनुदान में से देगा । बाकी का व्यय जिस में निर्वाह भत्ता, अध्यापन शुल्क और दूसरे देश के भीतर यात्रा का आवश्यक परिव्यय खाद्य तथा कृषि संस्था द्वारा दिया जायगा ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या खाद्य तथा कृषि संस्था ने यहां भोजन व्यवस्था का प्रशिक्षण देने वाली संस्था के लिए एक शिक्षक भेजने को स्वीकार कर लिया है ?

श्री किदवई : इसके व्यय का कुछ भाग तो खाद्य तथा कृषि संस्था देगी और बाकी का व्यय राष्ट्रीय भारतीय महिला खाद्य परिषद् देगी ।

श्री रघवय्या : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रशिक्षण पाने वालों को किस आधार पर चुना जाता है और उन्हें कैसा प्रशिक्षण दिया जाता है ?

श्री किदवई : इन्हें राज्यवार नहीं चुना जाता । कुछ समय पहले विभागीय पदोन्नति समिति ने उन लोगों में से, जो कि कैफेटीरिया चलाते हैं, प्रशिक्षण पाने वालों को चुना था ।

श्री के० के० बसु : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि यह पारिषदता पाने के लिये कम से कम क्या योग्यतायें होनी आवश्यक हैं और वे केवल स्त्रियों में ही होती हैं या केवल पुरुषों में ही ?

श्री किदवई : खैर, मैं दो व्यक्तियों के नाम बता सकता हूं जिन्हें भेजा गया है—सरदार सम्पूर्ण सिंह और श्री आर० एस० शर्मा। बाकी बातों के सम्बन्ध में निर्णय किया जायगा ।

श्री कास्लीवाल : क्या इस प्रशिक्षण में स्वयंचालित (आटोमैटिक) कैफेटीरियां सम्बन्धी प्रशिक्षण भी शामिल है ?

श्री किदवई : अभी तो इस प्रशिक्षण के फल देखने हैं और यह देखना है कि अन्य देशों में क्या प्रबन्ध हैं और उसके बाद इस बात का निर्णय किया जायगा ।

श्री रघवय्या : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि इन लोगों को कौन कौन से देशों में भेजा जाता है और उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ?

श्री किदवई : दो व्यक्ति संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा गये हुए हैं और तीसरा आदमी योरुप के किसी देश को जायगा ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार इन व्यक्तियों के लौटने पर इन्हें अपने कैफेटीरियाओं में नियुक्त कर लेगी या उन्हें स्वतन्त्र रूप से अपनी कैफेटीरिया व्यवस्था प्रारम्भ करने दी जायगी ।

श्री किदवई : उन्हें उन देशों के कैफेटीरिया सम्बन्धी प्रबन्धों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है और यदि वे देखेंगे कि स्थानीय ढंग उनके प्रशिक्षण द्वारा सुधारे जा सकते हैं तो वे उन्हें सुधारने का प्रयत्न करेंगे ।

मूंगफली (उत्पादन)

*१४७५. **पंडित मनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री

यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५० तथा १९५१ में कुल कितने एकड़ भूमि में मूंगफली बोई गई थी और १९५२ में कितने एकड़ भूमि में इसकी फसल बोए जाने का अनुमान है।

(ख) सन् १९५० तथा १९५१ में मूंगफली का उत्पादन कितना हुआ और १९५२ में कितना उत्पादन होने का अनुमान है।

(ग) किन राज्यों में पहले से अधिक भूमि पर मूंगफली बोई गई और अधिक उत्पादन हुआ और किन राज्यों में पहले से कम भूमि पर मूंगफली बोई गई और उत्पादन पहले से कम हुआ।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई) : (क) से (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या** २९]

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या यह सत्य है कि मद्रास, उड़ीसा और पेप्सू में जो एकरेज (जोती गई भूमि) की जमीन में कमी हुई है उसका कारण यह है कि ग्रो मोर फूड स्कीम (अधिक अन्न उपजाओ योजना) के मातहत जमीनों में और अन्न उपजाया जा रहा है?

श्री किदवई : मेम्बर साहब मुझे इत्तिला दे रहे हैं, हो सकता है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : इस दर्मियान एक्सपोर्ट (निर्यात) ड्यूटी (शुल्क) में सूख कर देने (हटा देने) की वजह से क्या कुछ तखमीना किया गया है कि आयन्दा उपज की एकरेज (जोती गई जमीन) बढ़ जायेगी।

श्री किदवई : ड्यूटी घटाने की वजह यह है कि हम बाहर का मार्केट लूज़ (खो) रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि उपज ज्यादा बढ़ जायेगी।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : एक्सपोर्ट (निर्यात) का कोटा (अभ्यंश) बढ़ाये जाने से क्या ग्राउण्डनट (मूंगफली) की उपज हमारे यहां आयन्दा ज्यादा होगी?

श्री किदवई : उम्मीद तो यही है।

श्री पी० एन० राजभोज : मूंगफली भेजने के लिए किस किस्म के परमिट दिये गये हैं और इन परमिटों (अनुज्ञापत्रों) से सन् १९५१ ई० में कितना माल भेजा गया?

श्री किदवई : एक्सपोर्ट (निर्यात) के बारे में तो कामर्स (वाणिज्य) डिपार्टमेंट (विभाग) से मालूम हो सकेगा। अगर मेम्बर साहब चाहेंगे तो मैं उस डिपार्टमेंट (विभाग) से इत्तला ले कर दे दूंगा।

श्री दाभी : बम्बई राज्य में कितनी भूमि में मूंगफली बोई गई और उसका कितना उत्पादन हुआ।

श्री किदवई : ये आंकड़े सदन पटल पर रखे गये विवरण में दिए गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार

*१४७६. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हम इस वर्ष किन देशों से अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार के अधीन गेहूं की कितनी मात्रा खरीद रहे हैं?

(ख) इस वर्ष भारत में गेहूं का उत्पादन कितना है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार अगस्त से जुलाई तक है। सन् १९५१-५२ के लिए हम ने आस्ट्रेलिया, कैनेडा, और संयुक्त

राज्य अमरीका से लगभग १४,९८,००० मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है।

(ख) गेहूं के उत्पादन के आंकड़ें संकलित किए जा रहे हैं और अगस्त १९५२ के मध्य तक प्राप्य हो सकेंगे।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अब तक इस साल के बाकी महीनों के लिए कोई ऐसा मुआहिदा (करार) है जिसके जरिये (द्वारा) से हम और गेहूं खरीद सकें।

श्री किदवई : इस हाउस (सदन) मे एक से ज़्यादा मर्तबा (बार) यह कहा जा चुका है कि पहले ६ महीने में जो कुछ आना था आ चुका और बाकी के ६ महीनों में कुछ आना बाकी है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : जून के आखिर तक उसके मातहत (अधीन) कितना गेहूं खरीदा गया है।

श्री किदवई : इस सवाल का जवाब कई मर्तबा (बार) दिया जा चुका है। जून के आखिर तक जो कुछ खरीदना था वह जो फ़ीगर (आंकड़े) दी गई है उस में है, जुलाई से नये साल की खरीद शुरू होगी।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या मैं यह जान सकता हूं कि मुख्तलिफ़ (भिन्न भिन्न) मुल्कों देशों से खरीदने के के लिए क्या भाव मुकर्रर (निश्चित) किया गया है, क्या कोई यूनीफार्म रेट (समान रेट) है।

श्री किदवई : भाव तो इंटरनेशनल रेट (अन्तर्राष्ट्रीय दर) के मुताबिक (अनुसार) है और उसका युनीफार्म रेट (समान दर) होता है, लेकिन उसके अलावा जो खरीदा जाता है उसका भाव बतलाना मुनासिब (उचित) नहीं समझा जाता।

श्री रघवय्या : क्या यह सच है कि हाल ही में लंदन में हुए अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि गेहूं का मूल्य घटाया नहीं जायगा बल्कि बढ़ाया जायगा।

श्री किदवई : सम्मेलन की बैठक कुछ समय बाद फिर शुरू होगी जिस में अगले वर्ष के लिए मूल्य निश्चित किया जायगा।

श्री रघवय्या : क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारत सरकार ने विदेशों से खरीदे गये गेहूं का क्या मूल्य दिया ;

श्री किदवई : सभी जगहों से मंगाये गये इकट्ठे गेहूं का मूल्य बन्दरगाहों में २० रुपये आठ आने (प्रति मन) पड़ता है।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय गेहूं भंडार की ओर से दिये गये गेहूं का कोटा क्या भारत ने खरीद लिया है ?

श्री किदवई : जी हां, श्रीमान्।

श्री के० के० बसु : क्या माननीय मंत्री सदन को यह बतला सकते हैं कि पिछले दो वर्षों में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है या घटा है ?

श्री किदवई : मैं आप को पिछले तीन वर्षों के आंकड़े दूंगा जिस से कि यह पता चल सके कि उत्पादन किस प्रकार बढ़ा है।

वर्ष	एकड़	टन
१९४८–४९	२२,३४२,०००	५,०६५,०००
१९४९–५०	२४,११४,०००	६,२९०,०००
१९५०–५१	२३,९८३,०००	६,५९०,०००

श्री के० के० बसु : परन्तु श्रीमान, मैं जानना चाहता हूं कि प्रति एकड़ उत्पादन कितना है ?

अध्यक्ष महोदय : जो हां, माननीय सदस्य प्रति एकड़ उत्पादन के आंकड़े चाहते थे परन्तु माननीय मंत्री ने कुल एकड़ भूमि और कुल उत्पादन के आंकड़े दिये हैं और प्रति एकड़ उत्पादन के आंकड़े इन्हीं से मालूम किये जा सकते हैं ।

श्री किदवई : मेरा विचार है कि सदस्य महोदय ऐसा करने की चेष्टा करेंगे ।

श्री बादशाह गुप्त : जो आंकड़े पैदावार की बाबत इकट्ठे किये गये हैं वह आमतौर पर सही नहीं माने जाते हैं तो जो आंकड़े इस वक्त इकट्ठे किये जा रहे हैं उनकी क्या गवर्नमेंट (सरकार) गांव सभाओं आदि के द्वारा या और किसी अन्य प्रकार से इकट्ठा करने की तजवीज़ (विचार) में है ?

श्री किदवई : पिछले दो साल से इन आंकड़ों को सही करने के लिए गवर्नमेंट (सरकार) ने एक नया तरीका (ढंग) अख्तियार किया है, कुछ पार्टियां (दल) मुख्तलिफ स्टेट्स (विभिन्न राज्यों) में जाती हैं और वहां फसल काटते वक्त कुछ रकबे (क्षेत्रफल) की फसल खुद काट करके अन्दाजा (अनुमान) करती है कि गवर्नमेंट (सरकार) की जो रिपोर्ट है वह गलत है या सही है ।

डेक्कन एयरवेज के वायुयान (रिपोर्ट)

*१४७८. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस वर्ष दिल्ली के समीप डेक्कन एयरवेज के वायुयान को हुई दुर्घटना की जांच की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या थीं;

(ख) क्या कोई सिफारिशें, विशेषतया डेक्कन एयरवेज के सम्बन्ध में की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या है और सरकार का उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या रिपोर्ट में दुर्घटना का कोई कारण बताया गया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) रिपोर्ट बहुत लम्बा है । इसकी प्रतियां पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ख) जी नहीं श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) हां, कारण यह बताया गया है कि वायुयान जिस समय एक ओर को झुका हुआ नीचे को मुड़ रहा था तो शायद पैट्रोल की कमी के कारण बाईं ओर का इंजन रुक गया ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं इस रिपोर्ट की कम से कम मुख्य बातें जान सकता हूं ? मैंने मुख्य बातें ही पूछी हैं, सारी रिपोर्ट नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट तो पहले ही पुस्तकालय में है । प्रश्नोत्तर काल में उस रिपोर्ट को संक्षिप्त रूप में बताना कठिन होगा ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या जांच समिति ने डेक्कन एयरवेज के वायुयानों के साथ हुई इतनी दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की है ?

श्री राज बहादुर : जांच समिति का कार्य मुख्य रूप से उसी दुर्घटना पर केन्द्रित रहा है जो कि उसे जांच के लिए सौंपी गई थी ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में कुछ कहा गया था कि चालकों को पर्याप्त समय तक आराम न मिलने के कारण उन पर काम का बोझ था ?

श्री राज बहादुर : जी नहीं श्रीमान्

अध्यक्ष महोदय : ये प्रश्न कुछ समय पहले पूछे गये थे और एक अल्प सूचना प्रश्न भी पूछा गया था।

श्री ए० सी० गुहा : परन्तु रिपोर्ट उस समय प्राप्त नहीं थी।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या यह बात सच है कि डेक्कन एयरवेज़ में जो आये दिन हादसे (दुर्घटनाएं) हो रहे हैं, न से लोगों का विश्वास कम हो रहा है ?

श्री राज बहादुर : यह बात सही नहीं है।

श्री नानादास : क्या मैं यह जान कता हूं कि भारत में सन १९५१–५२ हुई वायु दुर्घटनाओं में कुल कितने व्यक्ति मारे गये ?

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि समिति की किन्हीं सिफारिशों को कार्यरूप में परिणत किया गया है ?

श्री राज बहादुर : जी हां, कई को।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि समिति की किन सिफ़ारिशों पर कार्यवाही की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो फिर रिपोर्ट की बात होने लगी।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या माननीय मंत्री को डेक्कन एयरवेज के सम्बन्ध में नई धारणा मालूम है जो कि आजकल चालू कहावत में निहित है : बाकी हवाई कम्पनियों के वायुयानों में यात्रा कि-जिये और दुनियां देखिये ; डक्केन एयर-वेज के वायुयानों में उड़ान किजिये और दूसरी दुनिया देखिये ?

श्री ए० सी० गुहा : क्या माननीय मंत्री का ध्यान समिति के इस निष्कर्ष की ओर दिलाया गया है कि दर्घटना इसलिये हुई कि चालक ने रात के समय वायुयान को नीचे उतारते समय गलती की। उसने उस स्थान का गलत अनुमान लगाया था, जहां से कि वायुयान नीचे उतारना प्रारम्भ करते हैं। वह कम नीचे उड़ा और एक वृक्ष की सब से ऊंची टहनियों से जा टकराया?

श्री राज बहादुर : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य डम डम पर हुई दुर्घटना की ओर संकेत कर रहे हैं, सफदर जंग हुई दुर्घटना की ओर नहीं।

केन्द्रीय नगरीय सेवायें

* १४७९. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय नगरी सेवाओं में कोई अस्थायी कर्मचारी हैं ?

(ख) ऐसे व्यक्तियों की भरती तथा पदोन्नयन के सम्बन्ध में क्या नियम है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां

(ख) विभिन्न नौकरियों श्रेणियों में भरती तथा पदोन्नयन के सम्बन्ध में प्रत्येक सेवा में विभिन्न नियम हैं। एक ही प्रकार की नौकरियों श्रेणियों में अस्थायी रूप से रखे जाने वाले कर्मचारियों के लिये अपेक्षित बातें साधारणतः उन बातों से भिन्न नहीं हैं जोकि स्थायी कर्मचारियों के लिए अपेक्षित हैं। सब अस्थायी कर्मचारियों पर (अर्थात् जिन का किसी स्थायी नौकरी पर पूर्वाधिकार नहीं है) केन्द्रीय नागरिक सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियम १९४९ लागू होते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र : क्या मैं यह जान सकता हूं कि ये नौकरियां अस्थायी हैं या इन पर काम करने वाले कर्मचारी अस्थायी हैं ?

डा० काटजू : कौन सी नौकरियां ?

श्री कृष्ण चन्द्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये कर्मचारी अस्थायी हैं या वे नौकरियां,

जिन पर वे काम कर रहे हैं, अस्थायी हैं ?

डा० काटजू : प्रश्न अभी स्पष्ट नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने इस बात की ओर संकेत किया था कि कर्मचारी वर्ग अस्थायी है । वे यह जानना चाहते हैं कि वे जिन नौकरियों पर काम कर रहे हैं, वे अस्थायी हैं या कि स्वयं अस्थायी रूप से इन नौकरियों पर काम कर रहे हैं ।

डा० काटजू : अस्थायी नौकरियां भी हैं और अस्थायी कर्मचारी भी ।

श्री कृष्ण चन्द्र : ये अस्थायी नौकरियां कब से हैं ?

डा० काटजू : मेरा विचार है कि एक वर्ष से दस वर्ष तक ।

श्री कृष्ण चन्द्र : क्या हाल ही में केन्द्रीय सेवाओं में भरती आदि के सम्बन्ध में कोई विधान पास किया गया है ?

डा० काटजू : विधान के सम्बन्ध में तो मुझे पक्का विश्वास नहीं हैं । परन्तु श्रीमान् मैं साथ ही यह कह देना चाहता हूं कि युद्ध काल में सचिवालय का बहुत प्रसार हुआ और इन नौकरियों पर अस्थायी आधार पर कर्मचारी रखे गये । हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इन में से अधिक से अधिक कर्मचारियों को रखा जाय । हम उन्हें स्थायी तक अर्ध-स्थायी कर्मचारी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । यह बड़ी उलझी हुई समस्या है ।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान् मैं यह जानना चाहता हू कि क्या सरकार के सामने कोई ऐसी प्रस्थापना है कि संघीय लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई केन्द्रीय सचिवालय पुनर्संगठन योजना में कोई फेर बदल की जाय ।

डा० काटजू : मेरे विचार में ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है । केन्द्रीय सचिवालय पुनर्संगठन योजना को लागू करने का काम लगभग पूरा हो चुका है और उसे क्रियान्वित किया जा रहा है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है उन सभी विस्थापित व्यक्तियों के नाम जो अपने पहले स्थानों में स्थायी कर्मचारी थे और २० वर्ष से अधिक समय तक नौकरी कर चुके हैं और यहां भी रख लिए हैं, अस्थायी कर्मचारियों की सूची में हैं ?

डा० काटजू : साधारणतया सभी के सम्बन्ध में यह बात ठीक नहीं है, उन में से कुछ स्थायी हैं, कुछ अस्थायी और कुछ अर्द्ध स्थायी हैं, मैं अपने माननीय मित्र से यह अनुरोध करूंगा कि यदि वे इस सम्बन्ध में विस्तृत उत्तर चाहते हों तो इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछ डालें ?

श्री नानादास : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि अस्थायी कर्मचारियों में से अनुसूचित जातियों के कितने हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

"अधिक अन्न उपजाओ" जांच समिति

*१४८०. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन की कार्यान्विति की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति के सदस्य तथा उस के निर्देश पद क्या हैं; और

(ख) उस समिति ने अब तक कितनी प्रगति की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) मैं माननीय सदस्य का ध्यान भारत सरकार के संकल्पों, संख्या एक १–२/५२ जी० एस०

(पी०) दिनांक ८ तथा १८ फरवरी, १९५२ की ओर दिलाता हूं जिन की प्रतियां सदन पटल पर रखी जाती हैं। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३०]

(ख) समिति ने अभी अपना काम समाप्त किया है और अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है।

श्री झूलन सिन्हा : क्या सरकार का उस रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार है?

श्री किदवई : निस्सन्देह।

श्री झूलन सिन्हा : क्या माननीय मंत्री समिति की सिफारिशों पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाल सकते हैं?

श्री किदवई : रिपोर्ट ही सदन पटल पर रख दी जायगी और ऐसा करते समय सरकार सिफारिशों के सम्बन्ध में अपने विचार बता देगी।

श्री वैलायुधन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस समिति ने कितना खर्च किया और उसे अपनी रिपोर्ट लिखने में कितना समय लगा?

श्री किदवई : मैं यह बता सकता हूं कि समिति कितने समय तक कार्य करती रही। खर्च के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिए मैं पूर्व सूचना चाहता हूं। जिस अधिसूचना द्वारा समिति नियुक्त की गई थी वह ८ फरवरी १९५२ को निकाली गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह पहले प्रस्तुत की।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने सारी सिफारिशों को स्वीकार करने और उन्हें लागू करने का निश्चय कर लिया है?

श्री किदवई : जैसा कि मैंने कहा, समिति की रिपोर्ट कुछ दिन पहले प्राप्त हुई है। इस पर चर्चा करने में और निश्चय करने में समय लगेगा। परन्तु मेरा विचार है कि कुछ सप्ताह में हम समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में निश्चय कर लेंगे।

श्री नामधारी : यदि "भूमि सेनाओं" का संगठन किया गया तो क्या सरकार सहकारी फार्मों को अधिक अन्न उपजाने के लिए भूमि सम्बन्धी सुविधाएं देगी।

श्री किदवई : मेरी समझ में नहीं आता कि यह बात इस प्रश्न से किस प्रकार उत्पन्न होती है। परन्तु इस बात पर विचार किया जायगा।

रेलवे भांडार

*१४८१. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में खरीदे गये रेलवे सामान का कुल मूल्य और प्रत्येक रेलवे को कितने मूल्य का सामान दिया गया ;

(ख) ३१ मार्च १९५१ को प्रत्येक रेलवे के पास कुल कितने मूल्य का सामान था ;

(ग) क्या प्रत्येक वर्ष यह पड़ताल की जाती है कि यह सामान है या नहीं ;

(घ) क्या यह सामान एक रेलवे से दूसरी रेलवे के उपयोग के लिए हस्तान्तरित किया जा सकता है ;

(ङ) सन् १९५२-५३ में कुल कितने मूल्य का सामान खरीदने का विचार है ; और

(च) यह सामान किन देशों से खरीदे जाने का विचार है?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) ९३ करोड़ २२ लाख रुपये। यह अन्तिरिम आंकड़े हैं क्योंकि सन् १९५१-५२ का लेखा अभी बन्द नहीं ~~हुआ~~

है। रेलवे वार व्यौरा उस विवरण में दिया गया है जो कि सदन पटल पर रखा जा रहा है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३१**]

(ख) ५७ करोड़ ६९ लाख रुपये। भाग (क) में जिस विवरण की ओर संकेत किया गया है उसमें प्रत्येक रेलवे के सम्बन्ध में आंकड़े दिये गये हैं।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) ९८ करोड़ २८ लाख रुपये।

(च) मुख्यतः भारत और योरुप के देशों से।

श्री के० सी० सोधिया : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सन् १९५१-५२ में जिस सामान को कार्य के अयोग्य बताया गया था उसका कुल लगभग मूल्य क्या था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे उस प्रश्न के लिए पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

श्री वेंकटारमन : मैं जान सकता हूं कि क्या इस सामान में से कोई ऐसा भी है जो उपयोग के योग्य नहीं ? और खराब हो सकता है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं इस सम्बन्ध में बिल्कुल ठीक ठीक सूचना नहीं दे सकता। इस सब सामान की प्रत्येक वर्ष पड़ताल की जाती है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या यह सही है कि स्टोर (सामान) का एक ख़ासा हिस्सा बाहर पड़ा रहता है और उस को ठीक से न रखने की जगह न होने की वजह से वह सड़ता और सूखता है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है लेकिन अगर ऐसी हालत है तो कुछ खास दिक्कतों (कठिनाइयों) की वजह से ही होगी। फिर भी इसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार की काग़ज़ तथा लोहे की नलीदार चादरों जो कि बड़ी मात्रा में हैं, के उत्सर्जन के सम्बन्ध में क्या प्रस्थापनाऐं हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हमारा इनको खुले बाज़ार में बेच कर फौरन ही इनका उत्सर्जन करने का विचार नहीं है। पहली कार्यवाही हमने यह की है कि हम ऐसी प्रक्रिया बना रहे हैं कि सारे भारत की रेल एक दूसरे के ऐसे सामान का उपयोग कर सकें।

श्री नम्बियार : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, २०० वर्ष तक काम आने लायक सामान है या नहीं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि पड़ताल स्वयं अधिकारियों ने की थी या बाहरी लेखा परीक्षकों ने ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जैसा कि मैंने पहले कहा, दो रेलों के सम्बन्ध में इसको जांच अधिकृत लेखापालों ने की थी ; परन्तु दूसरी रेलों में यह कार्य स्वयं रेलवे अधिकारियों ने किया है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों में इस सम्बन्ध में कुछ कहा गया था कि इस पड़ताल के लिए बाहरी लेखा परीक्षकों को रखा जाय।

श्री एल० बी० शास्त्री : नहीं, परन्तु श्राफ समिति की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि कम से कम कुछ रेलों के सम्बन्ध में तो पड़ताल कर ही ली जाय जिससे कि भविष्य में यह पड़ताल उसी ढंग पर रेलवे अधिकारियों द्वारा की जा सके ।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि रेलवे विभाग ने कितना सामान प्रत्यक्ष खरीदा, कितना वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मार्फत और कितना संचरण विभाग की मार्फत ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस के लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी ।

अलीपुर में डाक तथा तार फैक्ट्री

*१४८३. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने अलीपुर डाक तथा तार फैक्ट्री को कहीं और ले जाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापित परिवर्तनों का ब्यौरा ; तथा

(ग) इस फैक्ट्री को दूसरे स्थान पर ले जाने में कितना खर्च होने का अनुमान है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जनजातियां (साक्षरता)

*१४८४. **श्री आर० बी० परमार :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न राज्यों की अनुसूचित जनजातियों में कितने प्रति शत साक्षरता हैं और

(ख) यह प्रतिशतता कहां सब से अधिक और कहां सब से कम है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख). यह सूचना अभी प्राप्त नहीं है ।

श्री आर० बी० परमार : क्या मैं जान सकता हूं कि संविधान के अनुसार दस वर्ष में आदिवासियों को समान दर्जे पर लाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है या बनाने की इच्छा रखती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस के बारे में आनरेबल मेम्बर ने अलग से कुछ क्वेश्चंस टेबिल किये हैं (प्रश्न रखे हैं) ऐसी बात है ?

श्री आर० बी० परमार : मैं ने तो नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : तो किसी दूसरे ने. किये होंगे ।

डा० काटजू : सवाल तो यह है या था कि परसेंटेज (प्रतिशतता) क्या है, जवाब यह है कि मालूम नहीं। अब मेरे दोस्त यह पूछ रहे हैं कि योजना बनी है। शायद आप को मालूम है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट्स (राज्य सरकार) ने शिक्षा के प्रबन्ध के लिये योजनायें बनाई हैं, और उन पर काम चल रहा है ।

श्री नटवरकर : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों की सहायता से इस देश की अनुसूचित जातियों में निरक्षरता के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रखी है ?

डा० काटजू : मेरा विचार है कि हम शान्ति प्रिय लोग हैं । हम निरक्षरता को दूर करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री बी० ऐस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि सरकार ने यह जानने के लिये कि अनुसचित जातियों में कितनी निरक्षरता है, क्या कार्यवाहियां की हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे आंकड़े नहीं चाहते, यह जानना चाहते हैं कि क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

डा० काटजू : मैं ने अभी कहा कि यथासम्भव शीघ्र, व्यवहार्य साधनों द्वारा निरक्षरता समाप्त करने की योजनायें बनाई गई हैं। मेरे माननीय मित्र को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार अनुदान देती है और राज्यों की सरकारें भी योजनाओं पर धन व्यय करती हैं। इन की प्रगति बहुत कुछ राज्य सरकारों तथा सामाजिक कल्याण का कार्य करने वालों के प्रयत्नों पर निर्भर है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं।

श्री बैलायुधन : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, श्रीमान् !

अध्यक्ष महोदय : ये प्रश्न इस विशिष्ट प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आते।

श्री बैलायुधन : यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : होगा परन्तु यह प्रश्न इस प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है। अगला प्रश्न।

श्री बैलायुधन : वह बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह तो अपनी अपनी राय का प्रश्न है। अगला प्रश्न।

मद्रास बन्दरगाह

*१४८६. **श्री एन० पी० दामोदरन** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मद्रास बन्दरगाह को और बड़ी बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना के लिए कोई राशि स्वीकार की गई है, और यदि हां तो कितनी ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना की दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में निम्नलिखित निर्माण कार्य सम्मिलित है जिन पर एक करोड़ १५ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है :

(१) उत्तरी घाट को सामान रखने तथा यात्रियों के ठहरने का स्थान बना देना ;

(२) पूर्वी घाट के दक्षिण में कोयले लाने वाले जहाज़ों के लिए एक नया बर्थ बनाना जिसे दक्षिण घाट ४ कहा जायगा ; तथा

(३) कच्ची धातुओं और ऐसे तेलों को जो खतरनाक न हों लादने तथा उतारने के लिए एक और बर्थ बनाना जिसे दक्षिणी घाट ३ कहा जायगा ; और दक्षिणी घाट ३ और ४ के नीचे नई स्पेन्डिंग बीच का निर्माण करना और लहरों का ज़ोर कम करने के लिए लगाये गये पूर्वी ढांचे और सैंड स्क्रीन

के बीच एक छोटा सा क्षत्र ठीक ठाक रके कच्ची धातु रखाने के योग्य बनाना।

दूसरी अवस्था में यह विचार है कि एक पानीदार गोदो बनाई जाय जिस में छै सौ फ़ुट लम्बे चार जहाज़ ३० फुट गहरे पानी में खड़े रह सकें और सहायक सेवाओं की व्यवस्था की जायगी।

योजना की इस अवस्था पर चार करोड़ ९० लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) जी हां। योजना के भाग क के लिए १ करोड़ १५ लाख रुपये। यह खर्च मद्रास पत्तन प्रन्यास अपने संसाधनों से पूरा करेगा।

श्री एन० पी० दामोदरन : क्या यह तथ्यहै कि मद्रास बन्दरगाह को इस प्रकार बड़ी बनाने से विश्व प्रसिद्ध मरीना बीच पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हमारी सूचना यह नहीं है।

श्री एन० पी० दामोदरन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि बन्दरगाह को और बड़ी बनाने का काम प्रारम्भ हो चुका है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अभी यह प्रारम्भ नहीं हुआ।

श्री एन० पी० दामोदरन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ? समय की कोई हद तो होनी चाहिये।

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं इस सम्बन्ध में ठीक ठीक सूचना नहीं दे सकता। परन्तु इस काम के प्रारम्भ हो जाने पर इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं पूछ सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि मद्रास नगर में, बन्दरगाह को दक्षिण की ओर बढ़ाने का बहुत अधिक विरोध किया गया था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : निस्सन्देह उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। परन्तु बन्दरगाह टेक्नीकल समिति ने मुख्य बन्दरगाहों के विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विचार किया था और उसने यह सिफ़ारिश की थी और हम उसी के आधार पर कार्य करने का विचार रखते हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि मद्रास विधान सभा में इस पर एक प्रश्न उठाया गया था और सरकार ने यह बचन दिया था कि वह वहां के सदस्यों के इस संबन्धी विचार, कि यदि बन्दरगाह को दक्षिण की ओर बढ़ाया गया तो क्या हानि होगी, केन्द्रीय सरकार को भेज देगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न, यह है कि उसे मद्रास सरकार की ओर से कोई सन्देह प्राप्त हुआ है जैसा कि सदन में बचन दिया गया था ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मुझे उस सम्बन्ध में पता नहीं, परन्तु मैं इस सम्बन्ध में पूछ ताछ करने को तैयार हूं।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि क्या कोचीन बन्दरगाह के विकास की योजना मद्रास बन्द्रगाह के विकास की योजना के साथ सम्बन्द्ध है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मेरा विचार है कि वह नहीं है। इन दो बन्दरगाहों का विकास तथा विस्तार अलग अलग किया जायेगा।

श्री वेंकटारमन : क्या सरकार को उतनी ही ज़ोरदार इस राय का भी पता है कि मद्रास बन्दरगाह में जितने जहाज़ आते हैं वहां खड़े नहीं हो सकते और इसलिये बन्दरगाह को बढ़ाना नितान्त आवश्यक है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह तो सूचना देने वाली बात है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह योजना मुख्य पत्तन विकास पषद् की सिफ़ारिशों के अनुसार लागू की जा रही है या इस में परिवर्तन कर दिया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जहां तक मझे पता है यह उस समिति की सिफ़ारशों के अनुसार लागू की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं।

तेल्लीचेरी-माकुट रेलवे लाइन

*१४८७. **श्री एन० पी० दामोदरन :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या तेल्लीचेरी को कुर्ग में से होकर मैसूर के साथ रेल द्वारा मिलाने की कोई प्रस्थापना थी ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार न कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ किया ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान, ऐसी रेल लाइन की आवश्यकता के सम्बन्ध में मद्रास के "मेल" तथा कालीकट के 'मथरा भूमि" नामक समाचार पत्रों में लिखे गये सम्पादकीयों की ओर दिलाया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि प्रस्थापित लाइन की पड़ताल तेल्लीचेरी से माकुट तक की गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में और कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री : (क) जी हां।

(ख) इस लाइन के बनाने के पर्याप्त कारण नहीं दिखाई पड़े।

(ग) इन सम्पादकीयों के प्रकाशित होने की तिथि न मालूम होने के कारण इन का पता नहीं लगाया जा सका।

(घ) जी हां।

(ङ) पड़ताल की रिपोर्टों का निरीक्षण करने पर, उस समय, वित्तीय कारणों के आधार पर इस योजना को स्थगित करने का निश्चय किया गया। इस क्षेत्र में पर्याप्त सड़कें हैं जिन पर बसें चलती हैं।

श्री एन० पी० दामोदरन : आज की बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार का तेल्लीचेरी को मैसूर से मिलाने के प्रश्न पर फिर विचार करने का विचार है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं, श्रीमान्।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार को मालूम है कि मैसूर तथा तेल्लीचेरी के बीच, कुर्ग हो कर, आने जाने वाला यातायात अधिक है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : सम्भव है कि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मुझ से अधिक जानते हों।

श्री नम्बियार : इस बात को देखते हुए कि इन दो स्थानों के बीच का रास्ता पहाड़ी प्रदेश में से हो कर जाता है और पहाड़ी प्रदेश में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं शहरों और बन्दरगाहों तक ले जानी होती हैं, क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रश्न पर फिर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह सब बातें तो सूचना देने तथा सुझाव रखने से सम्बद्ध हैं।

श्री वैलायुधन उठे—

अध्यक्ष महोदय : क्या वह वास्तव में सूचना चाहते हैं या उन को कुछ और तर्क देने हैं ?

श्री एन० पी० दामोदरन : मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि ऐसी लाइन मालाबार, कुर्ग और मैसूर के एक भाग की कृषि तथा उद्योगों के विकास के लिये बड़ी आवश्यक है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। मुझे खेद है कि मैं इन प्रश्नों के पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

टैपीओका

* १४८९. **जनाब अमजद अली :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कसावा को चावल के स्थान पर काम में लाने के सम्बन्ध में परीक्षण किया गया है ;

(ख) क्या पहले पहल यह परीक्षण त्रावनकोर कोचीन में किया गया और इस का क्या फल हुआ ;

(ग) कसावा से बनने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ क्या हैं ;

(घ) क्या आसाम में इस सम्बन्ध में परीक्षण किए जा रहे हैं और उसका क्या फल हुआ है;

(ङ) क्या सरकार का यह परीक्षण दूसरे राज्यों में भी करने का विचार है ; और

(च) आसाम तथा त्रावनकोर कोचीन की सरकारों को भारत सरकार द्वारा इस परीक्षण के लिय कितनी वार्षिक सहायता दी जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की, खाद्य प्रौद्योगकीय अनुसन्धान संस्था, बंगलौर ने कुछ परीक्षण किए हैं।

(ख) सन् १९५१ के प्रारम्भ में त्रिवेन्द्रम में परीक्षण के तथा प्रदर्शन के लिये एक छोटा सा संयंत्र लगा दिया गया था जिस से कि कसावा से बनावटी दान बनाने का ढंग दिखाया जा सके। यह पता चला है कि कुछ लोगों ने इसे पसन्द किया और कुछ ने इस की ओर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिये इस के परिणाम अनिर्णीत हैं।

(ग) सूखे टुकड़े, कसावा का निशास्ता या आटा, सूजी, सागो।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

(च) कुछ नहीं।

जनाब अमजद अली : प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि कसावा का खाद्य तत्व जानने के लिये कोई रसायनिक विश्लेषण किया गया है ?

श्री किदवई : जी हां, श्रीमान्।

जनाब अमजद अली : परिणाम क्या है ? चावल के साथ इस का क्या सम्बन्ध है ?

श्री किदवई : यह दावा किया जाता है, और विश्लेषण से भी यही मालम होता है कि इस में भी उतना ही पोषक तत्व है जितना कि चावल में।

कुमारी आनी मस्करीन : क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि कसावा से एक पौंड

बनावटी चावल तैयार करने पर कितना व्यय होता है ;

श्री किदवई : इस सम्बन्ध में तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है । परन्तु यदि कोई प्रश्न पूछा जाये तो मैं सूचना दे सकता हूं ।

कुमारी आनी मस्करीन : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि त्रावनकोर के लोगों को इस बनावटी चावल से शुद्ध कसावा अधिक स्वादिष्ट लगता है ?

अध्यक्ष महोदय : सूचना ग्रहण कर ली गई है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारत सरकार ने त्रावनकोर कोचीन को परामर्श दिया है कि त्रावनकोर कोचीन राज्य से कसावा के निर्यात की अनुमति न दे ?

श्री किदवई : मैं इस सुझाव पर विचार करूंगा ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या बनावटी चावल इतनी अधिक मात्रा में तैयार किया गया है कि बाज़ार में बिकने लगे ।

श्री किदवई : जी नहीं, श्रीमान् ।

शक्ति परिचालित पम्पों द्वारा सिंचाई

* १४९१. **जनाब अमजद अली :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन राज्यों के नाम जहां शक्ति परिचालित पम्पों से पानी को उठा कर सिंचाई की जाने लगी है ;

(ख) ऐसे प्रत्येक राज्य को भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कितनी सहायता दी जाती है ; और

(ग) भारत सरकार का और कौन से राज्यों में इस प्रकार सिंचाई प्रारम्भ करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ख). शक्ति परिचालित पम्पों से पानी को ऊपर उठाकर की गई सिंचाई लगभग सभी राज्यों में की जाती है । इस सिंचाई के लिये १९५२-५३ में राज्यों को जो वित्तीय सहायता दी गई, उस सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३२**]

(ग) दूसरे राज्यों की वित्तीय सहायता की प्रार्थनाएं भी जब प्राप्त होंगी उन पर विचार किया जायगा ।

जनाब अमजद अली : क्या सरकार को आसाम सरकार से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है ?

श्री किदवई : आसाम को कुछ अनुदान दिया गया है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मद्रास सरकार ने मद्रास के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र भेजा है ?

श्री किदवई : मद्रास भी उन राज्यों की सूची में है जिन्हें अनुदान तथा ऋण दोनों दिये गए हैं ।

मदुरा-बोदीनायक्कनूर रेलवे लाइन

* १४९३. **श्री के० एस० गौंडर :** क्या **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मदुरा-बोदीनायक्कनूर रेलवे लाइन को, जो उखाड़ ली गई थी, फिर से लगाने का काम प्रारम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह काम इस समय किस अवस्था में है ; और

(ग) इस के कब समाप्त होने की आशा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां।

(ख) इस लाइन को फिर से लगाने के प्रारम्भिक कार्य अक्तूबर १९५१ में प्रारम्भ किये गये थे और समाप्त होने को हैं। लाइन को वास्तव में मिलाने का काम १५ जुलाई, १९५२ तक प्रारम्भ हो जायेगा

(ग) लाइन को फिर से लगा देने का काम १९५३-५४ में समाप्त होने की आशा है।

श्री कण्डासामी ने तामिल में एक प्रश्न पूछा।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न को लेता हूं। वह चाहें तो अपने प्रश्न का अनुवाद कर दें।

श्री नम्बियार : मैं इस का अनुवाद कर दूंगा।

श्री सी० आर० नरसिंहन : मैं इस का अनुवाद कर दूं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। अगला प्रश्न।

आलू की खेती

*१४९४. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में कितने एकड़ भूमि में आलू की खेती की गई थी ;

(ख) चालू वर्ष में इस भूमि में कोई वृद्धि होगी ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग). आलू के सम्बन्ध में १९५१-५२ के अन्तिम प्राक्कलन, अक्तूबर १९५२ में प्राप्त होंगे। और सन् १९५२-५३ की आलू की फ़सल अक्तूबर-नवम्बर १९५२ में ही बोई जानी प्रारम्भ होगी। इसलिये, न तो सन् १९५१-५२ के प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया गया है और न ही इस समय यह कहा जा सकता है कि सन् १९५२-५३ में कितने एकड़ भूमि पर आलू बोया जायगा।

सन् १९५१-५२ के आलू के पहले प्राक्कलन के अनुसार ५ लाख २३ हज़ार एकड़ भूमि में आलू की फसल बोई गई थी और यह भूमि सन् १९५०-५१ के पहले (समायोजित) प्राक्कलन से ५००० एकड़ अधिक थी।

श्री एम० इस्लामुद्दीन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि किस राज्य में सब से अधिक मात्रा में आलू उत्पन्न होता है और किस राज्य में सब से अच्छा आलू उत्पन्न होता है।

श्री किदवई : मेरे पास राज्यवार आंकड़े नहीं हैं परन्तु मेरा विचार है कि बिहार में सब से अधिक मात्रा में आलू उत्पन्न होता है।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार द्वारा आलू की खेती बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

श्री किदवई : आलू के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है। आप जितनी मात्रा में चाहें बाज़ार से आलू खरीद सकते हैं। समस्या यह है कि इस की किस्म सुधारी जाय। इस के लिए सरकार की अनुसंधान संस्थाएं हैं और उन्हों ने किसानों को अच्छे प्रकार के आलू उत्पन्न करने में सहायता देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

बम्बई में अन्न को ठीक ढंग से गोदामों में न रखा जाना

श्री पाटसकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में उतारा गया अमरीकी गेहूं का काफ़ी बड़ा भाग ठीक ढंग से गोदामों में न रखे जाने और भारी वर्षा के कारण खराब हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षति को रोकने तथा अन्न को ठीक तरह गोदामों में रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है या की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) १३ जून, १९५२ को जब कि एक घण्टे में साढ़े चार इंच वर्षा पड़ी थी, सेवरी में स्थित गोदामों की छत्तों और नीचे की नालियों से पानी आ गया और बोरों के नीचे के भाग गीले हो गए हालांकि उन पर मोमजामा डाला हुआ था। गीले अनाज को सुखा कर खाने योग्य बनाया जा रहा है परन्तु यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग ६० टन अनाज तो खराब ही रहेगा। इस गोदाम में अनाज रखना पड़ा क्योंकि अन्य गोदामों में जगह नहीं थी और अब इसे खाली कर दिया गया है ।

माननीय सदस्य को पता है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के पास गोदामों की कमी रही है, काफ़ी अधिक गोदाम प्राप्त करने पड़े या किराये पर लेने पड़े । इन में से कुछ गोदामों की मरम्मत करनी पड़ी। इस बात का भरसक यत्न किया जा रहा है कि मरम्मत अच्छी प्रकार की जाय। मैंने गोदाम विशेषज्ञों की एक टोली नियुक्त की है जो उन गोदामों में जाते हैं जहां बड़ी मात्रा में अन्न रखा जाता है, जिससे कि वे गोदामों की स्थिति को फौरन ही सुधारने में सहायता दे सकें ।

श्री पाटसकर : क्या वर्षा प्रारम्भ होने से पहले इन गोदामों की मरम्मत की गई थी ?

श्री किदवई : वर्षा प्रारम्भ होने से पहले ही ये गोदाम प्राप्त किए गए थे या किराए पर लिए गए थ ।

श्री जोशिम अलवा : क्या यह सच है कि आप के पूर्वाधिकारी ने तीन नए गोदाम बनाने की आज्ञा दी थी और ३ गोदाम बनाए गए थे और क्या वे माल रखे जाने योग्य नहीं हो गए थे ?

श्री किदवई : यह सच है कि जब हमें पता चला कि हमारे पास इतना माल है कि हमारे प्रस्तुत गोदामों में नहीं समा सकता, कुछ गोदाम जल्दी जल्दी किराए पर लिए गए या प्राप्त किये गये और तीन नए गोदाम बनाने की आज्ञा दी गई ।

श्री दाभी : क्या किराए पर लिए गए इन गोदामों में अन्न रखने से पहले इन का उचित रूप से निरीक्षण किया गया ?

श्री किदवई : हमारी पसन्द की बात नहीं थी और हमें जो भी गोदाम मिला लेना पड़ा, इस आशा से कि हम उन की मरम्मत करके उन्हें अन्न रखने योग्य बना सकेंगे ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या मैं यह जान सकता हूं कि कुल कितना अनाज खराब हुआ ?

श्री किदवई : मैंने कहा तो कि लगभग ६० टन।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस मामले में सम्बद्ध अधिकारियों ने किसी लापरवाही से काम लिया ?

श्री किदवई : मैं ने कहा है कि अनाज की मात्रा इतनी अधिक होने के कारण, जो कि उस समय हमारे पास गोदामों में नहीं समा सकती थी, हमें कुछ गोदाम लेने पड़े और हमें वे जिस भी दशा में थे, लेने पड़े। इन में अधिकतर गोदाम सन्तोषजनक हैं, परन्तु, जैसा कि मैं ने कहा विशेषज्ञों का एक दल प्रत्येक गोदाम को जाकर देख रहा है कि उस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा सकती है।

श्री बी० एस० मूर्ति : मेरा प्रश्न तो यह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया तो है कि परिस्थितियों के कारण उन्हें विवश होकर, जो भी गोदाम मिला, लेना पड़ा। उनकी पसन्द की तो बात ही नहीं थी। उन्होंने अपने उत्तर के पहले भाग में यही कहा है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि सम्बद्ध व्यक्तियों को वर्षा पड़ने की आशा थी और क्या कोई लापरवाही बरती गई है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। आप का प्रश्न लापरवाही के सम्बन्ध में था। अब आप इसे कुछ भिन्न रूप में रख रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार यह नहीं कर सकती थी कि जिस दिन यह ६० टन गेहूं भीग गया था उसी दिन यह लोगों में बांट दिया जाता ?

श्री किदवई : भारी वर्षा के फ़ौरन ही बाद गोदाम का निरीक्षण किया गया और यह मालूम हुआ कि सारा अनाज खराब नहीं हुआ है। पानी नीचे से आया और उस से कुछ गेहूं गीला हो गया। यह गीला गेहूं फौरन निकाल लिया गया।

श्रीमती जयश्री : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकती हूं कि यह गीला गहूं मनुष्यों के खाने योग्य रह गया था ?

श्री किदवई : उस का जो भाग खाने योग्य था वह फौरन निकाल लिया गया और बांट दिया गया। ६० टन गेहूं तो किसी भी काम का नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बम्बई के गोदामों में अन्न की कितनी मात्रा रखी गई है ?

श्री किदवई : मुझे इसके लिए पूर्व-सूचना की आवश्यकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

यात्रियों को सुविधाएं

***१४७३. सेठ गोविन्द दास :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ में सारी रेलों पर यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने में कितनी राशि व्यय की गई ?

(ख) सुविधाओं की मुख्य मदें क्या हैं ?

(ग) क्या प्लेटफार्मों और यात्रियों के प्लेटफार्मों के ऊपर शैडों की व्यवस्था भी सुविधाओं में गिनी जाती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) १९५१-५२ में अब तक २,३५,२८,००० रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई है।

(ख) १९५१-५२ में दी गई सुविधाओं की मुख्य मदों का ब्यौरा "टुवर्ड्स बैटर कन्डीशंस आफ़ ट्रैवल" (सुविधाजनक यात्रा

की ओर) नामक पैम्फलट (पुस्तिका) में दिया गया है जो कि सदन के सदस्यों को आयव्ययक के पत्रों के साथ दिया गया था ।

(ग) यात्रियों के प्लेटफार्मों के ऊपर शैड लगाना, सुविधा में गिना जाता है परन्तु किसी प्रस्तुत स्टेशन में यात्रियों के नए प्लेटफार्म बनाना सुविधाओं में नहीं गिना जाता । यात्रियों के प्रस्तुत प्लेटफार्मों को बड़ा ऊंचा या चौड़ी बनाना और उन का स्तल बनाना तो यात्रियों को सुविधाएं देने के कामों में गिने जाते हैं ।

मध्यम श्रेणी और तीसरी श्रेणी के डब्बे

*१४७४ **सेठ गोविन्द दास** : (क) क्या रेल मंत्री मध्यम श्रेणी और तीसरी श्रेणी के डिब्बों में अब तक लगाए गए पंखों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) मध्यम श्रेणी और तीसरी श्रेणी के कितने डिब्बों में अभी पंखे लगने बाकी हैं ?

(ग) क्या कोई ऐसा कार्यक्रम निश्चित किया गया है, जिसमें यह लक्ष्य रखा गया हो कि इतने समय के भीतर तीसरी श्रेणो के सभी डब्बों में पंखे लगा दिए जायेंगे, और यदि रखा गया है तो कितना ;

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) मध्यम श्रेणी में लगभग ४,६०० और तीसरी श्रेणी में लगभग १२,४०० ।

(ख) जो डिब्बे पंखे लगाने के लिए चुने गए हैं, उनमें से मध्यम श्रेणी के लगभग ३०० डिब्बे और तीसरी श्रेणी के लगभग २००० डिब्बे । जिन डिब्बों का प्रयोग शीघ्र ही बन्द किया जाना है उन में पंखे लगाने का विचार नहीं है ।

(ग) डिब्बे मरम्मत आदि (ओवर-हाल) के लिए आते हैं तो उन में पंखे लगा दिये जाते हैं । कमीं के कारण, केवल पंखे लगाने के लिए ही उन्हें गाड़ियों से अलग नहीं किया जाता । नए डिब्बों में नये सुधारे गए स्तर के अनुसार सभी कुछ होता है—अर्थात् प्रत्येक डिब्बे में १२ पंखे, रोशनी का अच्छा प्रबन्ध, पाखाने आदि और दूसरी सुविधाएं ।

पर्यटक

*१४७७. **सेठ गोविन्द दास** : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१ में और इस वर्ष में अब तक विदेशों से भारत में आय पर्यटकों की संख्या क्या है ?

(ख) इस स्रोत से अर्जित डालरों की राशि क्या है ?

(ग) पर्यटकों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं और देश के विविध भागों में स्थित पर्यटक कार्यालयों के ऊपर कितना व्यय होता है ?

(घ) क्या पर्यटकों को ले जाने के लिए भारत सरकार के पास विशेष बसें हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) सन् १९५१ में लगभग २०,००० पर्यटक और सन् १९५२ के पहले चार महीनों में ७,२३५ पर्यटक ।

(ख) आप का ध्यान तारांकित प्रश्न संख्या १४४ के सम्बन्ध में २० फरवरी १९५२ को दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(ग) सरकार द्वारा जो सुविधायें दी जाती हैं उन में पर्यटक सूचना कार्यालय, पर्यटक साहित्य और गाइडों की सेवायें

सम्मिलित हैं। विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए सीमा पर किये जाने वाले निरीक्षण आदि को और सादा बना दिया गया है और उन्हें पर्यटक परिचय-कार्ड दिये जाते हैं। इस से उन को शीघ्र ही सीमा शुल्क निरीक्षण करवाने, रेल में सीटें आदि सुरक्षित कराने और डाक बंगलों से स्थान प्राप्त करने में विशेष सहायता मिलती है।

प्रादेशिक पर्यटक कार्यालयों पर सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में क्रमानुसार १,०४,९८५ रुपये और १,२५,२०० रुपये खर्च किए गए।

(घ) नहीं।

रानाघाट-लालगोलाघाट रलवे लाइन

*१४८५. **श्री टी० के० चौधरी:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि ईस्टर्न रेलवे की स्याल्दा डिवीजन की रानाघाट-लालगोलाघाट ब्राँच लाइन को पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में, लालगोला से परे जंगीपुर तक बढ़ा दिया जाय, जिस से कि जंगीपुर रेल द्वारा कलकत्ते से मिल जाय ;

(ख) उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ होने की आशा है; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में जंगीपुर के स्थानीय लोगों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

कागज़ मिलें

*१४८५. **श्री झुनझुनवाला** : (क) क्या सरकार को पता है या इस बात की ओर उसका ध्यान दिलाया गया है कि विशेष प्रकार का कागज़ और गत्ता बनाने वाली कुछ मिलों के पास ऐसा बहुत सा माल इकट्ठा हो गया है और उनका उत्पादन घट गया है क्योंकि उन्हें ऐसे कागज़ और गत्ते को भेजने के लिये मालगाड़ी के डिब्बे नहीं मिलते।

(ख) रेलों द्वारा, सम्बद्ध मिलों को उन के लिये कम से कम आवश्यक डिब्बे देने के लिये, जिस से कि कम से कम उत्पादन तो बिना रुके चलता रहे, क्या कार्यवाही की गई है या की जाने का विचार है।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): (क) जी हां, हाल ही में इस सम्बन्ध में, रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड डालमियां नगर और उस की ओर से इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स और इंडियन पेपर मिल्स असोसिएशन कलकत्ता के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(ख) कागज़ तथा गत्ते के साथ, उन के तैयार वस्तुएं होने के कारण, रेलवे बोर्ड के दिनांक १६ जून १९५२ के सामान्य आदेश संख्या ७ के अन्तर्गत, जो कागज़ तथा गत्ते की फैक्ट्रियों सहित कुछ उद्योगों की तैयार वस्तुओं के सम्बन्ध में है, "अधिमान्य यातायात" का सा बर्ताव किया जाता है। रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने जो डिब्बे मांगे हैं वे वाल्टेयर से होकर दक्षिण को और बल्लड़शाह से होकर सिकन्दराबाद को (मुर्शिदाबाद आउट एजेंसी के लिये) जाने के लिये हैं। इन स्थानों को जाने के लिये प्राप्य डिब्बों की संख्या सीमित है और ये विभिन्न प्रकार के आवश्यक यातायात में

बांटे जाते हैं। इस बात पर विचार किया जा रहा है कि उन का यातायात आजकल जितना है उस से अधिक किया जा सकता है या नहीं।

मध्य प्रदेश में रूई का उत्पादन

*१४८८. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य प्रदेश में सन् १९५१-५२ के मौसम में कितने एकड़ भूमि में रुई की खेती की जा रही थी ;

(ख) उसी वर्ष में कितनी रुई उत्पन्न हुई; और

(ग) मध्य प्रदेश में उत्पन्न ी जाने वाली लम्बे रेशे की रूई के प्रकार ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सन १९५१-५२ के सम्बन्ध में कपास के अन्तिम प्राक्कलन अभी प्राप्य नहीं है। चौथे प्राक्कलन के अनुसार १९५१-५२ में मध्य प्रदेश में ३० लाख २१ हजार एकड़ भूमि पर रूई की फसल बोई गई थी।

(ख) चौथे प्राक्कलन के अनुसार लिंट रुई की ६ लाख ९१ हज़ार गांठें उत्पन्न हुई जब कि प्रत्येक गांठ का भार ३९२ पौंड था।

(ग) मध्य प्रदेश वेरुम कम्बोदिया और बूरी की एच ४२० ।

राजस्थान में डाकघरों का एकीकरण

* १४९५ **श्री बलवन्त सिन्हा महता** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि राजस्थान म डाकघरों के एकीकरण को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

(ख) कब इस के पूरा किये जाने की आशा है।

(ग) डाकघरों के एकीकरण से पहले वहां कितने डाकघर थे।

(घ) क्या वे सब ठीक ठाक थे या नहीं ; और

(ङ) उन को अपन हाथ में लेन के बाद कितने नए डाकघर खोले गये ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) २६४।

(घ) जी नहीं, भूतपूर्व राज्यों के कुछ डाकघर जो भारतीय संघ के डाकघरों के अतिरिक्त वर्त्तमान थे, बन्द कर दिये गये हैं।

(ङ) २८५ गांवों में और ८ नगरों में।

प्रति-एकड़ मध्यमान उपज

३४१. **श्री एन० एल० जोशी** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** गत चार वर्षों में प्रत्येक राज्य में हुई प्रत्येक पदार्थ की प्रति एकड़ मध्यमान उपज बतलाने की कृपा करेंग ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): एक विवरण जिस में पिछले चार वर्षों में विभिन्न फसलों की प्रति एकड़ मध्यमान उपज दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है [**दखिय परिशिष्ट ७, उपबन्ध संख्या ३३**]

विदेशियों के बागान

३४२. **श्री दातार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मैसूर, कुर्ग, मद्रास और ट्रावन-कोर कोचीन के राज्यों में विदेशियों के कितने बागान हैं ;

(ख) इन बागों का कुछ अधिमान तथा मूल्य ;

(ग) उक्त प्रत्येक राज्य में उन द्वारा लगाई गई पूंजी ; और

(घ) क्या भारत सरकार उन से कोई विशेष व्यवहार करती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) से (ख). २३ मई १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५१ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करने की प्रार्थना की जाती है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

३४३. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कटियार में रेलवे कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की प्रस्तुत संख्या ;

(ख) प्रस्तुत कर्मचारियों के रहने के लिये आवश्यक क्वार्टरों की संख्या ;

(ग) कितने क्वार्टरों की व्यवस्था करन का विचार है ;

(घ) इन को बनाने का काम प्रारम्भ किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस के कब तक पूरा होने की आशा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) ११६६।

(ख) यदि प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को क्वार्टर दिया जाय, तो ३४०९ क्वार्टरों की आवश्यकता है। कुछ कर्मचारियों ने रहने के लिये मकानों का स्वयं प्रबन्ध कर रखा है और उन्हें क्वार्टरों की आवश्यकता नहीं है।

(ग) सन् १९५१-५२ के कार्यक्रम में ७४ क्वार्टर बनाने की व्यवस्था की गई थी । सन् १९५२-५३ के कार्यक्रम में ७० बनाने की व्यवस्था है और १९५३-५४ के कार्यक्रम में ५० क्वार्टर बनाने की व्यवस्था करने का विचार है ।

(घ) तथा (ङ). सन् १९५१-५२ के कार्यक्रम में जो ७४ क्वार्टर बनाने की व्यवस्था की गई थी, उन का निर्माण समाप्त होने को है। जिन क्वार्टरों का निर्माण चालू वर्ष के कार्यक्रम में है उन का निर्माण ३१ मार्च १९५३ तक समाप्त होने की आशा है ।

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन

३४४. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन चलाने के लिये कितनी राशि स्वीकार की गई थी ?

(ख) क्या सारी राशि खर्च कर दी गई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) १९५०-५१ में १४ करोड़ ८७ लाख रुपये ऋण के रूप में और दस करोड़ ३७ लाख रुपये अनुदान के रूप में और १९५१-५२ में दस करोड़ ९५ लाख रुपये के ऋण और ७ करोड़ ४५ लाख रुपये के अनुदान ।

(ख) यह सूचना अभी प्राप्य नहीं है । परन्तु यह बात तो समझ लेनी चाहिए कि स्वीकृत राशियों का काफी बड़ा भाग तो राज्यों की सरकारों ने खर्च कर दिया होगा ।

चिकित्सा संस्थाएं

३४५. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) पिछले तीन वर्षों में (प्रत्येक वर्ष के हिसाब से) केंद्रीय सरकार ने चिकित्सा संस्थाओं पर कितनी राशि व्यय की ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को दी गई राशि ; और

(ग) भारत में चिकित्सा संस्थाओं की संख्या ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) यह मान कर कि यह सूचना केवल चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा संस्थाओं के बारे में मांगी गई है, यह सूचना देने वाला एक विवरण साथ दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(ख) कुछ नहीं।

(ग) भारत में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा संस्थाओं की सूची भी साथ दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ३५]**

रलवे की तृतीय श्रेणी की सेवाओं में रिक्त स्थान

३४६. **श्री पी० एल० कुरील :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५१ में रेलों में तृतीय श्रेणी सेवाओं में कितने रिक्त स्थान थे ;

(ख) कितने स्थानों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और एंगलो-इंडियन लोगों को रखा गया ;

(ग) भाग (ख) में उल्लिखित जातियों के लिये सुरक्षित स्थानों का कोटा जो पिछले वर्ष से इस वर्ष में डाला गया ;

(घ) उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने इन स्थानों के लिये प्रार्थना-पत्र दिये।

(ङ) भाग (ख) में उल्लिखित जातियों के कितने उम्मीदवार चुने गये ; और

(च) यदि चुने गये उम्मीदवारों की संख्या सुरक्षित कोटे से कम थी तो क्या इन जातियों की प्रतिनिधि संस्थाओं से उम्मीदवार देने को कहा गया जैसा कि गृह मंत्रालय के आदेश के अधीन उपेक्षित है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : (क) से (च). यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिल जाने पर सदन पटल पर रख दी जायगी।

Pss, S, 18, III, 1, 52,
285

अंक ३

संख्या १

शुक्रवार

४ जुलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

1st Lok Sabha (First Session)

हिन्दी संस्करण

Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही

विषय-सूची

समिति के निर्वाचिन—

केन्द्रीय पुरातत्व परामर्शदात्री पर्षद् [पृष्ठ भाग २४२७]

अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् [पृष्ठ भाग २४२७—२४२८]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट [पृष्ठ भाग २४२८]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कोर्ट [पृष्ठ भाग २४२८—२४२९]

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् [पृष्ठ भाग २४२९—२४३०]

विनियोग (रेलवेज) संख्या २ विधेयक—पारित [पृष्ठ भाग २४३०—२४३५]

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित [पृष्ठभाग २४३५—२४७७]

सारभूत वस्तुयें (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक—प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर चर्चा असमाप्त [पृष्ठ भाग २४७७—२४९२]

(मूल्य ६ आने)

391 PSD

लोक सभा

शुक्रवार, ४ जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे ।]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-२० म० पू०

समितियों के निर्वाचन

केन्द्रीय पुरातत्व परामर्शदात्री पर्षद्

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : मैं तहरीक (प्रस्ताव) करता हूं :

"कि यह हाउस (सदन) एक ऐसे ढंग से जो स्पीकर (अध्यक्ष महोदय) ठहरा दें तीन मम्बरों को चुने। यह मैम्बर सैंट्रल एडवाइज़री बोर्ड आफ आकैलोजी (केन्द्रीय परामर्शदात्री पर्षद्) में जो गवर्नमेंट आफ इंडिया (भारत सरकार) ने बनाई है उस के मैम्बर की हैसियत से काम करेंगे ।"

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद्

मौलाना आजाद : मैं तहरीक (प्रस्ताव) करता हूं :

"कि यह हाउस (सदन) एक ऐसे ढंग से जो स्पीकर (अध्यक्ष महोदय) ठहरा दें अपने अन्दर से दो मैम्बर

चुने— यह दोनों मैम्बर आल इंडिया कउनसिल फ़ार टैकनीकल एजूकेशन (अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद्) में उस के मैम्बर की तरह तीन बरस तक काम करेंगे । उन की मैम्बरी (सदस्यता) २९ अप्रैल, १९५२ में खत्म हो जायेगी ।"

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट

मौलाना आजाद : मैं तहरीक (प्रस्ताव) करता हूं :

"कि मुस्लिम यूनीवर्सिटी (विश्व-विद्यालय) अलीगढ़ की रिवाइज़्ड (पुनरीक्षित) स्टेट्यूटस (परिनियमों) के स्टेट्यूट्स (परिनियम) ८ के क्लाज़ (खण्ड) (१) की आइटम (मद) (१८) के मातहत (अनुसार) यह हाउस (सदन) एक ऐसे तरीके से जो स्पीकर (अध्यक्ष महोदय) ठहरा दें दो मैम्बरों को चुने । यह दोनों मैम्बर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोर्ट में उस के मैम्बर की तरह पांच बरस तक काम करेंगे ।"

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कोर्ट

मौलाना आजाद : मैं तहरीक (प्रस्ताव) करता हूं :

"कि हिन्दू यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय)

[मौलाना आज़ाद]

बनारस के रिवाइज़्ड (पुनरीक्षित) स्टेट्यूट्स (परिनियमों) के स्टेट्यूटस (परिनियम) १४ के क्लाज़ (खण्ड) (१) के आइटम (मद) (२७) के मुताबिक (अनुसार) एक ऐसे तरीक़े से जो स्पीकर (अध्यक्ष महोदय) ठहरा दें दो मैम्बरों को चुने--यह बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी कोर्ट में उस के मैम्बर की तरह पांच बरस तक काम करेंगे।"

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान् परिषद्

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सदन भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् की शासिका समिति में नियुक्त किये जाने के निमित्त, अपने सदस्यों में से दो सदस्यों का ऐसी रीत से जिसे कि अध्यक्ष महोदय निश्चित करें, चुनाव करे।"

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह सूचित करना है कि इन समितियों के लिये नाम निर्देशन प्राप्त करने और यदि आवश्यक हो तो निर्वाचन करने के लिये यह तिथियां निश्चित कीगई हैं :

नाम निदशन की तिथि	निर्वाचनकी तिथि
१. केन्द्रीय पुरातत्व परामर्शदात्री पर्षद्	७-७-१९५२
२. अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद्	२०-७-१९५२
३. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट	८-७-१९५२
४ बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय कोर्ट	११-७-१९५२
५. भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्	

विनियोग (रेलवेज़) संख्या २ विधेयक

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वर्ष १९५२-५३ में रेल सेवा में व्यय के निमित्त भारत की सूचित निधि में से कतिपय अंग्रेतर धनराशियों के शोधन तथा विनियोग को अधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री ऐल० बी० शास्त्री : यह स्थिति मैं ने कल स्पष्ट कर दी थी। इस विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में विचारार्थ मुझे किसी बात का सुझाव नहीं दिया गया। दूसरे विधेयक के सम्बन्ध में जो बातें हैं उन पर तब विचार किया जायगा जब उस विधेयक पर विचार होगा।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): कल आपने विनियोग विधेयक की चर्चा के समय हाउस आफ कामन्स (बृटिश लोक सभा) की प्रथा का निर्देश किया था। क्या मैं हाउस आफ कामन्स एट वर्क नामक पुस्तक में दी हुई प्रथा की ओर आप का ध्यान दिला सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि मैं ने तथा संसद् सचिवालय ने उस पुस्तक को विस्तार पूर्वक पढ़ा है। मैं ने जो प्रथा बताई है वह ठीक है। यद्यपि हाउस आफ कामन्स की प्रथा हमारे कार्यों

में बहुत सहायक होगी किन्तु हमें सभी मामलों में उनका अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं। हम उस प्रथा के सामान्य सिद्धांतों को इस लिये मानते हैं क्योंकि उससे हमें प्रजातंत्रात्मक प्रणाली की कार्यपद्धति का पता लगता है। किन्तु समय के अनुसार यह प्रथायें भी बदलती रहती हैं। मुख्य बात यह है कि हम उसी वाद-विवाद को दुहराते नहीं। सार्वजनिक महत्व की जिन बातों पर चर्चा नहीं हुई उन की चर्चा होगी तब ये मामले भिन्न रूप में हो जायेंगे। मैंने कल विरोधी दल के सदस्यों से अपना दृष्टिकोण रखने के लिये कहा और उन्होंने वे बातें कहीं। जो माननीय सदस्य इस बात को रेलवे विनियोग विधेयक में उठाना चाहते हैं, वे भी उसमें सम्मिलित थे। अतः इस विधेयक पर अब कुछ नहीं कहा जाना है। मैं समझता हूं कि इस औचित्य प्रश्न को उठाने में कोई लाभ नहीं।

श्री एस० एस० मोरे : मैं चाहता हूं कि हमें संविधान में दिये गये नियमों के अनुसार यहां चर्चा करने की स्वतंत्रता हो। उसमें एक अनुच्छेद में विनियोग विधेयक का निर्देश प्रक्रिया के नियमों में भी सदस्यों के चर्चा करने के अधिकार पर किसी प्रतिबन्ध का उल्लेख नहीं है। हाउस आफ कामन्स में भी सदस्यों को संगत विषयों पर चर्चा करने दी जाती है। इस लिये मेरा आप से निवेदन है कि आप इन बातों पर चर्चा करने दें। मैं चाहता हूं कि हम में अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर और चर्चा आवश्यक नहीं है। मैं सदन के प्रत्येक सदस्य को वाद-विवाद में भाग लेने का निष्पक्ष रूप से समान अवसर देना चाहता हूं और भाषण की पूर्ण स्वतन्त्रता देना चाहता हूं। यदि किसी सदस्य से किसी बात को न दुहराने के लिये कहा जाय तो इसमें उसके अधिकारों को कैसे प्रतिबन्धित किया जाता है यह मैं समझ नहीं पाता। सदस्यों के क्या अधिकार या स्वतंत्रता है, मैं इस प्रश्न पर नहीं जाना चाहता। अतः इसको ध्यान में रखते हुए, मैं किसी सदस्य की इच्छानुसार चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता। उन्हें अन्य सदस्यों की सुविधा के अनुसार चलना चाहिये। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि वे बातें कौन सी हैं, क्योंकि वाद-विवाद को नियमित रूप से चलाना अध्यक्ष का उत्तरदायित्व है। इस मामले में किसी सदस्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं। अध्यक्ष को ही सदस्यों के वाक् स्वातंत्र्य की रक्षा करनी होती है। अतः जो बात सदस्य कहें उसका कुछ ज्ञान मुझे भी होना चाहिये। अन्यथा, यदि मैं ऐसा न करूं तो कोई भी सदस्य यह कह सकता है कि मुझे एक नई बात कहनी है। और यदि वे वही बात दुहरायें तो यह समय को व्यर्थ करना है। माननीय सदस्य ने जिन नियमों का उल्लेख किया मैं उनका निर्देश नहीं करना चाहता। किन्तु मैं उनका ध्यान प्रक्रिया के नियमों के नियम २७९ की ओर दिलाता हूं जिसमें यह है कि इन नियमों में जो बातें नहीं दी गई हैं वे तथा इन नियमों से सम्बन्धित सब प्रश्न अध्यक्ष महोदय द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

सब बातों को निश्चित करने वाली कोई विस्तृत संहिता नहीं बन सकती। किसी एक व्यक्ति को इसके लिये अपने स्वविवेक से कार्य करना होगा। रेलवे विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा कि वे इसकी चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते। मैं उन्हें यह अधिकार देता हूं किन्तु प्रथा के सम्बन्ध में मैं अपनी बात पर दृढ़ हूं।

दुर्भाग्यवश, इस मामले में माननीय सदस्य को देर हो गई है। मैंने कल पूर्वसूचना मांगी। उन्हें अगले वर्ष अवसर मिलेगा।

श्री नम्बियार (मयूरम) : मद्रास में हड़ताल हो रही है.....

अध्यक्ष महोदय : इससे हमारा सम्बन्ध नहीं है। सदन के हित में हमें कुछ उदाहरण रखने चाहियें। यह सब समय के लिये किसी प्रथा को स्थापित करने का प्रश्न नहीं है। हमें सदस्यों की सुविधा तथा आसुविधा का ध्यान रखना चाहिये। मैं माननीय सदस्य की असुविधा को समझता हूं और उन के तर्क से प्रभावित भी हूं। अब मैं प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूं.....

श्री नम्बियार : आपने नई बात कहने की अनुमति देने के लिये कहा था.....

अध्यक्ष महोदय : मैं ने ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की थी। मैं उन की बातों को महत्वपूर्ण नहीं समझता। उन्हें पूर्वसूचना देनी चाहिये थी। उनके मित्र उनकी अनुपस्थिति में ऐसा कर सकते थे। और जो काग़ज़ मेरे पास आया वह विरोधी दल के सभी सदस्यों के परामर्श के बाद आया। अतः इस समय ऐसी बात उठानी मुझे ठीक नहीं लगती। उन्हें सदन का समय व्यर्थ नहीं करना चाहिये।

श्री धुलेकर (जिला झांसी—दक्षिण) : आपने कहा कि विरोधी दल अपनी नई बातें कह सकता है। क्या हमारे दल के सदस्य अपनी बात नहीं कह सकते ?

अध्यक्ष महोदय : बहुमत दल की बात तो सरकार ही कह देती है।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर): श्रीमान् क्या आप का निर्णय भविष्य के लिये पूर्व-दृष्टान्त समझा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा विनिर्देश तो सन् १९५० से दे रहा हूं।

श्री के० के० बसु : संसद् का स्वरूप तो बदल गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसका स्वरूप नहीं बदला है। केवल सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। इस के सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैंने सरसरी तौर पर नियमों को देखा और मालूम हुआ कि नियम १९२ में यह दिया हुआ है कि विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में प्रक्रिया अन्य विधेयकों के समान होगी और ऐसा संशोधन हो सकता है जैसा अध्यक्ष महोदय ठीक समझें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को मानता हूं। बिना किसी नई बात के विनियोग विधेयक पर चर्चा करना समय व्यर्थ करना है। अध्यक्ष अपने स्वविवेक से जैसा आवश्यक समझे संशोधन कर सकता है। किसी विधेयक के सम्बन्ध में प्रक्रिया यह है कि सर्व प्रथम उस पर विचारार्थ प्रस्ताव होगा। फिर उस का खंड वार वाचन होगा। दूसरा भाग चर्चा करने की अनुमति देना है। इस में भी अध्यक्ष को चर्चा को रोक देने का अधिकार है, यदि वह यह समझे कि उस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। अध्यक्ष को वाद विवाद को समाप्त करने का भी अधिकार है, निस्सन्देह सदन उस पर मतदान दे सकता है। अब मैं सदन के समक्ष प्रस्ताव रखूंगा और उस पर बिना चर्चा के मत लूंगा। पश्चिमी देशों की संसदों में भी यही प्रथा है। दूसरे विधेयक अनुदानों के लिये मांग के विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में मुझे कुछ नई बातें सदस्यों से मिली हैं। जब वह विधेयक प्रस्तुत होगा तो मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। अब मैं केवल इतना ही कहूंगा कि उसके सम्बन्ध में कुछ आवश्यक बातें उठाई जा रही हैं जिन पर १८ दिन की चर्चा में चर्चा नहीं हुई। अब मैं

पहले विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, २, ३ विधेयक का अंग बना लिये गये।

अनुसूची विधेयक का अंग बना ली गई।

विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना लिये गये।

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

विनियोग (संख्या २) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में व्यय के निमित्त भारत की संचित निधि में से कतिपय अग्रेतर धन राशियों के शोधन तथा विनियोग करने को अधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं सदन के समक्ष प्रस्ताव रखूंगा फिर मुझे चर्चा के विषय में जो कुछ कहना होगा वह बताऊंगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में मेरे पास सात बातें भेजी गई हैं। अब मैं उन्हें पढ़ूंगा ताकि सदन उन्हें जान सके कि वे क्या हैं :

(१) पिछले वर्ष विशिष्ट कार्यों (मालम फुज़ा परियोजना) के लिये निर्धारित अनुदान।

(२) राष्ट्रीय आय समिति के लिये ३० लाख रुपये का विनियोजन, जिसकी अभी तक सूचना नहीं मिली है।

(३) विदेशी ऋण कार्यक्रम सम्बन्धी हमारी असफलता तथा परिणामतः देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव।

(४) कांग्रेस दल तथा सरकार को एक समझने के लिये हाल ही में की गई कार्यवाही।

(५) सदन की स्थायी समिति को समाप्त करना।

(६) भारत सेवक संघ के लिये सार्वजनिक धन का व्यय करना।

(७) सरकार द्वारा वन लगाने वाले अधिकारियों को नियुक्त करना।

ये सात बातें हैं। श्री गुरुपादस्वामी ने एक और बात सूचित की है। उन में से मद संख्या (४) और (६) एक सी प्रतीत होती हैं और मैंने भी उन्हें एक ही माना है। मद संख्या ५ सदन की स्थायी समिति को समाप्त करने के सम्बन्ध में है। पिछले १८ दिनों में इन बातों पर चर्चा नहीं हुई थी। यह महत्वपूर्ण बातें हैं। इन पर सब दलों को बोलना चाहिये तथा सरकार को भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिये। अन्य बातों को मैंने स्वीकार नहीं किया किन्तु इसका कारण बताने में मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : क्या हम विदेशी ऋण की चर्चा नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर अभी चर्चा नहीं की जा सकती। कुछ माननीय सदस्य अपनी बातें कहना चाहते हैं किन्तु हम यहां किसी बात पर "जोर देने" के लिये नहीं आये हैं। यह अध्यक्ष का विनिर्देश है चाहे वह स्वच्छन्द विनिर्देश ही हो।

श्री एच० एन० मुखर्जी : विदेशी सहायता के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री ने कुछ बातें कहीं। हम विरोधी दल के रूप में इस का खण्डन करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को दूसरे सदस्य की बात का खण्डन करने का इसे अवसर नहीं समझना चाहिये। इससे वही बातें दुहराई जायेंगी। मैं इस पर अधिक समय नहीं लूंगा। श्री गुरुपादस्वामी ने जो सूचना दी है उससे तीन बातें उत्पन्न होती हैं: (१) मृत्यु दंड (२) जेल सुधार और (३) प्रत्यायोजित विधान। मृत्यु दण्ड तथा जेल सुधार तो राज्यों के विषय हैं। जेल सम्बन्धी विषयों के लिये केन्द्र उत्तरदायी नहीं है। यदि मेरी बात गलत है तो विधि मंत्री उस बात को ठीक कर दें।

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): आप मृत्यु दण्ड का निर्देश कर रहे हैं। मृत्यु दण्ड के विषय में न्यायालय उत्तरदायी है। कानून तो मृत्यु दण्ड निर्धारित करता है। यह तो न्यायाधीशों का काम है कि किसी विशेष मामले में वे मृत्यु दंड दें या न दें। संसद् के लिये नीति का प्रश्न यह है कि वह मृत्यु दंड को संविधि के रूप में रखे या नहीं न तो राज्य सरकारें न केन्द्रीय सरकार ही किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्ड देती है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात तो यह थी कि क्या राज्य सरकारें मृत्यु दंड के विषय में विधान बना सकती हैं या नहीं।

डा० काटजू : मैं समझता हूं कि यह समवर्ती सूची में है।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया है। मैं नहीं जानता कि यह असरकारी विधेयक है या नहीं। जब यह विधेयक प्रस्तुत होगा तो सदस्य मृत्युदंड के प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। सदस्य अन्तर्बाधा न करें। अपना विनिर्देश देने से पहिले मैं सदस्यों की बात सुनता हूं।

जेल सुधार निस्सन्देह राज्यों का विषय है। प्रत्यायोजित विधान के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियमों में यह दिया हुआ है कि इसकी जांच करने के लिये समिति बनाई जाय। उचित समय पर यह समिति बन जायेगी। और शेष तीनों बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं। अतः मैं चाहता हूं कि विधेयक की चर्चा के समय इन पर बहस न हो।

श्री एस० सी० देब (कचार-लुशाई पहाड़ियां) : श्रीमान औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में, वे तीन बातें कौन सी हैं?

अध्यक्ष महोदय : "औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में" में "सूचना के हेतु" का भाव भी आ जाता है। वे तीन बातें यह हैं: (१) मृत्यु दण्ड (२) जेल सुधार (३) प्रत्यायोजित विधान। मैं चाहता हूं कि विनियोग विधेयक की चर्चा के समय इन पर चर्चा न हो। निस्सन्देह ये बातें महत्वपूर्ण हैं किन्तु प्रश्न यह है कि जहां तक विनियोग विधेयक की चर्चा का सम्बन्ध है ये महत्वपूर्ण हैं या नहीं। मैं श्री गुरुपादस्वामी की बात सुनना चाहता हूं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): मृत्यु दंड का मूल विधि से सम्बन्ध है और यह केन्द्रीय विषय है। आप ने कहा था कि इस पर एक मेरे सरकारी विधेयक हैं और मैं नहीं जानता कि वह चर्चा के लिये प्रस्तुत किया जायेगा या नहीं। प्रत्यायोजित विधान के सम्बन्ध में आप ने कहा था कि एक समिति नियुक्त होगी किन्तु उसका यह अर्थ नहीं कि हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। इस पर चर्चा करना संसद् का पूर्ण अधिकार है, और इस दृष्टि से कि संसद् का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता जा रहा है यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यही मुझे कहना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री गुरुपादस्वामी की बात से सहमत नहीं हूं। साधारणतः मैं यह विनिर्देश नहीं देता कि कोई बात महत्व-पूर्ण है या नहीं। जैसा कि मैं ने कहा कि इन तीनों या दोनों बातों पर चर्चा होगी--यदि आप संख्या (४) और (६)—"सरकार और कांग्रेस दल को एक समझना" को "स्थायी समिति को समाप्त करना" से मिला दें। अब हम चर्चा करें।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम्): अब तक विरोधी दल के सदस्यों के नामों की सूची प्रस्तुत की जाती थी। अब ऐसा नहीं किया जायेगा और अध्यक्ष महोदय ही सदस्यों से बोलने के लिये कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं तो ऐसा करता रहा हूं। किन्तु हो सकता है कि इस से कुछ सदस्यों को अवसर न मिले। अध्यक्ष दी गयी नामों की सूची से बाध्य नहीं है। जो सदस्य बोलना चाहेंगे वे केवल खड़े होने की कोशिश करें न कि एक दम खड़े होकर बोलने लगें। मैं समझता हूं कि इन दो बातों के लिये दो घंटे का समय प्रर्याप्त होगा।

डा० लंका सुन्दरम्: सरकार के लिये कितना समय ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि एक घंटा तो होना ही चाहिये। समय की अवधि १२ बजे है। सदस्य आपस में ही तय कर लें। एक दो तो अपनी पूरी बातें कहें और ६ सदस्य संक्षेप में कहें।

१० म० पू०

ऐसा वे आपस में ही कर लें। और १२ बजे फिर उस पर मत लिया जायेगा।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ्फरपुर मध्य) : क्या एक ही दल के सदस्य चर्चा सीमित रहेगी या.....

अध्यक्ष महोदय : यह बात नहीं है कि एक ही दल के सदस्य बोलते जायें और दूसरा दल न बोल सके। यह उचित नहीं कि कुछ ही सदस्य समय की समाप्ति तक बोलें और दूसरों को चर्चा में भाग न लेने दें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): मांगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव है तथा विधेयकों के विशिष्ट खण्डों के सम्बन्ध में संशोधनों की प्रक्रिया है। इस मामले में क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव के विचार के समय इस पर चर्चा होगी। उस विचार के समय ये दो बातें आयेंगी। सरकार को कांग्रेस समझना एक बात है और स्थायी समितियों को समाप्त करना दूसरी।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, क्या इसका यह अर्थ है कि मद संख्या ४, ५ और ६ वाले विषयों पर ही चर्चा होगी ? कल आपने कहा था कि सरकार को एक घंटा मिलेगा। जहां तक मेरा संबंध है, मैं समझता हूं कि मुझे दस मिनिट या संभवतः १५ मिनिट लगेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उससे अभिप्राय यह था कि सरकार के लिये एक घंटे का समय था।

डा० पी० एस० देशमुख (अमरावती पूर्व) : हम ४५ मिनिट लेना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य तथा दल के नेता इसे तय कर लें। "सरकार और कांग्रेस दल को एक समझना" तथा "स्थायी समितियों को समाप्त करना" इन दो बातों पर चर्चा होगी।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : क्या यह प्रक्रिया है कि संशोधन प्रस्तुत किये जायें ?

अध्यक्ष महोदय : जैसे वित्त विधेयक में सब बातें शिकायत के रूप में कही जा सकती हैं वैसे ही इसमें भी सब बातें कही जा सकती हैं। किंतु उन्हें विशेष बातें ही कहनी चाहियें।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर): हमें यह देखकर खेद होता है कि सरकार और कांग्रेस दल को एक समझा जाता है। हम जानते हैं कि कैसे प्रधान मंत्री ने श्री टंडन को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया। कांग्रेसी आज सरकारी अधिकारियों से काम निकलवाते हैं। मैं बड़े कांग्रेसियों की नवाबों तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारियों से तुलना कर सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कांग्रेस का आन्तरिक प्रश्न कैसे उठता है। सदस्योंको असंगत बातें नहीं कहनी चाहियें। मैं उन्हें थोड़ा सा समय दे रहा हूं। मुख्य बात यह है कि सत्तारूढ़ दल या अन्य दल को प्रशासन के साथ मिलना चाहिये या नहीं। हमें यहां कांग्रेस के प्रशासन की बात को व्यर्थ में ही नहीं घसीट लाना चाहिये।

डा० एन० बी० खरे : कांग्रेसियों की नवाबों से तुलना करते समय मैं यही कह रहा था। सब की यही शिकायत है कि कांग्रेसी प्रशासन में बहुत हस्तक्षेप करते हैं। दूसरी बात भारत सेवक समाज के संस्था के विषय में है। इसे अराजनैतिक संस्था कहा जाता है और इसमें साम्यवादियों तथा सम्प्रदायवादियों को नहीं लिया जाता। इसका कार्य रचनात्मक कार्य करना तथा पंच वर्षीय योजना को सफल बनाना है। किंतु इसमें रचना स्वयं एक राजनैतिक चाल है। क्योंकि इसे कांग्रेस वाले चलाते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना आगामी निर्वाचनों के लिये की गई है, जिससे कांग्रेस को सत्ता प्राप्त हो सके। यही मेरा संदेह है। अतः इसे सरकारी धन की सहायता नहीं मिलनी चाहिये।

[**श्री पाटसकर** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री एच० एन मुखर्जी : मुझे इस समय कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और कुछ बन्धनों में अपना भाषण देना पड़ेगा। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री के भाषण पर कुछ कह न सकूंगा। मैं उनकी कुछ बातों का खंडन करना चाहता था। अब अध्यक्ष महोदय ने हमारे विचारार्थ जो बातें रखी हैं, मैं उन्हीं पर बोलूंगा।

सरकार ने स्थायी समितियों को, जिनका संबंध विभिन्न विभागों से है, समाप्त करने का जो निश्चय किया है विरोधी दल उसे बड़ी गंभीर दृष्टि से देखता है। हमें भय है कि इसका सरकार की मूल नीतियों से संबंध है और हमें यह भी भय है कि वे नीतियां देश के लिये लाभदायक नहीं हैं। इन समितियों में संसद् के विभिन्न दलों के सदस्यों को रखने का यह अभिप्राय है कि वे यह जान सकें कि प्रशासन कैसे चलता है और यदि इसके सुधार के लिये वे अपने सुझाव देना चाहें तो सुझाव दे सकें। किंतु आंक समिति और लोक लेखा समिति को छोड़कर विरोधी दल के सदस्यों को प्रशासन के विषय में जानने का अवसर नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि सरकार प्रशासन की आन्तरिक बातों को विरोधी सदस्यों को इसलिये ज्ञात नहीं होने देना चाहती क्योंकि इनका संबंध सरकार की नीति से है और सरकार के विदेशों में कुछ स्वत्व ह। मैं सदन का ध्यान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पारित किये गये 'पारस्परिक सुरक्षा अधिनियम' (मुच्युल सीक्योरिटी एक्ट) की ओर दिलाना चाहता हूं। इसका हम से संबंध है क्योंकि इसी अधिनियम द्वारा भारतीय अमेरिकन टैक्नीकल सहायता समझौता भी विनियमित होता

है। इसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि विभिन्न देशों को अमरीकी सहायता देने का उद्देश्य यह है कि वहां पर अमेरिका की विदेशी नीति का अनुसरण हो। श्री चेस्टर बोल्स के समान हमारी सरकार यह मानती है कि विरोधी दल में कुछ अवांछित व्यक्ति हैं और सरकार को यह भय है कि यदि इन अवांछित व्यक्तियों को प्रशासन की आन्तरिक बातें मालूम हो जायें तो अमेरिका की सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी और उससे वह सहायता न मिलेगी जिससे हमारी आशायें टूट जायेंगी जैसा कि अपने आय-व्ययक के भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था। इस प्रकार के उपबन्ध के अनुसार अमरीकी सहायता मिलती है। इससे स्पष्ट है कि इसका संबंध राजनीति से है। हमें अमेरिका से परामर्श करना पड़ेगा तभी हमें वह सहायता मिलेगी।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को इसका ध्यान रखना चाहिये कि हम केवल दो बातों की चर्चा कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने कहा कि स्थायी समितियां क्यों समाप्त की जा रही हैं किंतु उन्हें इस समझौते के विस्तार में नहीं जाना चाहिये।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मेरा कहना यह है कि हमारी सरकार अमेरिका के प्रति वाक्बद्ध है और इस कारण समाप्त की जाने वाली समितियों में हमें नहीं रखा जा रहा है।

सभापति महोदय : वह यह बात कह चुके हैं। किंतु उन दो बातों की चर्चा में उस समझौते संबंधी विस्तृत बातें उठाना उचित नहीं है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। किंतु यदि प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री चाहें--तो मैं उस पारस्परिक सुरक्षा अधिनियम के उपबन्धों को बताना चाहता हूं। अब मैं भारत सेवक समाज को लेता हूं। यह अच्छा है कि देश की योजना में जनता भाग ले। हमने सदा यही कहा है कि योजना एक महत्वपूर्ण समस्या है। और सरकार देश को यह समझाये कि यह देश के हित में ही है और जनता को इन योजनाओं के संचालन में भाग लेना चाहिये। किंतु हमें भय है कि भारत सेवक समाज भी कांग्रेस की सहायक संस्था बन जायेगी। हमने देखा है कि कांग्रेस दल की सभाओं में सरकार के तथा योजना आयोग के अधिकारी भाग लेते हैं और कांग्रेस के कार्यों में सरकार के अधिकारी भाग लेते हैं। जो नीति, हम समझते हैं, देश के हित में अच्छी नहीं। भारत सेवक समाज राज्य की सहायता से कांग्रेस का प्रचार करेगा।

अभी हिमाचल प्रदेश में खदराला में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के युवक विभाग की ओर से एक शिविर का आयोजन किया गया था जिसे, शिक्षा मंत्रालय ने ४,००० रुपये दिये थे। सदन के पुस्तकालय में '**कांग्रेस संदेश**' तथा '**हिन्दुस्तान टाइम्स**' की प्रतियां रखी हैं जिनमें यह स्पष्ट लिखा है कि खदराला युवक शिविर का अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने आयोजन किया था। उस पर सरकार का और जनता का धन व्यय किया गया। यदि खदराला युवक शिविर को सरकारी सहायता मिल सकती है तो हम नहीं जानते कि भारत सेवक समाज भविष्य में कैसे कार्य करेगा। मैं कुछ कड़े शब्द नहीं कहना चाहता क्योंकि विगत काल में हमारे प्रधान मंत्री फ़ासिस्टवाद के विरुद्ध लड़े। किंतु भारत सेवक समाज से हमें स्टार्म ट्रूप्स की याद आती है। इस प्रकार की बातों से देश को हानि होगी। हम उन समितियों में भाग न ले सकें इसलिये उन्हें समाप्त करना तथा भारत सेवक समाज की स्थापना करना इन से तो देश को हानि होगी और देश को इन बातों से सचेत रहना चाहिये।

डा० लंका सुन्दरम्: भारत सेवक समाज तथा स्थायी समिति के विषय में मैं संक्षेप में कुछ कहूंगा। १२ जून को सदन के नेता ने कहा था कि विभिन्न मंत्रालयों की स्थायी समितियां रहें या न रहें इसका निर्णय करना सदन का कार्य है। मेरा यह विचार है कि विभिन्न मंत्रालयों के दैनिक कार्यों को समझने के लिये विरोधी दल को संवैधानिक सहायता मिलनी चाहिये। सरकार की कार्य व्यवस्था के संपर्क में आये बिना हम में से अधिकांश सदन के कार्य में लाभप्रद सहयोग न दे सकेंगे। संसद् प्रणाली पर चलने वाली सरकार पारस्परिक वाद विवाद पर आधारित होती है। मुझे विश्वास है कि हमारे विरोधी सदस्य यह नहीं समझते कि हम अनुत्तरदायित्व पूर्ण रूप से कार्य करेंगे और गुप्त बातों को खोलेंगे। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई जब कुछ दिन पूर्व प्रधान मंत्री ने हम में से कुछ को आपस में विचार करने के लिये बुलाया। उसमें कुछ गोपनीय बातें भी थीं जो कि पत्रों में प्रकाशित नहीं की गईं। स्थायी समितियों के बिना विरोधी दल के सदस्य देश के प्रशासन के सुधार की चर्चा में भाग नहीं ले सकते। गत मास ११ तारीख को मैं ने वैदेशिक कार्यों की स्थायी समिति की बात उठाई थी और उसी विषय में यह कहना चाहता हूं कि देश तथा सरकार के प्रति अपना कार्य निभाने तथा सरकार को सहायता देने के लिये विरोधी दल को अवसर मिलना चाहिये।

भारत सेवक समाज के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। चौदह महीने पहले योजना आयोग में मुझे अपने प्रांत में होने वाले सर्वोदय कार्य के विषय में एक नोट भेजने के लिये लिखा। मैं ने वह नोट लिखा क्योंकि मैं और मेरे बहुत से साथी यह कार्य कई वर्षों से करते रहे हैं। डा० जयसूर्य भी सर्वोदय में बहुत भाग लेते रहे हैं। हजारों व्यक्तियों ने सड़कें बनाने, तालाब ठीक करने तथा नहर खोदने का काम किया, इसमें केवल ग्रामीण ही नहीं कार्य करते अपितु शिक्षित तथा अन्य व्यक्ति भी करने को उद्यत हैं।

गत वर्ष श्री नन्दा ने मुझ से बातचीत की थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सब सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं। मैं निर्वाचक गणों के पास स्वच्छन्द कांग्रेसवादी के रूप में गया। किंतु किसी कांग्रेसी ने मेरी बात स्वीकार नहीं की। मैं देखता हूं कि सरकार तथा कांग्रेस दल सभी विचारधारा के व्यक्तियों को शासक के रूप में नहीं बल्कि देश सेवक के रूप में अपने साथ रखना नहीं चाहते। योजना आयोग द्वारा दिये गये भारत सेवक समाज के विधान को मैं ने देखा। उसके नियमों में यह कहीं नहीं है कि उसे राज्य की सहायता मिलेगी किंतु मुझे संदेह है कि बाद में किसी प्रकार की सरकारी सहायता मिलेगी। मैं श्री नन्दा तथा सदन के नेता से यह अपील करूंगा कि इस प्रकार का सब प्रयत्न किया जाना चाहिये कि सभी प्रकार के राजनैतिक विचारों के व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो सकें। मैं ने दिल्ली के भारत सेवक समाज को देखा। उसमें कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों के अधिक सदस्य नहीं हैं। चूंकि भारत सेवक समाज को योजना आयोग की अनुज्ञप्ति प्राप्त है, अतः ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिये कि सभी दलों के सदस्य इसके सदस्य बन सकें। मुझे विश्वास है कि श्री नन्दा तथा सदन के नेता इस संस्था का काम आरम्भ करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): मैं स्थायी समितियों को समाप्त किये जाने के विषय में अपने साथियों की बात का समर्थन करता हूं कि यह एक विपरीत कार्य है और मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। सरकारी पक्ष के सदस्यों ने हम से बहुत बार यह कहा है कि कुछ मामले ऐसे हैं जो

दलबन्दी की भावना के ऊपर हैं। किंतु योजना आयोग में कांग्रेस दल के सदस्य हैं—उसमें कभी विरोधी दल वालों का सम्मिलित नहीं किया गया। यह सदन को विदित है कि विगत काल में विरोधी दल के व्यक्तियों ने योजना बनाने में बड़ा भाग लिया है। किंतु विरोधी दल के सदस्यों को प्रशासन की बातें नहीं जानने दी जाती हैं इससे यह सिद्ध होता है कि कांग्रेस फासिज़्म की ओर जा रही है। यद्यपि सदन की संख्या का चार-पांचवा हिस्सा कांग्रेस में है, वे जन संख्या का ४५ प्रति शत प्रतिनिधित्व करते हैं और देश के अधिकांश व्यक्तियों के विचार कांग्रेस के समान नहीं हैं। इस संबंध में मैं अमेरिका के विधान मंडलों का उल्लेख करना चाहता हूं। वहां आवश्यक कामों के लिये कांग्रेस तथा सीनेट की समितियां हैं। अणुशक्ति जैसे गोपनीय विषय को भी विधान मंडल के सदस्यों से गुप्त नहीं रखा जाता। किंतु इस सदन के सदस्यों को अणुशक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानने दिया जाता। किंतु अमेरिका के विधान मंडल में इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाता है।

योजना संबंधी विषयों में मैं समझता हूं विरोधी दल बहुत कुछ सहयोग दे सकता है अतः यदि इन समितियों को बना रहने दिया जाय तो उन्हें भी योजना सम्बन्धी विषयों का मालूम होता रहेगा। यह योजना व्यर्थ ही रह जायगी जब तक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया जायगा। सत्तारूढ़ दल द्वारा फासिस्ट रूप से किये जाने वाले कार्यों का विरोधी दल विरोध करेगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय): सदन का बहुत पुराना सदस्य होने के नाते मैं समझता हूं कि जैसा डा० साहा ने कहा, स्थायी समितियों को समाप्त करने वाला प्रस्ताव विपरीत ही नहीं अपितु प्रजातंत्र की भावना के विरुद्ध है। मेरा यह अनुभव है कि ये समितियां संसद् के आवश्यक अंग के रूप में रही हैं। हम में जो इन समितियों के सदस्य रहें हैं वे यह नहीं कह सकते कि सरकार को इन समितियों के सदस्यों के अनुभव से लाभ नहीं हुआ। इनको समाप्त करने से सरकार को हानि होगी और सरकार संसदीय व्यवस्था के एक दृढ़ स्तम्भ को गिरा देगी। मैं समझता था कि कांग्रेस दल सभी दलों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करेगा। इन समितियों के सदस्यों का क्या अनुभव रहा है? इन स्थायी समितियों के सदस्य बनाये जाने पर गैर-कांग्रेसी भी सरकार से सहमत रहे और यदि उन्होंने सरकारी नीति का समर्थन नहीं किया तो वे विरुद्ध भी तो नहीं बोले। किंतु अब तो इससे सरकार का समर्थन करने की इच्छा वाले भी सरकार के विरुद्ध बोलेंगे।

मैं सदन के नेता से एक और बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिये कहूंगा। यदि सरकार इन स्थायी समितियों को समाप्त करने का निश्चय करती है तो इसके कई अर्थ निकाले जायेंगे और सरकार के स्थिति स्पष्ट करने पर भी जनता इसका अर्थ निकालेगी ही। इसका एक अर्थ यह है कि ऐसा तानाशाही की भावना से किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास को देखने से हमें पता लगता है कि जब बहुमत दल सरकार के प्रशासन में भाग लेता है और अन्य दलों की अवहेलना होती है और जहां सरकार तथा बहुमत दल एक से हो जाते हैं तो संसदीय रूढ़ियां तथा प्रजातंत्रात्मक रूढ़ियां समाप्त हो जाती हैं। मैं सदन के नेता से इन दोनों बातों पर विचार करने की अपील करता हूं।

इसका दूसरा अर्थ जनता यह निकालेगी कि कांग्रेस दल ने यह निश्चय सरकार और कांग्रेस दल दोनों को एकसा समझा जाने के लिये किया है अथवा दूसरा अर्थ यह होगा कि साम्यवादियों के डर से ऐसा किया गया

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

है । हो सकता है कि सरकार के पास यह सूचना हो कि किसी विशेष दल के सदस्य रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों के स्थायी समिति के सदस्यों के रूप में गोपनीय बातों को गुप्त नहीं रख सकते । सदन के बहुत से सदस्य यही समझ सकते हैं ।

यदि ऐसा इसी डर से किया गया है तो इसे और अधिक उग्र रूप में होना चाहिये था । यदि सरकार को इस बात का भय है कि कुछ सदस्य स्थायी समितियों के सदस्यों के रूप में बातों को गुप्त नहीं रख सकते और गुप्त बातें किसी दूसरे देश को बता देंगे तो सरकार को उग्र नीति अपनानी चाहिये थी। सदस्यों को इस प्रकार से रोकने का कोई अर्थ नहीं है । यदि सदस्यों पर विश्वास नहीं किया जा सकता तो उन्हें सदन का सदस्य होने का भी अधिकार नहीं है । मैं तुलना नहीं करना चाहता । किंतु गत युद्ध में स्थायी समिति के युद्ध विरोधी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सदस्यों को युद्ध की गुप्त बातें बताई जाती थीं । मैं समझता हूं कि यह निश्चय दुर्भाग्य-पूर्ण निर्णय है ।

इन स्थायी समितियों की आवश्यकता है यह बात इसी से सिद्ध होती है कि कांग्रेस दल ने मंत्रालय के मुकाबले में स्थायी समितियां बनाई हैं। इससे तो यही बात बढ़ेगी कि एक विशेष दल तथा सरकार एक ही बात है । मंत्रियों को अपने आप को किसी एक विशेष दल का सदस्य ही नहीं समझना चाहिये अन्यथा मंत्रीगण यह समझेंगे कि वे देश तथा जनता के सेवक नहीं हैं वे एक विशेष दल के ही सेवक हैं । सदन के नेता को इस पर विचार करना चाहिये । मैं समझता हूं कि भारत के लिये तानाशाही सर्वोत्तम सरकार होगी। इससे हमारा राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा। तानाशाही को चलाते समय हमें संसदीय प्रजातंत्र की ऊपरी दिल से बात नहीं करनी चाहिये । सदन के नेता हमें यह बतायें कि हमने एकात्मक तानाशाही के लिये इन स्थायी समितियों को समाप्त करने का निश्चिय किया है । यदि वे ऐसा कहें तो जो कुछ मैंने कहा है उसे मैं वापिस ले लूंगा । यदि हम तानाशाही को अपनायें तो मैं नेहरू जी से कहूंगा कि "प्रजातंत्र की इन सब बातों को समाप्त कर दो" और यदि सरकार संसदीय प्रजा तंत्रात्मक प्रणाली चलाना चाहती है तो मैं उसका सर्वाधिक समर्थन करूंगा और सरकार से कहूंगा कि वह इस पर विचार करे कि वह संसदीय प्रजा-तंत्रात्मक प्रणाली की सब से मुख्य बात है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं पूछ सकता हूं कि किस देश में वह संसदीय प्रजातंत्रात्मक प्रणाली की सबसे मुख्य बात है ?

श्री फ्रैंक एन्थनी : भारत में । हम से कहा जाता है कि हमें अपने पूर्व दृष्टांत रखने चाहियें । यही मुख्य दृष्टांत हमने रखा है । मैं सदन के नेता से अपील करता हूं कि यदि ये दोनों अर्थ ठीक नहीं हैं, अर्थात् यह नीति तानाशाही भावना से अथवा साम्यवादियों के भय से नहीं अपनाई जा रही, तो यह बहुत अच्छा दृष्टांत है और हमें इसे चलाते रहना चाहिये ।

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोल-सिद्धि): माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि आप ने मुझे यहां पर बोलने का अवसर दिया । मुझे अपने उत्तरदायित्व को निभाने का ऐसा मौका संसद् में मिला है । हमारा देश आजाद हुआ और आजादी हासिल करने के लिये देश में सैकड़ों लोगों ने कुरबानियां कीं। देश ने जिस महामानव के नेतृत्व में आजादी हासिल की थी उस महा-मानव को आज न केवल देश बल्कि सारे विश्व से श्रद्धांजलि मिल रही है । शासन आने से पहिले कांग्रेस कहा करती थी कि हम महात्मा गांधी जी--पूज्य बापूजी--के चरण चिन्हों में चलने की शपथ लेते हैं,

प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उनके आदेशों के मुताबिक (अनुसार) हुकूमत (सरकार) का काम चलायेंगे । इस तरह से उन लोगों ने बापू के आदेशों के अनुसार शासन की बागडोर चलाने की प्रतिज्ञा की थी । मगर मुझे बड़ा अफसोस है कि शासन की बागडोर हाथ में आते ही सरकार का नक्शा बदल गया, सिद्धांत सब उलट गये, जितनी प्रतिज्ञायें थीं वह सब भुला दी गईं और जाने क्या का क्या हो गया ।

इस देश के लोग आशा करते थे कि हमारा देश आजाद होगा तो हमारे देश के शासन की बागडोर हमारे लोगों के हाथों में आयेगी जिस से हम लोगों को हर प्रकार के समान अधिकार मिलेंगे, प्रत्येक व्यक्ति शासन की दृष्टि से बराबर देखा जायगा । चाहे किसी श्रेणी का आदमी हो, चाहे किसी जाति का हो और चाहे किसी धर्म का हो या भारत के किसी छोर का हो उसे बराबर के हक प्राप्त होंगे । किंतु आज इस सरकार ने सारी ही आशाओं पर पानी फेर दिया है । आज उसने सारा नक्शा ही बदल दिया है । कांग्रेस वालों ने जिस नक्शे की उम्मीद दिलाई थी वह नक्शा बिल्कुल ही गायब हो गया है । देश में ए बी सी (भाग क, ख, ग) राज्यों का जो निर्माण किया गया है वह केवल कांग्रेस ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये किया है । एक बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस विश्व रंग मंच.....

सभापति महोदय : हम केवल दो बातों पर विचार कर रहे हैं । यदि वह सामान्य बातों पर बोलेंगे तो समय व्यर्थ नष्ट होगा ।

श्री बी० डी० शास्त्री : तो मैं कह रहा था कि कांग्रेस ने ए बी सी (भाग 'क' 'ख' 'ग') राज्यों का जो निर्माण किया है वह अपने स्वार्थों का पूरा पूरा उपयोग करने के लिये इन राज्यों का निर्माण किया है । जिस तरह से विश्व रंगमंच में अन्तर्राष्ट्रीय सम्प्रदायवाद है, ठीक उसी ढंग से--उसी तरह से, इस देश में वैधानिक सम्प्रदायवाद है । इस सम्प्रदाय के आधार पर ए बी और सी राज्यों का निर्माण किया गया है जो एक आश्चर्य की बात है । होता यह है कि ए प्रांत का हारा हुआ व्यक्ति जिस को वहां की जनता अपने यहां के शासन के योग्य नहीं समझती है, जिसे वहां की जनता का जनमत न मिला हो जिसे शासन में या पार्लियामेंट (संसद) में या लेजिस्लेचर (विधान मंडल) में कोई स्थान प्राप्त न हो सका हो वह इन राज्यों में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह कांग्रेस का व्यक्ति है कांग्रेस से सहानुभूति रखता है और अपने स्वार्थों को उससे सबद्ध रखना चाहता है । यहां तक कि ऐसे व्यक्ति को सी श्रेणी के राज्य का प्रधान तक बनाया गया है । जिस व्यक्ति को कहीं जगह नहीं मिलती है उस व्यक्ति को सी श्रेणी के राज्यों में जगह दी जाती है ।

सभापति महोदय : मैं हिंदी में जितना भी जानता हूं उसके मुताबिक आप जो कुछ कह रहे हैं उसका इस समय कोई संबंध नहीं है । यहां पर कांग्रेसवालों का सवाल नहीं है । यहां पर तो चार पांच बातें हैं वही यहां पर कही जानी चाहियें ।

माननीय सदस्य उन बातों पर बोल रहे हैं जिनका चर्चा के विषय में संबंध नहीं ।

श्री **नन्द लाल शर्मा** (सीकर) : यह उनका प्रथम भाषण है ।

श्री बी० डी० शास्त्री : माननीय सभापति जी, भारत सेवक समाज द्वारा कांग्रेस अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिये उसको बना रही है । इसलिये यह संस्था बनाई जा रही है कि कांग्रेस में जो लोग हैं उनके स्वार्थों की सिद्धि होती रहे ।

[श्री बी० डी० शास्त्री]

दूसरी चीज मुझे जो कहनी है वह विन्ध्य प्रदेश के बारे में है और उसको दृष्किोण में रखते हुए .....

सभापति महोदय: माननीय सदस्य इन बातों का निर्देश न करें।

श्री बी० डी० शास्त्री: मेरे कहने का मतलब यह है कि कम से कम प्रत्येक देश में प्रत्येक समाज के लिये कुछ न कुछ सहानुभूति की नीति होती है। मुझे इस संबंध में सीधी जिले के बारे में कहना है। वहां पर सोशलिस्ट पार्टी .....

सभापति महोदय : वह विन्ध्य प्रदेश का निर्देश क्यों कर रहे हैं यह समझ में नहीं आता। शायद वह यह नहीं समझ पाये कि इन बातों के लिये समय सीमित है।

श्री रघवय्या (ओंगोल) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभापति महोदय विरोधी दल को सूची में वक्ताओं की संख्या सीमित करना चाहते हैं या किसी भी दल के ऐसे सदस्य को बोलने देंगे जिसे कोई नयी बात कहनी है।

सभापति महोदय : अब तक विरोधी दल के सदस्य बोले हैं। वक्ताओं को चुनने का प्रश्न नहीं है और इसका निर्णय करना भी असम्भव है कि कौन क्या बात कहेगा। अभी जो सदस्य बोले थे वे इन बातों पर नहीं बोले। फिर भी यह चर्चा १२ बजे तक चलती रहेगी।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : भारत सेवक समाज के बारे में मैं विरोधी दल का ठीक विचार रखना चाहता हूं। मैं ने भारत सेवक समाज की पुस्तिका पढ़ी और हम उस में अपना सहयोग दे सकते हैं और देश की समृद्धि को बढ़ाने के कार्य में सरकार को सहयोग दे सकते हैं। किन्तु भारत सेवक समाज के संविधान में मैं ने दूसरे दलों के लिये वही असहिष्णुता की भावना देखी। उस में 'अयोग्यता' शीर्षक के अन्तर्गत यह दिया हुआ है कि जो व्यक्ति हिंसा तथा साम्प्रदायिक वाद में विश्वास रखते हैं अथवा ऐसी संस्थाओं से सम्बद्ध हों वे इसके सदस्य नहीं हो सकते। मुझे इस का अर्थ समझ में नहीं आता। हिन्दू महासभा तथा साम्यवादी दल हिंसा तथा सम्प्रदायवाद में विश्वास रखते हैं ऐसा मैं किसी अपराधी भावना से नहीं कह रहा हूं। हिन्दू महासभा सब से अधिक राष्ट्रीय संगठन है। मैं यह इस लिये कह रहा हूं कि कांग्रेस दल के नेताओं ने हमें सम्प्रदायवाद के लिये अपराधी ठहराया है। मैं नहीं जानता कि वह कौन सी व्यवस्था है जिससे यह जाना जा सके कि कौन सा व्यक्ति या संस्था हिंसा और सम्प्रदायवाद में विश्वास रखती है।

कल मैं ने योजना मंत्री श्री नन्दा को एक पत्र लिखा था कि क्या इस खण्ड के अन्तर्गत हिन्दू महासभा, आर० एस० एस०, राम राज्य परिषद्, भारत साम्यवादी दल तथा अनुसूचित जाति संघ को भारत सेवक समाज में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने इस में मुस्लिम लीग को सम्मिलित नहीं किया क्योंकि धर्मनिरपेक्ष परिभाषा के अनुसार मुसलमान राष्ट्रवादी समझे जाते हैं। कांग्रेस मुस्लिम लीग तथा जमात उल-उलेमा को राष्ट्रीय संस्थायें समझती हैं। भारत सेवक समाज के नियमों में यह दिया हुआ है कि राज्य सरकारें इसे आर्थिक सहायता देंगीं और पूरे समय के लिये वेतनिक कार्यकर्त्ता रखे जायेंगे। मैं चाहता हूं कि इसे स्पष्ट किया जाय। यह कई बार कहा गया है कि यह संस्था दल-बन्दी से ऊपर और गैर-राजनैतिक संस्था होगी। किन्तु मैं समझता हूं कि इस से कांग्रेस की विचार धारा को फैलाने का काम लिया जायगा और इस के द्वारा कांग्रेस चुनावों में विजय प्राप्त करना चाहती है।

हम नहीं जानते थे कि इस के प्रारम्भिक सदस्य कैसे बना जा सकता था। इस विषय में सब कुछ पूर्ण अन्धकार में रहा। माननीय मंत्री हमारी लिखित बातों का उत्तर नहीं देते। किन्तु मैं चाहता हूं कि भारत सेवक समाज, जो कि सर्वेंट्स आफ़ इण्डिया सोसायटी का रूपान्तर है, श्री जी० के० गोखले का अनुसरण करे और सरकारी संस्था के रूप में विभिन्न योजनाओं को लोकप्रिय बनाये। किन्तु अब यह कहा जाता है कि "सरकार हमारी है, इसकी आलोचना न की जाय, स्थायी समितियां नहीं रहेंगी और जनता को प्रशासन से सम्पर्क नहीं रखना चाहिये।" अब प्रश्न यह है कि और देशों की संसदों में ऐसी स्थायी समितियां होती हैं या नहीं। मे द्वारा लिखित पार्लीमेंटरी प्रैक्टिस' में भी स्थायी समिति' शब्दों का प्रयोग हुआ है। उन में बहुत सी स्थायी समितियां होती हैं। और कभी कभी संसद् स्वयं एक समिति के रूप में कार्य करती है। मेरी शिकायत यह है कि स्थायी समितियों के समाप्त हो जाने पर विरोधी दल ही नहीं अपितु सत्तारुढ़ दल को भी प्रशासन से सम्पर्क बनाये रखने का अवसर न मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह संसद् के सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का अतिक्रमण करना है। स्थायी समितियों के बने रहने से हमें प्रशासन से सम्पर्क बनाये रखने का अवसर मिलता है।

११ म० पू०

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान, पहिले मैं ने कहा था कि मैं दस या पन्दरह मिनट लूंगा। यदि मैं इस से अधिक समय लूं तो मैं आशा करता हूं कि आप मुझे बोलने देंगे क्योंकि जो कुछ मैं ने सुना है वह मुझे बेतुकी बातें, काल्पनिक बातें तथा सब प्रकार की बातों पर बिगाड़ कर कही गई बात लगी। और मुझे आश्चर्य हुआ कि विवाद किस विषय पर हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ सदस्यों ने निराशा की भावना से ऐसी निराशापूर्ण बातें कहीं और जब उन्हें कोई तर्कयुक्त या उचित बात नहीं मिली तो उन्होंने सरकार और कांग्रेस पर गुस्सा उतारा। पहिले जो सदस्य बोले पहिले तो उन्होंने अपने सामान्य तरीके से ही बातें कहीं फिर वे अभिनेता के समान बोले और अभिनेता के समान सदन के बाहर चले गये। मैं समझता हुं कि सदन मुझ से यही आशा करता है कि मैं उनकी बातों पर अधिक ध्यान दूं और न किसी अन्य अवसर पर भी अधिक ध्यान दूं। अब मैं अन्य बातों को लूंगा। दूसरे सदस्यों ने इस सरकार के फासिज़्म होने के विषय में ज़ोरदार भाषण दिये।

हमने दो या तीन महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना आरम्भ किया। उन में से एक तो सरकार को तथा कांग्रेस दल को एक समझने के लिये हाल ही में किये गये कार्यों के विषय में था, जैसे कि योजना आयोग के सदस्यों का कांग्रेस दल की तथा कार्यकारिणी समिति की बैठकों में सम्मिलित होना, और कांग्रेस संसदीय दल की एक विशेष समिति बनाना जिसमें परामर्श लेने के लिये अधिकारीगण सम्मिलित होते हैं। उस में दो तीन बातें हैं। मैं अन्तिम बात को लेता हूं। कांग्रेस दल ने विभिन्न विषयों का अध्ययन और विचार विमर्श करने के हेतु सामूहिक सभाओं की आयोजना की है, और मैं विरोधी दल के सदस्यों को यह सलाह दूंगा कि नारे लगाने और आलोचना करने की अपेक्षा वे भी अपने समय का सदुपयोग करें। कुछ अध्ययन करने से हमारा लाभ हीं होता है अतः विधान मंडल के सदस्यों के रूप में कांग्रेस दल अपना काम सचाई से कर रही है और इन विभिन्न विषयों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

करने का प्रयत्न कर रही है और इसके सदस्य हम से विचार विमर्श कर रहे हैं। यदि विरोधी दल अथवा अन्य किसी दल को कोई सदस्य अध्ययन समिति बनाये और यदि वह इसमें मेरी सम्मिति ले तो मैं सहर्ष इसमें सम्मिलित हूंगा। इस से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो एक ग़ैर सरकारी दल के रूप में कार्य कर रहा है। मैं नहीं जानता कि विरोधी दल के सदस्य यह क्यों चाहते हैं कि कांग्रेस दल सक्रिय और प्रभावोत्पादक रूप में और बुद्धिमता पूर्वक कार्य न करे क्योंकि यह उस प्रकार कार्य करना चाहता है। अतः किसी दल के प्रभावोत्पादक रूप में कार्य करने पर आपत्ति करना एक बड़ी अजीब बात है। स्पष्टतः विरोधी दल के सदस्य ऐसा समझते हैं जैसा कि एक फ्रेंच कविता में कहा गया है कि "यह पशु--अर्थात् बहुसंख्यक दल--बहुत बुरा है; इस पर जब आक्रमण किया जाता है तो यह अपनी रक्षा करता है।" तो यह ऐसा प्रतीत होता है कि संगत और असंगत, झूठ और सत्य और चाहे जैसी भी आलोचना करना और सब कुछ कहना विरोधी दल का विशेषाधिकार प्रतीत होता है। किन्तु मैं कहता हूं कि बहुसंख्यक दल, जो अल्पसंख्यक दल की अपेक्षा भारत की अधिक जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जिसे चुनाव में हाल ही में बहुत अधिक सफ़लता मिली है और देश में जिस दल की सरकार है, का देश के सब व्यक्तियों को आदर करना चाहिये। विरोधी दल के सदस्य यह चाहते हैं कि वह दल सामान्य रूप से अपना कार्य न करे तो यह एक बड़ी अजीब बात है। क्या हम अपने विरोधी दल के सदस्यों के आदेश लें? दल के आन्तरिक कार्यों के विषय में जब यह कहा जाता है कि अधिकारीगण वहां पर परामर्श के लिये जाते हैं तो मैं नहीं जानता कि सदस्यों को वे तथ्य कहां से मालूम होते हैं। मैं ने यह बात पहिली बार सुनी है। इसका अधिकारियों से कोई सम्बन्ध नहीं है; दल के कार्य का अथवा समिति के कार्य का अधिकारियों से कोई सम्बन्ध नहीं।

जहां तक योजना आयोग का सम्बन्ध है, यह आयोग कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से मिलता है। यह सत्य है कि जैसा कि आयोग कुछ दिन पूर्व समाजवादी दल तथा उद्योग पतियों तथा मजदूर संघ से मिला यह कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से मिला है। जिसको भी आयोग के काम में रुचि रही है, और जिस नें उससे कुछ जानने का प्रयत्न किया है अथवा जिसको उन्होंने अपनी सहायता के लिये बुलाया आयोग उससे मिला और विचार विमर्श किया। यदि कोई दल अथवा विरोधी दल के दो तीन सदस्य योजना आयोग से कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं तो योजना आयोग सहर्ष उनसे विचार विमर्श करेगा। अन्तर केवल इतना है कि आलोचना और कुछ न करने की अपेक्षा कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य कार्य करने में रुचि रखते हैं। अतः वे इन समस्याओं को सुलझाते हैं और इन समस्याओं को सुलझाने में वे योजना आयोग से कहते हैं कि क्या वह इस मामले पर उन से विचार विमर्श करना चाहते हैं। योजना आयोग ने प्रजापार्टी तथा अन्य दलों के नेताओं तथा अन्य व्यक्तियों को लिखा है। उन में से बहुत से नेता उसके मंत्रणा बोर्ड में हैं जिनके साथ वह प्रायः परामर्श करता रहता है। आयोग किसी भी दल के साथ परामर्श करने को उद्यत है और यदि उस के पास समय हो तो किसी भी व्यक्ति से परामर्श कर सकता है क्योंकि वह बातें जानना चाहता है। इसका कोई अपना मत नहीं; वह तो भारत की कठिन तथा जटिल समस्याओं को सुलझाना चाहता है और जहां से भी उसे बातें मालूम हो सकें वह मालूम करने का प्रयत्न करता है; चाहे अमेरिका, रूस, चीन अथवा किसी दूसरे देश से मालूम हों क्योंकि वह सब चीज़ों को

मालूम करना चाहता है। निस्सन्देह विदेशों के अतिरिक्त वह देश की जनता से बातें जानने का प्रयत्न करता है। योजना आयोग के सभापति के रूप में मैं विरोधी दल के सदस्यों और इस सदन के सदस्यों के अतिरिक्त बाहर के व्यक्तियों को भी आमंत्रित करता हूं कि वे आयोग के पास आयें और योजना सम्बन्धी विषयों तथा पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में उससे विचार विमर्श करें। मैं उन्हें योजना आयोग से विचार विमर्श करने के लिये आमंत्रित करता हूं ताकि हमें उन के परामर्श से लाभ हो। उन्हें भी हमारी समस्याओं और कठिनाइयों का ज्ञान हो सकेगा। अतः योजना आयोग को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के साथ अथवा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का योजना आयोग से संलग्न होने का तो प्रश्न ही नहीं है।

अब मैं, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कांग्रेस दल द्वारा प्रशासन के कार्य में हस्तक्षेप करने का जो अनिश्चित सा निर्देश किया गया है, उस बड़े प्रश्न को लेता हूं। जो कुछ ज़िलों में हो रहा है यदि उस की ओर निर्देश है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमने सदा यही प्रयत्न किया है कि प्रशासन में किसी भी व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले हस्तक्षेप को रोका जाय, चाहे वह कांग्रेसी हों अथवा दूसरे व्यक्ति हों। किन्तु हम यह भी नहीं चाहते कि प्रशासन जनता से पृथक् रहे। हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। हम उन का सहयोग चाहते हैं। हस्तक्षेप एक बात है और सहयोग दूसरी। हम उस सहयोग को प्रोत्साहन देते हैं। यदि माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों और अपने जिलों में जायें तो स्वभाविक रूप से वे वहां की स्थिति में रुचि लेंगे। यदि वे स्थानीय अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहें तो उन्हें उन की बातें सुननी चाहियें कि वे क्या कहना चाहते हैं। उन में सहयोग की भावना होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसी दल के सदस्य स्थानीय प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप करें। यदि दिल्ली में होने वाली बातों की ओर निर्देश है – मैं नहीं जानता कि वह कौन सी बात है, तो मैं नहीं चाहता विरोधी दल के सदस्य अथवा बहुसंख्यक दल के सदस्य, कोई भी सदस्य मंत्रालयों के काम में हस्तक्षेप करें। यदि वे कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो यथासम्भव शीघ्र सूचना देने के हमारे पास साधन हैं। मंत्रालयों के द्वारा और विभिन्न कार्यालयों के द्वारा सूचना प्राप्त करके हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और पूछे गये औपचारिक प्रश्नों के अतिरिक्त हम और पूछताछ तथा अन्य कार्य कर सकते हैं। किन्तु यह बहुत बुरी बात है कि किसी भी दल के सदस्य प्रशासन के कार्य में हस्तक्षेप करें। क्यों इससे प्रशासन चलाने वालों को बहुत उलझन होती है। अधिकारीगण किसी का निरादर नहीं करेंगे और हो सकता है कभी वे किसी सदस्य को बात पूरी न कर सकें, सम्भव ऐसा उनके निर्णय अथवा मंत्रालयों की कार्य प्रणाली के विरुद्ध हो और इस से इसी प्रकार की कठिनाई पैदा होती है। अतः जब कभी किसी मंत्रालय या सरकार के किसी विभाग से काम हो तो ऐसा उस विभाग के प्रमुख अधिकारी से करना चाहिये। कोई भी सदस्य अपना सुझाव दे सकते हैं या कोई शिकायत कर सकते हैं, और उसकी जांच की जायेगी। किन्तु मैं चाहता हूं कि सदन एक बात याद रखे। ऐसा लगता है कि हमने संविधान की भावना को भुला दिया है। एक माननीय सदस्य ने अमेरिकन संविधान तथा सब प्रकार की समितियों और संविधान के अन्तर्गत होने वाली बातों का निर्देश किया। किन्तु माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि हमारा संविधान अमेरिकन संविधान के आधार पर नहीं बना है; यह उस से बिलकुल भिन्न है और

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैं इन तथा अन्य मामलों में अमेरिकन संविधान का अनुसरण नहीं करना चाहता। उस महान् राष्ट्र के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए मेरा यह विचार है कि वह संविधान अब पुराना हो चुका है। वह पिछली बातों के आधार पर १५० वर्ष पूर्व बनाया गया था। तब से दुनिया बदल चुकी है किन्तु अमेरिकन संविधान नहीं बदला है और ऐसा मैं संविधानिक रूप से नहीं कह रहा हूं कि मैं संविधान के रूप में अमेरिका के संविधान का प्रशंसक नहीं हूं। हमने जब अपना संविधान बनाया था तो अमेरिका के संविधान के अनुसार नहीं बनाया। यह गलत या ठीक हो, हमने यह ब्रिटिश संविधान के आधार पर बनाया था। चूंकि इंग्लैण्ड एक छोटा देश है जिस में एकात्मक सरकार है जब हमारा देश बड़ा है अतः उस में फ़ैडरेशन (संघ) है, इस कारण हमारे संविधान में कुछ परिवर्तन है। किन्तु सामान्य तौर पर यह संसद् इंग्लैण्ड की पार्लामेंट के समान बनी है और जब तक हम इस के कार्यों में परिवर्तन न करना चाहें हम उस के नियमों और रूढ़ियों को मानते हैं। इसका हमें ध्यान रखना है और किसी उलझन में न पड़ना चाहिये। आप अगर चाहें तो हम अमेरिकन या रूस के संविधान के आधार पर अपना संविधान बना सकते हैं किन्तु हमें इन बातों को मिलाना नहीं चाहिये और हमारी संसद के कार्य की अमेरिकन कांग्रेस की दृष्टि से आलोचना नहीं करनी चाहिये।

जब श्री एन्थनी महान् संसदीय परम्पराओं और स्थायी समितियों के विषय में बोल रहे थे तो मैंने उन से पूछा कि स्थायी समितियों के विषय में यह महान् संसदीय परम्परायें किस देश में चल रही हैं तो उन्होंने कहा : "भारत में"। तथ्य यह है कि ये अन्य किसी भी देशमें नहीं चलती। अच्छा हो यदि इन स्थायी समितियों के विषय में बाद में कहूं। मैं तो इस आरोप पर बोल रहा था कि यह प्रशासन दल के आधार पर चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में एक मिथ्या धारणा है। यह सरकार एक दल की सरकार है। यह गैर दल की सरकार नहीं ह। मैं दल का नेता हूं और इस सरकार का नेता हूं।

डा० एन० बी० खरे : और कांग्रेस का अध्यक्ष भी।

श्री जवाहरलाल नेहरू : विरोधी दल के सदस्य दो भिन्न बातें कह रहे हैं। वे सरकार को फ़ासिस्ट और बहुत बुरी बता रहे हैं और वे इसका तख्ता भी पलटना चाहते हैं। फिर भी वे प्रशासन के कार्यों में हिस्सा भी लेना चाहते हैं। वे प्रशासन कार्य सीखना चाहते हैं। मैं समझता था कि वे इस निष्कर्ष पर आ गये हैं कि इस प्रकार कुछ भी नहीं सीखा जा सकता और उन्हें सरकार का तख्ता उलट कर नई सरकार चलानी चाहिये। दोनों बातें कोई नहीं कर सकता। यह एक दल की सरकार है और ऐसा मैं गर्व से कहता हूं। मैं ४० वर्ष से कांग्रेसी रहा हूं और मैं इसे अपना गौरव समझता हूं कि मैं ने कांग्रेस में कार्य किया। और देश के बहुत आदमियों को इस बात का गौरव प्राप्त है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ काम किया। और विरोधी दल के कुछ सदस्यों को भी इस कांग्रेस संस्था से ख्याति प्राप्त हुई।

जैसे कि संसदीय प्रजातंत्रात्मक देशों में सरकारें होती हैं यह एक दल की सरकार है। इस का यह अर्थ नहीं कि सरकार केवल उस दल के लाभ के लिये ही कार्य करे; अर्थात् मंत्रियों के अतिरिक्त जो प्रशासन है, यथा स्थायी सेवायें आदि इन्हें दलों से अलग रहना चाहिये। मंत्रिगण तो दल के सदस्य होते हैं। मंत्रियों को देश के लिये कार्य करना चाहिये और

अपनी सरकारी स्थिति से अपने दल के कार्य के लिये लाभ नहीं उठाना चाहिये। यह तो किसी व्यक्ति के निजी आचार विचार का विषय है। किन्तु चूंकि वे मंत्री बन गये हैं इस लिये सदन का यह समझना ठीक नहीं कि वे गैर दल के आदमी हैं।

माननीय सदस्यों ने कुछ उदाहरण दिये हैं और खदराला युवक शिविर का भी उल्लेख किया गया। मैं नहीं जानता कि सदस्य अपने इन तथ्यों को कहां से प्राप्त करते हैं। निस्सन्देह खदरवाला युवक शिविर कांग्रेस शिविर ही था। इस बात से किसी को भी लज्जा नहीं। हम विरोधी दल के कुछ सदस्यों के समान केवल बात ही नहीं करते, हम काम करते हैं।

किन्तु प्रश्न यह है कि क्या उस शिविर के लिये धन दिया गया था। माननीय सदस्य को यह बात कहां से मालूम हुई? खदराला युवक शिविर के शिक्षा मंत्रालय तथा किसी अन्य मंत्रालय ने एक भी रुपया नहीं दिया।

इसी प्रकार भारत सेवक समाज के विषय में कहा गया है, जैसे कि सरकारी धन इसे बहुत मिलता रहेगा। इसे सरकार का धन नहीं मिलेगा। निस्सन्देह डेढ़ वर्ष पूर्व मेरे मित्र श्री गुलज़ारी लाल नन्दा का यही विचार था। यह आज की बात तो नहीं एक माननीय सदस्य ने प्रपत्र का निर्देश किया जो उन्हें एक वर्ष पूर्व मिला था। इस बात पर कांग्रेस तथा राजनीति दोनों से पृथक विचार किया गया था। यह तो इस विचार से किया गया है कि बहुत अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक गांवों में तथा अन्य स्थानों में और शहरों के व्यक्ति गांवों में जा कर दूसरे लोगों के साथ काम करें यह कोई असाधारण विचार नहीं है। फिर भी, हमने भारत का सभी संस्थाओं और दलों के सदस्यों से विचार विमर्श किया। यह अजीब बात है किन्तु मैं समझता हूं कि सम्भवतः श्री गुलजारी लाल नन्दा ने इस पर कांग्रेस जनों की अपेक्षा गैर कांग्रेसियों से अधिक विचार विमर्श किया। कांग्रेस के सामने तो यह बात बाद में आई। यह सत्य है कि हमें यह बात अच्छी लगी — वह महत्वपूर्ण बात यह है कि सब को काम करने का अवसर दिया जाये, और दूसरा विचार यह है कि इसे राजनीति से अलग रखा जाय। इस में हमें कांग्रेस संस्था से ही नहीं मिलना चाहते। निस्सन्देह हम चाहते हैं कि इस कार्य में कांग्रेस जन हमें सहायता दें। इस में कोई पुरस्कार नहीं मिलता। इस में कोई पदधारी नहीं है। जो कोई भी इस में कार्य करना चाहता है, कर सकता है। कोई भी आदमी जो फावड़ा ले कर खोदना चाहे वह खोद सकता है। इस में यही है और राजनीति को इस में स्थान नहीं है। मैं सदन को यह बता दूं कि वास्तव में कुछ राजनैतिक दल इस में अपने दलों के रूप में भाग लेना चाहते थे। हमने उन्हें बताया कि ऐसा करना ठीक नहीं। वे व्यक्तिगत रूप में भाग लें। यदि मैं भारत सेवक समाज में भाग लेता हूं तो मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप में करता हूं। मैं उस में कांग्रेस की ओर से नियुक्त होकर भाग नहीं लेता। इससे राजनैतिक काम न ले कर दूसरे लोग भी इस में भाग ले सकते हैं। चाहे यह कांग्रेस दल हो अथवा अन्य कोई दल हो हम इसे राजनैतिक विवाद से परे रखना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि हमें इस में सफलता मिलेगी या नहीं। मैं समझता हूं कि जैसा श्री देशपांडे ने कहा कि इसके किसी नियम या विनियम में यह दिया हुआ है कि जो व्यक्ति हिंसा में विश्वास रखते हों या हिंसात्मक कार्य या साम्प्रदायवादी कार्य करना चाहते हों उन्हें इस में आने के लिये प्रोत्साहन नहीं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दिया जाता। किन्तु जैसा कि मैं ने कहा व्यक्तिगत रूप में इस में प्रत्येक व्यक्ति आ सकता है। किन्तु यदि इस में कोई ऐसी संस्था आ जाये जो हिंसा में विश्वास रखती हो अथवा निश्चित रूप से सम्प्रदायवाद में विश्वास रखती हो तो इस से न केवल उस कार्य में बल्कि सब कार्य में कठिनाइयां उत्पन्न होंगी और उस का परिणाम यह होगा कि इसकी अपेक्षा कि हम उस विशेष कार्य को कर सकें और हमारे कार्य में सहयोग हो सके उस में विवाद और झगड़े पैदा होंगे और उस में सम्मिलित होने से अन्य प्रयोजनों के लिये लाभ उठाया जायेगा। हिंसा के सम्बन्ध में मुझे इस सदन में कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं किन्तु मैं सदन को यह बता दूं—कि बहुत से सदस्यों को यह याद न होगा—इस संसद् ने अथवा इस संसद् के पूर्वाधिकारी ने सरकारी तौर पर एक संकल्प द्वारा साम्प्रदायिकता को बुरा बताया और सरकार को इस बात का निर्देश दिया कि यह साम्प्रदायिक संस्थाओं से कोई सम्बन्ध न रखे। निस्सन्देह, कानून के अन्दर जो स्वतन्त्रता मिलती है वह उन्हें भी प्राप्त है किन्तु सरकार किसी भी साम्प्रदायिक संस्था को, चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम, सिख और पारसी हो, किंचित्मात्र प्रोत्साहन नहीं देगी। सरकार की यही सरकारी नीति है जिस का हम अनुसरण करना चाहते हैं। किन्तु जहां तक भारत सेवक समाज का सम्बन्ध है उसका सरकार की इन नीतियों से कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु इस का सम्बन्ध तो अपने कार्य को बिना तर्क के शान्ति पूर्वक करने से है। यह अपने कार्य में तर्क की भावना तथा झगड़ा नहीं चाहता। इसके जो कोई भी नियम बनाये गये हैं उनका यही अभिप्राय है। मैं नहीं जानता कि उन नियमों को अन्तिम रूप दिया गया है अथवा नहीं।

अब दूसरी बात यह है कि मैं विरोध प्रदर्शित तो नहीं करता – मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिये। डा० साहा ने जो कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी हैं, 'फासिस्ट' शब्द का इस प्रकार प्रयोग किया जिससे मैं केवल यही समझ सकता हूं कि माननीय सदस्य 'फासिस्ट' शब्द के अर्थ नहीं जानते। दुर्भावना से मैं भी उन्हें 'फासिस्ट' कह सकता हूं। किन्तु निश्चय ही इन शब्दों का कुछ अर्थ होता है और वैज्ञानिक उनका तब तक प्रयोग नहीं करेंगे जब तक वे अपने विज्ञान को भूल न गय हों। वे व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग नही कर सकते। यह तो विज्ञान का पतन है। इस सदन में उन्होंने 'फासिस्म' के विषय में कहा। यहां क्या फासिज्म है? क्योंकि विधान मंडल की हमारी स्थायी समितियां नहीं हैं? तो क्या यह तर्क है? क्या यह बुद्धिमत्तापूर्ण बात है? मैं इसे समझ नहीं पाता। मैं सदन को यह अवश्य बताऊगा कि जिस प्रकार यह सदन कार्य करता ह, जिस प्रकार यह सरकार कार्य करती है और जिस प्रकार विरोधी दल के सदस्य यहां अथवा सदन के बाहर करते हैं ऐसा केवल यही सरकार करने देती है। मैं जानना चाहता हूं कि संसार के कितने देशों में यह स्वतंत्रता प्राप्त है। वस्तुतः सरकार का विरोधी दल, केवल उन संस्थाओं के सम्बन्ध में जो प्रत्यक्ष रुप से ऐसे कार्य करती हैं जो कि प्रशासन विरोधी है अपितु हर प्रकार का विरोध करती है, के प्रति जो रुख है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि एशिया, अमेरिका, यूरोप अथवा अफ़्रीका के किस देश में विरोधी दल को इतनी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है? अब मैं 'फासिस्म' और एक 'सत्तावाद' (ऑथोरिटेरियनिज़्म) को लेता हूं।

श्री मेघनाद साहा : मैं सन् १९२७ के इटली के फासिस्ट शासन में रहा हूं और 'फासिज्म' का अर्थ .....

सभापति महोदय : वह बोल चुके हैं और अब बाधा न डालें । माननीय सदस्य को व्याख्या के रूप में भाषण या उत्तर नहीं देना चाहिये । अब किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : डा० मेघनाद साहा का इटली में २० या ३० वर्ष पूर्व जो अनुभव था उसमें मुझे कोई रुचि नहीं है । हम तो आज कल की बात कर रहे हैं और इसी में मैं उनकी बात को चुनौती दे रहा हूं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : (हुगली) : माननीय सदस्यों की बात को चुनौती दी जा रही है । उन्हें व्याख्या का अवसर भी नहीं दिया जा रहा है ।

सभापति महोदय : विरोधी दल के सदस्यों ने बहुत चुनोतियां दी हैं ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री नम्बियार : हमें सरकार का भय नहीं । हमें इस तरह कोई धमकी नहीं दे सकता ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अध्यक्ष के कार्य अपने हाथ में लेना चाहते हैं ? उन्हें इसका खण्डन अथवा तर्क नहीं करना चाहिये । मैं प्रधान मन्त्री को बोलने दूंगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : डा० साहा को व्याख्या के लिये दो मिनट दिये गये थे । किन्तु उन्हें अवसर नहीं दिया गया । क्या आप उन्हें अवसर देंगे ?

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : प्रधान मंत्री ने विरोधी दल पर आरोप लगाये जो उन्हें बुरे लगे । प्रधान मंत्री ने भी यह पूछा कि विरोधी दल जैसा इस देश में कार्य कर सकता है क्या ऐसा किसी और देश में कर सकता है । यदि प्रधान मंत्री हमारी बातें सुनें तो यह उचित होगा । उन्होंने कहा कि विरोधी दल में धैर्य और बुद्धि नहीं है .....

अध्यक्ष महोदय : एक से अधिक सदस्य एक साथ नहीं बोल सकते । विरोधी दल के नेता ने अपनी बात कह दी है और मैंने उसे सुना । वह चाहते हैं कि प्रधान मंत्री उनकी बात सुनें । यदि यहां नहीं तो कहीं और जगह सुनें । मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री उन्हें यह अवसर देंगे और यदि आप उन्हें यह विश्वास करा देंगे कि उनका वक्तव्य गलत है तो वह अपनी भूल स्वीकार कर लेंगे । माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत व्याख्या का अवसर दिया जायगा किन्तु सभापति की आलोचना करने का अवसर नहीं दिया जायगा । अब १२ बजने वाले हैं और मैं प्रधान मंत्री से कहूंगा कि वह अपना भाषण जारी रखें ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, आपने जो कुछ कहा मैं उससे पूर्णरूप से सहमत हूं । जो कुछ मैंने कहा है यदि उसके विषय में मुझे कोई सूचना मिलेगी या उसका खण्डन किया जायेगा अथवा उसमें सुधार किया जायेगा, तो निश्चय ही मुझे प्रसन्नता होगी । आदमियों को बुद्धि को गज से नापना अथवा तराजू से तोलना कठिन है । यदि इसका भी प्रमाण हो तो, मैं उसके लिये भी तय्यार हूं । आज सवेरे से कुछ समय से इस विषय पर चर्चा होती रही है और मेरे दल से अब तक कोई नहीं बोला । अपने दल का मैं प्रथम वक्ता हूं और हमने विरोधी दल के सदस्यों को एक के बाद दूसरे को बोलने दिया और मुझे याद है कि इस सदन में अपेक्षाकृत शान्ति हो रही यद्यपि उन्होंने सब तरह के आरोप लगाये और यहा तक

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कहा कि हम अमेरिका के पिट्ठू हैं और पारस्परिक सुरक्षा अधिनियम (म्युच्युल सीक्योरिटी एक्ट) भी पढ़ा गया और यह भी कहा गया कि हम विदेशी सरकार के आधीन हैं आदि आदि। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। आज के दिन तो विरोधी दल ही बोलता रहा और जब मैं बहुत ही संयत भाषा में विरोधी दल के तर्क में कुछ त्रुटियां बताता हूं और जब उनकी बात में सुधार करता हूं और जब इस सुधार किये जाने की कुछ उचित रीतियां बताता हूं तो दुर्भाग्यवश विरोधी दल उससे सहमत नहीं होता। मैं समझता हूं कि विरोधी दल सहमत ही नहीं होता—जो कुछ भी मैं कहता हूं। यह कहा गया कि हम जो स्थायी समितियां नहीं रख रहे हैं इसमें कोई गहरी चाल है। एक सदस्य ने यह कहा कि इसका अमेरिकन सहायता से सम्बन्ध है। इन कल्पनापूर्ण बातों से मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि अब तक मैंने किसी को इस प्रकार की बातें कहते कभी सुना नहीं। मैं समझता हूं कि ये स्थायी समितियां सन् १९२२ या उसके लगभग बनाई गई थीं; जो कि बहुत विशेष कारणों से बनाई गई थीं जो अब नहीं हैं। मुझे किसी ऐसे देश का पता नहीं जहां पर संसदीय संस्थायें हों और उसकी ऐसी स्थायी समितियां हों। निस्संदेह, इसका यह अर्थ नहीं कि हम स्थायी समितियां न रखें। किन्तु यदि माननीय सदस्य यह समझें, जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा कि ये स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों के दैनिक प्रशासन में भाग लेती हैं तो यह उनकी गलती है, वे ऐसा कुछ नहीं करतीं। स्थायी वित्त समिति को छोड़ कर, जिसकी बैठक बहुत बार होती रही है, इन स्थायी समितियों की बैठक वर्ष में एक या दो बार हुई और उनकी बैठक कुछ विशेष परियोजनाओं पर विचार करने के लिये हुई जिसकी उन्होंने वित्त समिति को सिफारिश की। उनको प्रशासन के वास्तविक देख रेख का अवसर नहीं था। यह एक औपचारिक बात थी और पहिली जो सरकार थी उस पर ये एक प्रकार का नियंत्रण के रूप में कार्य करती थीं। आजकल हमारा जैसा प्रशासन उस में इस प्रकार की विशेष स्थायी समितियों का कोई अर्थ नहीं है; यह तो एक परामर्श-दात्री समिति थीं; अब इनका कोई प्रयोजन नहीं है।

सदन को याद होगा कि एक पिछले अवसर पर मैंने कहा था कि विरोधी दल हमें यथासम्भव जितना भी सहयोग देगा या सदन देगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। उस सहयोग को प्राप्त करने के लिये एक रीति को खोज निकालना या उस रीति को बनाना बहुत कठिन है। मैं समझता हूं कि बहु-संख्यक दल में ३५० या इससे अधिक सदस्य हैं। हमारे कार्य से बहुत अधिक सदस्यों का सम्बद्ध रहना कठिन ही है। किन्तु मैं चाहता हूं कि वे बहुत प्रकार से इससे सम्बद्ध रहें। निजी मामलों में, दल के मामलों में हम उनसे प्रशासन का अध्ययन करने के लिये समितियां बनाने को कहते हैं। यह मुख्य रूप से दल का मामला था, इसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं। और मैंने विरोधी दल के सदस्यों से कहा था कि मैं महत्वपूर्ण मामलों पर उन से विचार विमर्श करूंगा और कुछ दिन पूर्व वैदेशिक कार्यों के सम्बन्ध में हमारी एक ऐसी अनौपचारिक बैठक भी हुई। मेरा सुझाव है कि हम ऐसा किसी भी समय किसी भी विषय पर करने के लिये तैयार हैं, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि विरोधी दल के सदस्य या इस दल के सदस्य हमें इस सम्बन्ध में सुझाव दें कि हम सरकार के कार्य में किस प्रकार अधिक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं—मैं इस सदन में सहयोग की बात को नहीं कह

रहा हूं किन्तु महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में वास्तविक परामर्श आदि के लिये भी कह रहा हूं। मैं किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने के लिये तैयार हूं। किन्तु मैं यह समझता हूं कि स्थायी समितियों की जो पुरानी प्रथा है वह बिल्कुल असंगत है। इस से वह वास्तविक सहयोग या वे वास्तविक अवसर नहीं मिलते और यह तो पुराने ब्रिटिश काल की निशानी ही थी जो आज निरर्थक है। अतः हम ने इन्हें समाप्त करने का निश्चय किया किन्तु परामर्श या सहयोग प्राप्त करने की सम्भावना को समाप्त करने का निश्चय नहीं किया। हमें इस बात की जांच करनी चाहिये और मैं इस पर यथासंभव जांच करने को तैयार हूं। किन्तु सदन को यह स्मरण रखना चाहिये कि यह सहयोग तभी सफल हो सकता है जब कि हम सहयोग की भावना से ही काम करें। इस के विपरीत यदि यह केवल विरोध करने और बाधा डालने के लिये ही हो तो इस का कुछ भी परिणाम नहीं निकलता। आखिरकार प्रशासन कार्य का अधिक भाग ऐसा तो नहीं है जिस में विरोध होना आवश्यक ही हो : प्रशासन में ऐसी बहुत सी बातें सामान्य हैं जिन्हें किसी भी राजनैतिक दल को करना पड़ता है। हम यह अवश्य चाहते हैं कि उन मामलों के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य विशेषज्ञ हो अथवा कुछ जानते हों हमें उन के विचार पता लगें और जैसा कि मैं ने कहा मैं उन के सुझाव का स्वागत करूंगा और उन सुझाई गई बातों को पूरा करने का यत्न करूंगा। मेरे अपने कुछ विचार हैं जिन का मैं अनुसरण करना चाहता हूं किन्तु मैं अन्य बातों का भी स्वागत करता हूं।

विदेशी सरकार के अधीन होने की बात के विषय में मैं यह कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि इस मामले में माननीय सदस्य हमें यह बताते कि हम ने कौन सा ऐसा कार्य किया है जो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जो हम ने दूसरी सरकार के निर्देश के अथवा उस के परामर्श के अनुसार किया है। निश्चय ही इस की यही कसौटी है। मैं उन से इस बात में सहमत हूं कि उन्हों ने जो 'पारस्परिक सुरक्षा अधिनियम' पढ़ा उस में इस मामले में अमेरिकन प्रशासन की भावनायें व्यक्त हैं। और निस्सन्देह वह अन्य सरकारों से ऐसी सहायता और समर्थन चाहते हैं। किन्तु बात तो यह है कि हम इस विषय में क्या करते हैं, इस में यह बात नहीं है इस अधिनियम को पारित करते समय अमेरिकन कांग्रेस की क्या इच्छा थी। प्रश्न यह है कि क्या हम किसी मामले में अपनी नीति को छोड़ देते हैं और क्या हम अपनी नीति से इस लिये विचलित हो जाते हैं क्योंकि कोई दूसरा देश हम पर दबाव डालता है या विदेश से धन प्राप्त करने की इच्छा से हम ऐसा करते हैं। हम ने प्रत्येक अवसर पर सदा ही ऐसे हर देश को, जिस से हम ने ऐसा व्यवहार रखा, यह स्पष्ट कर दिया कि हम अपनी गृह नीति अथवा विदेश नीति को नहीं बदलेंगे और इसे स्वीकार करा लिया गया है। और यदि इसे कभी किसी ने स्वीकार नहीं किया है तो यह मामला वहीं समाप्त हो जाता है और हम वह सहायता नहीं लेते हैं और यदि आवश्यक हो तो उस देश से भी संबंध नहीं रखते। अतः इस पर इस प्रकार विचार करना चाहिये : क्या हम ने कुछ किया है ? यदि हम ने कुछ किया है तो हम इस की जांच करें और हम इस सहायता को न लें। किन्तु केवल यह कहना कि दूसरे देश यह चाहते हैं कि हम कुछ और करें तो यह कुछ प्रबल तर्क नहीं है। इस से कुछ और बढ़ कर यह कहना कि हम ने स्थायी समितियों को इस कारण समाप्त कर दिया है या समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि हमें इस बात का भय है कि लोगों को सरकार के आन्तरिक कार्यों का पता लग सकता है, तो यह एक बड़ा अजीब

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

आरोप है। जैसा कि मैं ने कहा जब मैं बहुत संयत भाषा में उन्हें कुछ तथ्य बताता हूं तो वे उत्तेजित हो जाते हैं। किन्तु क्या माननीय सदस्य इस बात को समझते हैं कि वे हम पर यह आरोप लगाते हैं कि न केवल विरोधी दल के बिना बताये अपितु संसद और भारतीय जनता को बिना बताये हमारा विदेशों से कोई गुप्त समझौता है ? हम में उन्हें इन गुप्त समझौतों को बताने का साहस नहीं है। यह बात स्पष्ट रूप से तो नहीं कही जाती किन्तु इस का अर्थ यही होता है। यह बड़ा गम्भीर आरोप है। मैं इसे पूर्ण रूप से अस्वीकार करता हूं। हमारे देशों से जो सम्बन्ध हैं उस के विषय में कोई गुप्त बात नहीं है और न जनता से ही कुछ छिपा है। यदि हम कोई विशेष कार्य करें उस में हमारी बात ठीक भी हो सकती है और हमारी गलती भी हो सकती हैं। मैं अपनी सरकार और अपनी ओर से यह कह रहा हूं कि मैं ने राजनीति के मामले में कभी गुप्त रीति से काम नहीं किया। जो व्यक्ति गुप्त रीति से या छिप कर कार्य करते हैं मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं—ऐसी बात नहीं है। किन्तु मेरे जीवन में जो आदत पड़ गई है मैं उसी के अनुसार कार्य करता हू। यदि मैं इसे करना भी चाहूं तो भी मैं नहीं कर सकता। यदि मैं अपने विषय में यह कहूं कि जनता पर मेरा कुछ प्रभाव है अथवा वह मुझे श्रद्धा से देखती है तो उस का कारण यह है कि मैं अपनी आन्तरिक भावना के सम्बन्ध में उन्हें अपने विश्वास में ले लेता हूं। विदेशों से गुप्त सम्बन्ध रख कर हम इस सरकार को नहीं चला सकते। यह सरकार समाप्त हो जानी चाहिये यदि भारतीय जनता अथवा इस संसद् की सम्मति के बिना ऐसा करती है।

श्री नम्बियार : यही होगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : विरोधी दल के माननीय सदस्य ने वही भावना प्रदर्शित की है जो मैं ने पहले विरोधी दल के कुछ सदस्यों के विषय में कही थी। यह कैसी अजीब बात है कि सत्य को दबाने का सब प्रयत्न करने पर भी सत्य प्रकट हो ही जाता है।

इस का स्थायी समितियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। हम अपनी विदेश नीति या सहायता कार्यक्रम की चर्चा करें। स्थायी समितियां यदि बनी भी रहें तो भी सरकार के लिये किसी बात को समितियों से गुप्त रखना उतना ही सरल होगा। वास्तव में स्थायी समितियों को गुप्त बातें मालूम ही नहीं होतीं। उन्हें तो केवल वही स्पष्ट बातें मालूम होती हैं जिन्हें सब जानते हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : जो देश विदेशी सहायता को देने में कुछ शर्तें लगाता हो उस के स्वीकार करने के विषय में सामान्य व्यक्ति क्या निष्कर्ष निकाल सकता है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : यह बात तो आप की शक्ति पर आधारित है। प्रश्न यह नहीं है कि अमेरिका ने जो कुछ कहा हमें वही करना चाहिये। किन्तु प्रश्न यह है कि हम ने क्या बात मानी है। इस समझौते की प्रस्तावना में यह दिया हुआ है कि : "हम यह मानते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्र संस्थायें तथा स्वाधीनता और स्थिर आर्थिक व्यवस्था तथा स्थिर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध आपस में एक दूसरे पर आश्रित हैं। हम भारत के एकीकृत आर्थिक विकास में सहयोग देना और उसे बढ़ाना चाहते हैं। हम यह भी मानते हैं कि दोनों देशों के आर्थिक विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के प्रविधि वेत्ताओं के एक दूसरे देश में आने जाने से दोनों देशों के लिये लाभदायक है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सरकार तथा भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ाने और विश्वशान्ति को

बनाये रखने में साथ रहेगी और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के कारणों को दूर करने में दोनों ऐसा कार्य करेंगी जिस पर दोनों सहमत हों। हम ने प्रविधि सम्बन्धी सहयोग कार्यक्रम को करना स्वीकार किया है और इस की पृथक परियोजनायें हैं।

इस समय मैं विदेश नीति पर चर्चा नहीं करना चाहता। इस पर मैं पहिले बोल चुका हूं और इस पर इस सदन में तथा अन्यत्र फिर चर्चा करूंगा, क्योंकि यह आवश्यक है कि विरोधी दल के सदस्य इसे समझें। भारत के निवासी, और यहां के ग्राम निवासी भी इसे थोड़ा बहुत समझते हैं। किन्तु इन बुद्धिमान माननीय सदस्य को इन साधारण बातों को समझने में कठिनाई हुई।

योजना आयोग के सम्बन्ध में तो ऐसी बात कोई नहीं हुई जिस से विरोधी दल के सदस्य इस बात को उठा सकते। योजना आयोग कांग्रेस से बिल्कुल अलग कार्य कर रहा है, यद्यपि यह सत्य है कि प्रमुख कांग्रेस जनों का इससे सम्बन्ध है, जैसा कि उनका इस सरकार से सम्बन्ध है, और यह सत्य है कि वे इस सरकार को चलाते हैं। हम उस तथ्य को नहीं भूल सकते। किन्तु वे योजना को गैर-दल की भावना के रूप में चलाते हैं और उसी रूप में उस से सम्बन्ध रखते हैं न कि मंत्रियों के रूप में। इस मामले में एक मंत्री को योजना आयोग के सदस्य की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। यदि इस में कोई सदस्य मंत्री नहीं होता तो वह इस का एक पदाधिकारी होता है जिस का किसी दल से सम्बन्ध नहीं होता। वह उस विशेष कार्य में एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करता है।

मेरी सम्मति में ये स्थायी समितियां बिल्कुल व्यर्थ थीं। उन्हों ने कोई उपयोगी कार्य नहीं किया। हो सकता है कि उन से कुछ सदस्यों को यह प्रभाव पड़ा हो कि वे कुछ कार्य करती थीं। उन का पुरानी अंग्रेजी व्यवस्था से इतना अधिक सम्बन्ध था कि हम उन में कार्य नहीं कर सकते थे। प्रशासन के सम्बन्ध में परामर्श करने के यदि और तरीके हों तो मैं उन पर विचार करने को तैयार हूं।

श्री रघवय्या : क्या प्रधान मंत्री सदन को वे समझौते बतायेंगे जो भारत सरकार ने दूसरी सरकार से किये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वे सदन पटल पर रख दिये जाते हैं।

श्री गाडगिल : जिन बातों पर चर्चा हुई उन पर मैं निष्पक्ष विचार करना चाहता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि ये मण्डलियां विभिन्न मंत्रालयों की समस्याओं का अध्ययन करती हैं। और इन अध्ययन के मामलों में मंत्रीगण पथ प्रदर्शन करते हैं और ये अधिकारी तो आंकड़े तथा सूचना देते हैं। ये केवल अध्ययन मण्डलियां हैं। इस बात पर आपत्ति की गई थी कि इन में अधिकारीगण सम्मिलित होते हैं। इस से यह बात स्पष्ट हो जायेगी। यदि सदस्य प्रश्न पूछें तो उन्हें भी सूचना मिल जायेगी। अतः इस से संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा, विरोधी दल को भी सूचना तथा आंकड़े बताये जायेंगे। यह भी कहा गया था कि इस से तो सरकार एक दल के हाथ में आ जायेगी। रूस की राजनैतिक संस्थाओं तथा वहां की प्रथाओं के देखने से यह मालूम होगा कि वहां सरकार और वहां के दल में कोई भेद नहीं। अतः रूस के समान ऐसा करने के कारण विरोधी दल को कांग्रेस को बधाई देनी चाहिये। स्थायी समितियों के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि भारत सरकार अधिनियम, १९३५ के अन्तर्गत दो समितियां बनाई गई थीं और शेष केन्द्रीय विधान सभा के संकल्प के अन्तर्गत बनीं। उस समयकी सरकार अनुत्तरदायी थी और वह चाहती थी कि इस में नीति बनाने के मामले में जनता का प्रतिनिधित्व भी हो

[श्री गाडगिल]

और उन्हें भी कुछ सूचना प्राप्त हो। ये परामर्श-दात्री समितियां उस सरकार ने बनाई थीं जो अब नहीं है। अब हमारी संसदीय सरकार है। अतः अमेरिका के संविधान के उपबन्ध हमारे लिये असंगत हैं। हमारे संविधान के अनुसार हमारी सरकार उत्तरदायी है। अतः इन समितियों के बनाने से उत्तरदायित्व पर प्रभाव पड़ेगा और ऐसा संविधान के भी विरुद्ध होगा।

यदि ये स्थायी परामर्शदात्री समितियां बनाई जायें तो ये किस प्रकार कार्य करेंगी। विरोधी दल के सदस्य उस में किसी बात को मान कर उस से लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। वे यह कह सकते हैं कि वह तो व्यक्तिगत रूप से वाक् बद्धता की गई थी और उन से उन का दल बाध्य नहीं। और यदि वे उस का विरोध करें तो ये स्थायी परामर्शदात्री समितियां निरर्थक होंगी।

इन परिस्थितियों में, मैं समझता हूं कि संसदीय कार्यपालिका के हित में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिये जिस से कि सरकार का उत्तरदायित्व कम हो। सरकार नीति बनाने तथा उस को कार्यान्वित करने के लिये उत्तर-दायी है। यदि वह गलती करेगी तो संविधान में इस का समाधान है। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा था कि सरकार इस बात के लिये तैयार नहीं है कि कोई दल सरकार के प्रशासनात्मक कार्यों के उत्तरदायित्व में भाग ले।

अध्यक्ष महोदय : मैं डा० मेघनाद साहा को अपनी बात कहने का अवसर देना चाहता था किन्तु वे यहां नहीं हैं। अब मैं सदन के समक्ष प्रस्ताव रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ से ३ तक विधेयक का अंग बना लिये गये।

अनुसूची विधेयक का अंग बना ली गई।

विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

१२ मध्याह्न।

सारभूत वस्तुएं (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन सारभूत वस्तुएं (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक के सम्बन्ध में बुधवार, २८ मई, १९५२ को श्री सी० डी० देशमुख द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा। यह प्रस्ताव विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में है।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि इस में उल्लिखित तिथि १२ जून, १९५२ अब ठीक नहीं है, श्रीमान्, इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन होना है।

अध्यक्ष महोदय : नई तिथि कौन-सी है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं ११ जुलाई ठीक रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं "१२ जून, १९५२" के स्थान पर "११ जुलाई, १९५२" रख कर प्रस्ताव को संशोधित रूप में रखूंगा।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरूपुर) : यह विधेयक अनुच्छेद २८६ के अनुसार ह जिस पर संविधान में बहुत अधिक चर्चा हुई थी, क्योंकि इस से प्रान्तों के एक बहुत महत्व-पूर्ण राजस्व पर प्रभाव पड़ता था। अधिकांश प्रान्तीय मंत्रियों ने जो कि संविधान सभा के उस समय सदस्य थे, यह समझा कि उन के प्रान्तों में इस से उन के राजस्व पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वहां विक्रय कर राजस्व का आधार है।

(**श्री पाटसकर** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे)

उदाहरण के लिये गत वर्ष मद्रास में, यह १५ करोड़ रुपये था। डा० अम्बेडकर ने इस सम्बन्ध में संविधान सभा में जो सुझाव दिया था वही उस का कारण था। उन वाद-विवादों के अंक १० के ३२६ पृष्ठ पर जो उन्हों ने कहा था वह दिया हुआ है कि :

> "यह बात मान ली गई है कि पूरे भारत के सामुदायिक जीवन में कुछ वस्तुएं इतनी सारभूत हैं कि जिन प्रान्तों में वे मिलती हों उन पर वे प्रान्त विक्रय कर न लगावें।"

संविधान में यह अनुच्छेद इस लिये रखा गया था कि यह समझा गया था कि कुछ सारभूत वस्तुओं पर विक्रय कर न लगा रहे। अब प्रान्तीय सरकारों के परामर्श के पश्चात् विधेयक में जो बात रखी गई है उस का अभि-प्राय यह है कि वर्तमान विक्रय कर सभी प्रान्तों में उसी प्रकार लगा रहेगा। भविष्य में अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं पर विक्रय कर बढ़ाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी।

अब मैं अनुसूची को लेता हूं। मेरा निवेदन है कि बहुत सी वस्तुएं बड़ी महंगी हैं। उदाहरणार्थ नमक एक आवश्यक वस्तु है। नमक पर से मूल कर हटा दिया गया है। यह आवश्यक वस्तु है किन्तु इस पर पैसा कम लगता है। हम शिक्षा प्रसार करना चाहते हैं। उस के लिये पुस्तकें आवश्यक हैं। अतः इस के प्रसार के लिये हमें पुस्तकों तथा शिक्षा के अन्य साधनों पर कर नहीं लगाना चाहिये। करघे के मोटे तथा बीच के कपड़े और मिल के बने सूती कपड़े तथा करघे के ऊनी कपड़े इन सभी वर्गों पर वही नियम नहीं लगना चाहिये। मेरा सुझाव है कि प्रवर समिति इस सिद्धान्त पर विचार कर सकती है।

अनुसूची की मद संख्या ८ में कोयला, कोक, पैट्रोलियम और पैट्रोल से बनी वस्तुएं, मोटर का तेल और बिजली आदि वस्तुएं दी हुई हैं। क्या इस का मतलब यह है कि घर में काम आने वाले कोयले, कोक और बिजली पर प्रान्तीय सरकारें कर लगा सकती हैं? कई स्थानों पर गृह उपभोग की बिजली पर कम कर लगता है। और इस में इस कर को सम्मिलित नहीं किया गया। मेरा सुझाव है कि प्रवर समिति अनुसूची का अधिक अध्ययन करे क्योंकि यह विधेयक का सार है। प्रवर समिति को यह अनुसूची लम्बी नहीं करनी चाहिये क्योंकि इस से प्रान्तों की कर लगाने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। अतः यह आवश्यक वस्तुओं को छोड़ कर अन्य वस्तुओं को प्रान्तों पर छोड़ दे ताकि कर के मामले में सरलता रहे।

मद्रास या एक या दो प्रान्तों में चीज़ों के बेचने पर ही कर नहीं लगता अपितु ठेकों पर भी लगता है। मज़दूरी के ठेके पर भी कर लगता है। उदाहरणार्थ रंगाई के उद्योग को लीजिये। माना कि इसे करने वालों ने इस में १,००० रुपये लगाये। इसी में से उन्हें रंग आदि चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। और वे कपड़े आदि की रंगाई का व्यादेश (आर्डर) लेते हैं। यदि उन्हें व्यादेश मिलते रहे तो सम्भव है कि उन का १०,००० रुपये तक का काम चलने लगे।

[श्री टी० एस० ए० चेटियार]

इस में लाभ अथवा हानि हो सकती है। किन्तु विक्रय कर में इस पर विचार नहीं किया जाता। यह कर तो लिये गये व्यादेशों पर लगाया जाता है। रुपया १,००० लगाया गया किन्तु कर उस के काम पर लगता है। इस से इन व्यक्तियों को कठिनाई हो रही है। इन की आय कम है और बहुतों की गुजर नहीं होती मेरा सुझाव है कि मज़दूरी पर कर नहीं लगाना चाहिये।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इस विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जा रहा है, इस में ऐसी भी वस्तुएं हैं जो इस की सूची में सम्मिलित नहीं की जानी चाहियें थीं। और इस में उपभोक्ताओं के लाभ की बहुत सी वस्तुएं सम्मिलित नहीं की गई। कच्ची रुई, जिस में धुनी हुई रुई तथा बिना धुनी हुई रुई सम्मिलित है अथवा कपास या रुई के धागे, कोयला और कच्चा तथा पक्का लोहा। ये सब वस्तुएं इसलिये सारभूत वस्तुओं में सम्मिलित की गई हैं ताकि प्रान्त इन पर कर न लगा सकें। मद्रास, त्रावनकोर-कोचीन तथा मैसूर को इन पर विक्रय-कर लगाने से बड़ी आय होती है। यदि यह विधेयक पारित हो गया तो इस के फलस्वरूप राज्यों की अर्थ व्यवस्था को हानि होगी और बाध्य हो कर वे उपभोक्ताओं की वस्तुओं पर कर लगायेंगे। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार कर रही है। मैं नहीं जानता कि राज्यों ने क्या उत्तर दिये। गत वर्ष मद्रास को विक्रय कर से ६४ लाख रुपये मिले थ।

श्री सी० डी० देशमुख : कुछ करोड़ रुपये मिले थे।

श्री वैलायुधन : मेरी सम्मति में सरकार को इस अनुसूची में तेल, साबुन, पाठ्य पुस्तकें तथा पैंसिल जैसी उपभोक्ताओं की वस्तुएं सम्मिलित करनी चाहियें। अन्यथा इस विधेयक से जनता को लाभ नहीं होगा। पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों के पास पैसा बहुत है अतः उन पर कर लगाने में कोई कठिनाई नहीं है। इस प्रकार का कर जनता के लिये भार बन गया है। मध्य वर्ग के लिये जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हें इस अनुसूची में सम्मिलित करना चाहिये। उदाहरणार्थ रेशम जो आसाम, बंगाल और मैसूर में बनता है। यदि सरकार इस पर विक्रय कर न लगाये तो इस से जनता को लाभ होगा। अन्यथा इस विधेयक से तो बड़े बड़े व्यापारियों को ही लाभ होगा।

श्री एस० सी० सामन्त : (तामलुक) : मैं इस विषय में माननीय मंत्री तथा प्रवर समिति के विचारार्थ कुछ सुझाव दूंगा। अनुसूची की मद संख्या १ में गेहूं की बनी सभी चीज़ें यथा आटा, मैदा, सूजी, तथा भूसी सम्मिलित हैं, उस में चावल की बनी चीज़ों का उल्लेख नहीं। अतः उस में 'चावल का चूरा' और भूसी भी सम्मिलित होनी चाहिये थी। "ताजा दूध" के बाद मछली, मांस, अण्डे और खाने काम के आने वाले तेल भी उस में सम्मिलित कर लिये जायें। इस में मिल के बने सूती तथा ऊनी कपड़े भी मिला लेने चाहियें। प्रवर समिति को पाठ्य पुस्तकों के विषय में भी विचार करना चाहिये।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : अनुसूची में सूखे फल रखे गये हैं। इसमें किश-मिश भी रखी जा सकती है। सूखे फलों के विषय में तो उपबन्ध किया गया है किंतु गुड़ जैसी सामान्यवस्तु के लिये, जिसे सभी खाते हैं, कुछ भी नहीं किया गया। गुड़ के समान घानी का तेल भी छोड़ दिया गया है। इसका भी सभी प्रयोग करते हैं। मैं वित्त मंत्री तथा प्रवर समिति से प्रार्थना करूंगा कि वे इन चीज़ों को अनुसूची में सम्मिलित कर लें। चीनी भी इसमें आनी चाहिये क्योंकि इसको भी सभी खाते हैं। जब सरकार

इस पर उत्पादन कर लेती है तो इस पर अतिरिक्त कर क्यों लगना चाहिये। मुझे डर है कि कुछ समय बाद प्रांतीय सरकारें इन वस्तुओं पर भी कर लगा देंगी। इससे निर्धन व्यक्तियों की कठिनाइयां बढ़ जायेंगी।

श्री नम्बियार (मयूरम) : मैं तो चाहता हूं विक्रय कर समाप्त कर देना चाहिये। इससे निर्धन जनता को हानि होती है। उसकी मांग करना तो इस विधेयक के कार्य क्षेत्र से बाहर है। मेरा सुझाव यह है कि जब हम कुछ सारभूत वस्तुओं पर कर न लगायें तो हमें यह देखना चाहिये कि हम सभी आवश्यक वस्तुओं के बारे में ऐसा उचित रूप से कर रहे हैं या नहीं। इस विधेयक में सभी प्रकार के कपड़े, रुई और कपास तो सम्मिलित हैं किंतु सूत इसमें नहीं रखा गया। रुई तथा अन्य करघा निर्मित कपड़ों पर विक्रय कर नहीं लग रहा है किंतु बिना सूत के करघे के कपड़े नहीं बन सकते। दक्षिण में जुलाहों की बहुत बुरी दशा है। मद्रास में पांच लाख में से २ १/२ लाख जुलाहे बेरोज़गार हैं। अतः सूत को भी उस अनुसूची में सम्मिलित करना चाहिये।

मद संख्या ८ में कोयला तथा पैट्रोलियम से बनी चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया गया है। घरेलू काम में आने वाली बिजली पर तो कर नहीं लगेगा किंतु उद्योगों में काम आने वाली बिजली पर कर लगेगा। ऐसा भेद क्यों? कोयला से बिजली पैदा की जाती है किंतु कोयले को छोड़ दिया गया है, तो फिर उद्योगों में काम आने वाली बिजली पर क्यों कर लगाया जाय? यदि हम इस विधेयक को सामान्य व्यक्ति के लाभ के लिये बनाना चाहते हैं तो हमें सभी बातों पर समान रूप से विचार करना चाहिये न कि केवल कुछ ही आवश्यक वस्तुओं पर विचार करना चाहिये और उन पर ही केवल हम विक्रय कर न लगायें। अतः यदि हम चाहते हैं कि सामान्य व्यक्ति को भी लाभ हो तो इन वस्तुओं को भी इस विधेयक में सम्मिलित करना चाहिय

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : मैं इस विधेयक के सिद्धांत को समझ नहीं सका। हम आसाम निवासी वित्त मंत्री में विश्वास करते हैं। किंतु वे सदन में तो मीठी बातें करते हैं किंतु आदेश जारी करते समय उनकी भावना ऐसी नहीं रहती। मैंने वित्त मंत्री के विषय में एक कविता देखी जिसमें यह था कि श्री देशमुख अपने देश को भूल गये हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य प्रस्तुत विधेयक पर बोलें।

श्री आर० के० चौधरी : इस विधेयक में अंडी और मूंगा कपड़े सम्मिलित नहीं किये गये। इसका परिणाम यह होगा कि कोई भी प्रांतीय सरकार इन पर विक्रय कर लगा देगी। यह बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है और इस पर विक्रय कर नहीं लगना चाहिये।

यद्यपि खाने के काम में आने वाले तेल विधेयक में नहीं रखे गये और उन पर विक्रय कर भी नहीं लगेगा, किंतु मछली, जो कि पूर्वी भारत के निवासियों का सामान्य भक्ष्य पदार्थ है उसे इसमें नहीं रखा गया है। इससे निर्धन जनता पर प्रभाव पड़ता है। मांस भक्षियों के हित में मछली को भी इस विधेयक में सम्मिलित कर लेना चाहिये। मछली और चावल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और मछली और मांस पर विक्रय कर नहीं लगना चाहिये। हमारी जन संख्या जितनी बढ़ रही है, उसके अनुपात में अन्न उपजाना कठिन होगा। इसमें मछली भोज्य पदार्थ के रूप बड़ी सहायक होगी। और इससे खाद्य समस्या हल हो सकेगी। शाकाहारी भी अंडे खा सकते हैं। पश्चिमी देशों में अंडा शाकाहारी भोजन समझा जाता है। खाद्य समस्या को हल करने में इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिये।

अब मैं स्त्रियों के विषय में एक शब्द कहना चाहता हूं । प्रत्येक विवाहित हिंदू स्त्री अपने सिर की मांग में सिन्दूर भरती है। यह एक धार्मिक मामला है। अतः इस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगना चाहिये। यह लिपस्टिक्स के समान सौन्दर्य की वस्तु नहीं है । लिपस्टिक्स का आजकल काफ़ी प्रयोग हो रहा है। मेरा कहना यह नहीं कि इस पर कर न लगाया जाय, क्योंकि जो स्त्रियां इसे लगाती हैं वे इस पर लगाये जाने वाले कर को भी दे सकती हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपनी बात कह चुके हैं। मैंने पंडित ठाकुर दास भार्गव को बोलने के लिये कहा है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : इस विधेयक के उद्देश्य, उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में दिये हुए हैं : उसमें एक तो क़ानून में समानता रखना है और दूसरा इस संबंध में है कि कुछ सारभूत वस्तुओं पर कर न लगाया जाय। इस विधेयक का खंड ३ संविधान के अनुच्छेद २८६ (३) जैसा है। उनके शब्दों में केवल थोड़ा सा अन्तर है। संविधान के अनुच्छेद २८६(३) के होने से यदि विधेयक में यह खंड ३ न भी होता तो कुछ अन्तर न पड़ता। इस विषय में संविधान का यह अभिप्राय है कि तीन विषयों के मामले में राज्य के विधान मंडलों के अधिकार सीमित रहें । अनुच्छेद २८६ का शीर्षक "वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर करारोप के बारे में निर्बन्धन" है। मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इस अनुच्छेद २८६ (१) की यह व्याख्या हो सकती है कि यदि कोई ऐसा कानून हो जिससे अनुच्छेद २८६ (१) द्वारा निषिद्ध वस्तुओं पर कर लग सकता हो क्या वह कानून मान्य होगा? वह कानून मान्य नहीं होगा । और ऐसे कानून की मान्यता पर निषेध लगा हुआ है। अन्तर्राज्य व्यापार के सम्बन्ध में भी अनुच्छेद २८६ (२) के अनुसार निषेध लगा है।

खण्ड (३) के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि उसकी यह व्याख्या हो सकती है कि क्या उसका पश्चाद्वर्त्ती प्रभाव भी हो सकता है या नहीं । अनुच्छेद २८६ तथा संविधान की 'सामान्य भावना' पर विचार करते समय, डा० अम्बेडकर के शब्दों में, यह ऐसा प्रतीत होता है कि इसका अभिप्राय यह था कि कुछ वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर लगाने के सम्बन्ध में विधान मण्डलों के अधिकारों पर निबन्धन लगाये जा सकें। जन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में धारणा यह है कि संविधान के अनुसार उन वस्तुओं पर कर न लगाया जाये। इस विधेयक का भी यही सिद्धान्त है । इस सम्बन्ध में वही व्याख्या होनी चाहिये जो संविधान का अभिप्राय है । इस व्याख्या के विषय में कुछ आपत्ति भी उठायी गई है। इस खण्ड की स्पष्ट व्याख्या यह है कि आज तक यदि कोई ऐसा कानून प्रचलित हो जिसके अनुसार, इस संसद् ने कानून द्वारा जो वस्तुएं आवश्यक घोषित की हों, उन पर कर लगता हो तो वह वैध कानून नहीं है-- यदि उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित न कर लिया गया हो और उस पर उनका अनुमोदन प्राप्त न हो गया हो। मैं जानता हूं कि यह तर्क दिया गया था कि जब इस विधेयक को पारित किया गया था उस समय कोई राष्ट्रपति नहीं था और यह भी कहा जायगा कि संविधान बनने के पूर्व राज्यों के विधान मण्डल नहीं थे । परन्तु यह उपयुक्त तर्क नहीं है । मैं इससे प्रभावित नहीं होता। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस अनुच्छेद का पश्चाद्वर्त्ती प्रभाव नहीं है । "किसी राज्य का विधान" शब्द परिभाषिक रूप में प्रयुक्त नहीं किये गये । हमें विधान के सम्भावित प्रभाव पर विचार करना चाहिये। हमें खण्ड २ को ही रखना चाहिये और कानून की व्याख्या करने का कार्य उच्चतम न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय पर छोड़ देना

चाहिये। खण्ड ३ के न होने से कुछ हानि नहीं होगी। संविधान की व्याख्या करना विधान मण्डल का काम नहीं यह तो न्यायालयों का कार्य है। यदि आप अनुच्छेद २८८ को देखें, तो जो बात मैं कह रहा हूं वह इतनी अर्थहीन नहीं है जितनी कि इसके विपरीत विचार रखने वाले सोचते हैं। अनुच्छेद २८८ के खण्ड (१) में यह है: "जहां तक कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्ध करे, उस को छोड़ कर इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी राज्य में की कोई प्रवृत्त विधि,.....कोई कर नहीं आरोपित करेगी और न कर आरोपित करना प्राधिकृत करेगी"

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यदि कानून का यह अभिप्राय होता कि जो कानून पहिले बन चुके हैं वे वैसे ही बने रहें तो कानून में यह इस प्रकार उल्लिखित होता: "इसके बाद बनाया जाने वाला कोई कानून नहीं....." अथवा अनुच्छेद २८८ की शब्दावलि को ही रखा जा सकता था। जब मैं इस पूरे अध्याय को पढ़ता हूं तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि विधान मण्डल का अभिप्राय सामुदायिक जीवन के लिये आवश्यक कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में राज्यों के अधिकारों पर निर्बंधन लगाना था। जब संविधान में इस बात का उपबन्ध है तो हमें इसे खण्ड ३ में रखने की आवश्यकता नहीं। और ऐसा करना आवश्यक नहीं है यदि हम यह न चाहें कि विधान मण्डलों ने जो कानून पहिले बनाये हैं वे उनका पालन करते रहें। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि देशके हित में वे ऐसे सब राज्यों से इन कानूनों को, यदि वे वैद्य हों, समाप्त करने के लिये कहें। हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाने के प्रश्न पर सब राज्यों में एक सा कानून होना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि कुछ राज्य तो इन वस्तुओं पर कर लगाय और कुछ राज्य कर न लगा सकें।

अनुसूची के सम्बन्ध में वित्त मंत्री को एक दो बातों पर विचार करना चाहिये। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद ३६९ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसका सम्बन्ध जीवन की आवश्यक वस्तुओं से है। उसके खण्ड (१) (क) में यह है: "सूती और ऊनी वस्त्रों, कच्ची रुई (जिसके अन्तर्गत धुनी हुई रुई और बिना धुनी हुई या कपास है) बिनौला, काग़ज़ (जिसके अन्तर्गत समाचार पत्र का काग़ज़ है), खाद्य पदार्थ (जिसके अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं), ढोरों के चारे (जिसके अन्तर्गत खली और अन्य सारकृत चारे हैं) कोयले (जिसके अन्तर्गत कोक और पत्थर कोयला जन्य पदार्थ हैं), लोहे, इस्पात, और अभ्रक का किसी राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, सम्भरण और वितरण;"।

बहुत से सदस्यों ने विभिन्न खाद्य पदार्थों को अनुसूचि में सम्मिलित करने के लिये कहा। कुछ चाहते थे कि उसमें मछली भी रखी जाय और कुछ उसमें अन्य चीज़ें रखवाना चाहते थे। मैं नहीं जानता कि अन्य राज्यों के व्यक्ति अनुसूचि में उन चीज़ों को सम्मिलित करवाना चाहते हैं या नहीं जो कि अनाजों में नहीं मानी जातीं और जिन्हें उन राज्य के निवासी सामान्यतः खाते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इसमें "खाद्य पदार्थ" शब्द रखें जिसमें सभी खाद्य वस्तयें आ जायेंगी।

सभापति महोदय: क्या माननीय सदस्य कोई नई बात कहना चाहते हैं और उन्हें कितना समय लगेगा?

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं तर्कों को दुहरा नहीं रहा हूं और मैं समझता कोई सदस्य विधेयक पर अपना भाषण जारी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

रख सकता है। मैं अपना भाषण समाप्त करने वाला हूं।

मेरा निवेदन है कि यदि वित्त मंत्री अनुच्छेद ३६९ के खण्ड (क) की शब्दावली को रख लें तो इसमें वे सभी आवश्यक वस्तुएं आ जायेंगी जिन्हें संविधान निर्माता जीवन के लिये आवश्यक समझते थे, और जिसके विषय में केन्द्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। ऐसा करने से इसकी आलोचना भी नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि इसमें चारा, तिलहन तथा तेल, जो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, सम्मिलित कर लिये जायें। विधेयक में कागज़ का उल्लेख नहीं। पाठ्य पुस्तकें भी आवश्यक हैं। मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि निर्धन जनता के सामान्य प्रयोग की चीज़ें इसमें सम्मिलित कर ली जायें। मैं जानता हूं कि हम इस अनुसूचि में बहुत सी वस्तुएं सम्मिलित कर रहे हैं। इससे राज्यों के अधिकार कम हो जायेंगे और हम ऐसा नहीं चाहते। अतः हमें आवश्यक वस्तुओं पर कर न लगाने तथा दूसरी वस्तुओं पर राज्यों के कर लगाने के अधिकारों के बीच सन्तुलन रखना है। मैं अपने पूर्व वक्ता की बात से सहमत नहीं हूं कि विक्रय कर न लगाया जाय। इसके विपरीत हमारा काम यह है कि हम सूची में आवश्यक वस्तुओं को न रखें और उन पर कर न लगने दें।

सांसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से, मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं :

> "कि इस विधेयक के प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव में श्री एन० आर० एम० स्वामी का नाम जोड़ दिया जाय।"

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): यह संशोधन इस समय कैसे रखा जा सकता है?

सभापति महोदय: संशोधन कभी भी रखा जा सकता है। मैं समझता था कि माननीय सदस्य चर्चा नहीं करना चाहते थे, और वह विधेयक प्रवर समिति से वापिस आ जायेगा।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस—पूर्व): आपकी इस बात से आगामी चर्चा पर कुप्रभाव पड़ेगा। अभी हम ने इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया है।

सभापति महोदय: यह कोई निर्णय नहीं है। संशोधन तो उस सूची में एक सदस्य का नाम जोड़ने के सम्बन्ध में था।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): हम माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे कि प्रवर समिति में ये नाम रखे जायें। उसमें एक नाम और जोड़ने के लिये संशोधन रखा गया है। उसमें संख्या बढ़ाने से कोई हानि नहीं। इस पर चर्चा तो चलती रहनी चाहिये।

सभापति महोदय: इससे एक नाम और रखा गया और सदन की कार्यवाही पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: यह उचित रूप से ही किया गया है।

सभापति महोदय: कोई और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): मैं अनूसूची और घोषित की गयी आवश्यक वस्तुओं के विषय में कहना चाहता हूं। इसमें करघे का रेशमी कपड़ा, जो कि एक आवश्यक वस्तु है, सम्मिलित नहीं किया गया। शायद रेशम विलास की वस्तु माना जाता है। कुछ रेशम सस्ता भी होता है और वह जनसाधारण के लिये होता है।

मेरा निवेदन है कि अनुसूची में करघे के रेशम के कपड़े को भी सम्मिलित कर लिया जाय।

मेरी दूसरी बात यह है कि गुड़ (राब) भी उपयोग की आवश्यक वस्तु है। गन्ने को आवश्यक माना गया है किन्तु उससे उत्पन्न गुड़ भी उतना ही आवश्यक है। जैसा कि कहा गया, यदि चीनी को आवश्यक वस्तु माना जाय तो गुड़ तो उससे भी अधिक आवश्यक वस्तु है। उन दोनों को अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

१ म० प०

कुछ सदस्य चाहते थे कि तैलों तथा तिलहन को आवश्यक वस्तु माना जाय। मैं उनसे सहमत हूं। किन्तु मेरा कहना है कि मूंगफली भी उपभोग की आवश्यक वस्तु है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार, ७ जुलाई, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।